खण्ड-429, अंक-4
शनिवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(27 फरवरी, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

[redacted]

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
होली के अवसर पर प्रदेश की जनता को सदन की ओर से बधाई का प्रस्ताव ...	1
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1
जनपद फतेहपुर के ग्राम धाता निवासिनी सेवा निवृत्त दाई को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद उन्नाव के ग्राम मवई बरमान में जुलाई, 97 में हुए पट्टे में पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	2
पौड़ी नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की 6 कि० मी० सड़क को हाट मिक्स डामरीकरण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	2–3
जनपद बदायूं में राजकीय डिग्री कालेज के प्रवेश द्वार पर अवैधानिक अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
ग्राम रमया तहसील हरैया जनपद बस्ती के निवासी बाबू राम की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	3
थाना कैसरबाग लखनऊ निवासी व्यापारी को इन्सपेक्टर महानगर द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	4
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	
विधान सभा के उपाध्यक्ष (पदेन सभापति विशेषाधिकार समिति) का निर्वाचन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	4–5
विधान सभा सदस्यों को गत वर्ष की सांख्यकीय डायरी तथा उत्तर प्रदेश वार्षिकी उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	5–6
शून्यकाल के संबंध में औचित्य का प्रश्न	6–7
दिनांक 26 फरवरी, 1999 को मा० उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा अनुदान की मांग प्रस्तुत करते हुये अंग्रेजी उद्धरण का हिन्दी अनुवाद न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	7–8
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999 तथा उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछले वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1999..... जैसा कि विधान परिषद् में पारित हुआ (सदन के पटल पर रखा गया)	8
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	8
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव .... (स्वीकृत)...	8–10
श्री चन्द्र पाल सिंह यादव स० वि० स० झांसी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार संबंधी जांच रिपोर्ट, सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध ..... (जारी) ...	11

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं०–01–आबकारी विभाग..... (स्वीकृत)...	11–26
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग ..... (जारी)	26–32
परिवहन विभाग के बजट पर क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिये मा० सदस्यों को अधिक से अधिक बोलने के लिये समय दिये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न ...	32–33
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं०–43–परिवहन विभाग..... (जारी)	33–40
श्री चन्द्र पाल सिंह यादव स० वि० स० झांसी के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध..... (जारी)... ...	40
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं०–43–परिवहन विभाग..... (स्वीकृत)...	41–46
श्री चन्द्र पाल सिंह यादव स० वि० स० झांसी के साथ हुये कथित दुर्व्यवहार संबंधी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध ..... (जारी) ...	46–48
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं०–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) .....(स्वीकृत) ...	48
–अनुदान संख्या–20 कार्मिक (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) ..... (स्वीकृत)	48–49
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं०–46–प्रशासनिक सुधार विभाग ..... (स्वीकृत)	49
–अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग .....(स्वीकृत)... ...	49
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या–67, 68 एवं 59 में संशोधन हेतु मुख्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	49–56
श्री चन्द्र पाल सिंह यादव स० वि० स० झांसी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार संबंधी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध	56–65
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं०–76–प्रशासनिक श्रम विभाग (श्रम कल्याण) अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) ..... (स्वीकृत)	65–76
प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जनपद मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये पानी निकास की व्यवस्था अनिवार्य किये जाने से संबंधित श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तगत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा .. (अस्वीकृत) ...	76–84
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	84–85

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
अजय राय, श्री	वाराणसी	तिलकराज बेहड़, श्री	ऊधम सिंह नगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
अमर मणि, श्री	महराजगंज	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	परवेज हलीम खां, श्री	मेरठ
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	पीटर फैन्थम	नाम-निर्देशित सदस्य
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
ओंकार सिंह, श्री	एटा	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	मूल चन्द्र, श्री	बिजनौर
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
कौकब हमीद, श्री	मेरठ	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	राकेश सोनकर, श्री	कानुपर नगर
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
जगपाल, श्री	सहारनपुर	राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर

राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्यारे सिंह, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी	सोनभद्र
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

होली के अवसर पर प्रदेश की जनता को सदन की ओर से बधाई का प्रस्ताव

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम लोग नियम 110 के अन्तर्गत होली के अवसर पर प्रदेश की जनता को सदन की ओर से बधाई देना चाहते हैं । कृपया हमारे बधाई संदेश को अंगीकृत करने का कष्ट करें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रस्ताव पर सभी दलों के हस्ताक्षर हैं । आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह ऐसा प्रस्ताव है कि संसदीय कार्य मंत्री जी भी इसका विरोध नहीं करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर यह प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहें या इस प्रस्ताव में कोई परिवर्तन भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है । मैं प्रस्ताव बताये देता हूं ।

यह सदन प्रदेश वासियों को रंगों के पर्व होली पर बधाई एवं शुभकामनायें देता है कि प्रदेश में सदैव सुख, शान्ति, समृद्धि तथा भाई चारा बना रहे और प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे ।

श्री अध्यक्ष–

पहले हम इसे देख लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, कोई बधाई संदेश तो माननीय नेता सदन ही कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास प्रेषित कर रहा हूं । प्रस्ताव तो किसी भी समय पारित हो सकता है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 27 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

(श्री मुरलीधर, श्री बाबू लाल कुरील, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री बाबू खां, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री रामवीर सिंह, श्री रामनक्षत्र के नाम पुकारे गये । श्री बाबू खां, श्री रामवीर सिंह अनुपस्थित थे । उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के हरदेव सिंह, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के नाम पुकारे गये श्री हरदेव सिंह अनुपस्थित थे ।)

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद फतेहपुर के ग्राम धाता निवासिनी सेवा निवृत्त दाई को पेंशन दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुरलीधर–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीमती बशीरन बेवा सिराजुद्दीन निवासी ग्राम व पोस्ट धाता जिला फतेहपुर दिनांक 16 जनवरी, 1970 को जू० हाईस्कूल खखतेरू–फतेहपुर में चपरासी के पद सेवारत हुई थी तथा 28 फरवरी, 1993 को जूनियर कन्या विद्यालय बोनिहां फतेहपुर से 60 वर्ष आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुई । बशीरन दाई (चपरासी) पद लगभग 23 वर्ष तक शासकीय सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई । बशीरन लगभग 5 वर्षों से पेंशन प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रही है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर ने कन्फर्म न होने का बहाना बताकर पेंशन नहीं प्रदान किया । जिससे पूर परिवार आर्थिक तंगी से भूखों मर रहा है ।

अतः, मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, 282 किशनपुर फतेहपुर के ग्राम धाता की निवासिनी बशीरन सेवानिवृत्त दाई (चपरासी) जूनियर कन्या विद्यालय जोनिहां फतेहपुर की पेंशन शीघ्र प्रदान की जाये ।]

जनपद उन्नाव के ग्राम बभनान में जुलाई, 1997 में हुए पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुरील–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम मवई बभनान परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज के अन्तर्गत जुलाई, 97 में वैधानिक तरीके के 83 पट्टे हुये थे, जिसमें से केवल 15 लोगों को ही वास्तविक कब्जा दिलाया गया, शेष पट्टेदारों को भू-माफियाओं के दबाव के कारण कब्जा नहीं दिलाये गये हैं । शेष पट्टेदारों ने कब्जा पाने हेतु तहसीलदार हसनगंज परगनाधिकारी हसनगंज को लगातार पट्टे पर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र दे चुके हैं और सरकार द्वारा चलायी जा रही तहसील दिवस पर भी उक्त पट्टेदारों ने पट्टे पर कब्जा पाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं किन्तु तहसीलदार हसनगंज परगनाधिकारी द्वारा आज तक भी वंचित पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिलाया गया है । दिनांक 2 फरवरी, 1999 को तहसील दिवस पर हसनगंज तहसील पर पधारे आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ के समक्ष प्रार्थीगण/पट्टेदारों ने कब्जा दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र दिये थे किन्तु आज तक उक्त पट्टेदारों को भूमि का कब्जा नहीं दिलाया गया है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही शिथिल करते हुये सदन में इस विषय पर मैं आवश्यक कार्यवाही कराने की मांग करता हूं ।]

पौड़ी नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की 6 कि० मी० सड़क को हाटमिक्स डामरीकरण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[मान्यवर, यह अत्यधिक अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का विषय है कि पौड़ी पालिका परिषद् के अन्तर्गत 12 कि०मी० लोक निर्माण विभाग के मोटर मार्ग को हाटमिक्स डामरीकरण करने की घोषणा महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री ने की थी, जिसमें से 6 कि०मी० मोटर मार्ग का हाटमिक्स डामरीकरण हुआ और छः कि०मी० हाटमिक्स डामरीकरण शेष रह गया है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पौड़ी नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़क का ,हाटमिक्स के द्वारा डामरीकरण करने के छः कि०मी० मोटर मार्ग के प्राक्कलन को शासन से स्वीकृत करने के वक्तव्य सदन में देने का निर्देश कीजिये ।]

जनपद बदायूं में राजकीय डिग्री कालेज के प्रवेश द्वार पर अवैधानिक अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, बिल्सी तहसील बदायूं के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण वित्तीय वर्ष 1997-98 से किया जा रहा है और इस भवन के लिये भूमि जिला पंचायत बदायूं द्वारा उनके संचालित जूनियर हाईस्कूल बिल्सी को उपलब्ध करायी गयी थी और इसकी चहारदीवारी जब बन रही थी और पूरब को छात्र/छात्राओं के लिये एक प्रवेश द्वार बनाया गया था उसको राजनैतिक दबाओं तथा पुलिस तथा प्रशासन की मिली भगत रातों रात बन्द करके उस पर धर्मवीर पुत्र बनवारी लाल निवासी मोहल्ला नं० 2 बिल्सी ने अवैधानिक कब्जा करके दुकानें बना ली हैं जो कि अनियमित तथा अतिक्रमण करके बनायी गयी हैं । जिलाधिकारी बदायूं ने इस अतिक्रमण को हटाने हेतु अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् बिल्सी, बदायूं को आदेशित किया था तथा उप जिलाधिकारी बदायूं को भी निर्देश दिये थे कि इस अतिक्रमण को तत्काल हटाये किन्तु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बिल्सी एवं उप जिलाधिकारी बिल्सी तथा थानाध्यक्ष बिल्सी ने सुविधा शुल्क लेकर इस अतिक्रमण को नहीं हटाया है ।

अतएव, इस लोक नेत्र एवं जनहित के हुये मामले को सदन के सामने लाकर मांग करता हूं कि अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करके धर्मवीर पुत्र श्री बनवारी लाल ने जो दुकानें बना ली है उन्हें तत्काल गिराकर महाविद्यालय के द्वारा ज्यों की त्यों रखकर छात्र, छात्राओं को प्रवेश द्वार बनाया जाये ।]

ग्राम रमया तहसील हरैया जनपद बस्ती के निवासी बाबूराम की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम नक्षत्र–

[मान्यवर, आपका ध्यान ग्राम रमया तहसील हरैया जनपद बस्ती के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं :–

ग्राम रमैया के निवासी रामधीरज पुत्र श्री रामप्यारे, राहित पुत्र रामधीर इत्यादि जो शातिर किस्म के अपराधी व अराजक तत्व हैं के द्वारा ग्राम रमया के ही निवासी बाबूराम पुत्र श्री राम की जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से इनके मकान को दिनांक 25-12-98 को अवैध रूप से तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया । बाबूराम पुत्र श्री राम का पूरा परिवार इस समय सड़कों पर आ गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर जनता व प्रतिनिधियों को आश्वासन देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जगह मैं तथा मेरा शासन उत्तम प्रदेश बना दिया गया है । मैं मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि प्रतिवादी रामधीर व अन्य द्वारा मकान कब्जा करना ही इस सरकार का कार्य है । अगर उत्तम प्रदेश घोषित किया गया हो, क्या इन शातिर अपराधियों के जाल से गरीब लोगों को मकान व जमीन वापस दिलाया जायेगा ? 9 प्रतिवादी के खिलाफ थाना हर्रैया में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया, लेकिन इनके शासनकाल में कोई तकनीकी कार्यों पर रुचि लिया जाना हितकर यह सरकार नहीं समझती है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं अन्त में मा० मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सदन में अपना विचार मत स्पष्ट करेगी कि उक्त जमीन का कब्जा इन अपराधी तत्वों से मुक्त हो पायेगा, तो कब तक और इनके खिलाफ कार्यवाही प्रशासन स्तर पर करायी जायेगी ?]

थाना कैसरबाग लखनऊ निवासी व्यापारी को इन्सपेक्टर महानगर द्वारा प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

[मान्यवर, जनपद लखनऊ में जमीलुद्दीन उर्फ मदनी पुत्र हसीनुद्दीन मो० नयागांव वेस्ट थाना कैसरबाग, लखनऊ के रहने वाले हैं तथा इनकी अमीनाबाद संजरी क्लाथ हाउस के नाम से कपड़े की दुकान है थाना महानगर लखनऊ कुछ दिनों पूर्व इन्सपेक्टर महानगर दुकान से उधार कपड़ा 20,000/– का लिया दूसरी बार पुनः लगभग इतने ही रुपये का कपड़ा इस शर्त पर लिया कि पिछला पेमेन्ट शीघ्र कर देंगे जब दूसरे दिन कपड़े का पैसा मांगने गये तो श्री ओ० पी० सिंह ने कहा कि तुम किससे पैसा मांग रहे हो यदि ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो महानगर बैंक डकैती में रख दूंगा । थोड़े दिनों बाद 395/120 बी और 216 धारा में उन्हें बन्द कर दिया जिससे निर्दोष व्यापारी को झूठे मामले में फंसाने पर व्यापार मण्डल एवं आम जनता में बड़ा रोष व्याप्त है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ।]

विधान सभा के उपाध्यक्ष (पदेन सभापति विशेषाधिकार समिति) का निर्वाचन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की जो सूचना है इसमें स्थिति यह है कि मैंने 12 मार्च को उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित कर दी है, पत्रावली पर आदेश कर दिये हैं, इसलिए इस सूचना का कोई महत्व नहीं रहा है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम 263 देखने की कृपा करें इसमें हैं–अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति नाम-निर्देशित करेंगे, जिसमें उपाध्यक्ष को सम्मिलित करके कुल 10 सदस्य होंगे । उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति होंगे । तो मैं कहना चाहता हूं कि काफी दिनों से विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से विशेषाधिकार समिति निष्क्रिय हो गयी है । इस सम्मानित सदन या इस सदन के किसी माननीय सदस्य का या इस सदन की किसी समिति का विशेषाधिकार हनन होता है या अवमान होता है तो इसका मामला इसलिए विधान सभा की विशेषाधिकार समिति में नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि वह निष्क्रिय है । मैं एक दृष्टान्त रखना चाहता हूं । आप स्वयं अवगत होंगे कि 1998 के जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में संसद के माननीय अध्यक्ष जी ने उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में कांग्रेस के माननीय सांसद श्री पी० शिवशंकर का विशेषाधिकार समिति का सभापति मनोनीत किया था । इस दृष्टान्त का अनुकरण करते हुए विशेषाधिकार समिति के सभापति पद पर किसी मा० सदस्य को मनोनीत करने की कृपा करें । श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि विपक्ष के किसी माननीय सदस्य को इसका सभापति मनोनीत करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाय, आपने उसके लिए तिथि भी घोषित कर दी है। मुझे उसके संदर्भ में कुछ और भी कहना है। विशेषाधिकार समिति का अपना महत्व है। मान्यवर, जब सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है तो वह आपको सूचना देते हैं। लेकिन इस समय वह सूचना इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि विशेषाधिकार समिति है नहीं।

श्री अध्यक्ष–

समिति है और जो प्रकरण आये हैं वह उसको संदर्भित किये गये हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, किसी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति का कोई औचित्य नहीं होता है (व्यवधान)

मान्यवर, अब परिवहन मंत्री के साथ और ऊर्जा मंत्री के साथ एक-एक विभाग की अतिरिक्त कार है तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि कहीं कोई दूसरी कार नहीं लगी है।

श्री अध्यक्ष–

आप दृष्टान्त पर आ गये कि किस प्रकार के मामले संदर्भित किये जा सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप अपने विवेक का प्रयोग करके सिर्फ इसी समिति का नहीं बल्कि बाकी सभी समितियों में जिनमें विपक्ष का सदस्य सभापति होता है, उसमें सभापति बना दें और जिस दिन माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, उस दिन यह स्वमेव समाप्त हो जायेगी, तो आप इस समिति को सक्रिय कर सकते हैं, ऐसा मान्यवर, लोक सभा का उदाहरण है और विभिन्न प्रदेशों के उदाहरण हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली के अनुसार कई समितियों के पदेन सभापति उपाध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यह सही है कि कार्य में बाधा आती है। कुछ समितियों के कार्यकारी सभापति मनोनीत कर दिये गये हैं। विशेषाधिकार समिति महत्वपूर्ण समिति है और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 12 मार्च की तिथि घोषित की गयी है। आज के बाद 8 मार्च को सदन बैठेगा। अगर 12 तारीख को किसी कारण से उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो कार्यकारी सभापति बना दिया जायेगा।

विधान सभा सदस्यों को गत वर्ष की उत्तर प्रदेश सांख्यकीय डायरी तथा उत्तर प्रदेश वार्षिकी उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रामललित चौधरी–

मान्यवर, मैं सांख्यिकीय डायरी के बारे में कहना चाहता हूं। बजट सत्र चल रहा है लेकिन माननीय सदस्यों को यह डायरी नहीं उपलब्ध हो पायी है उसके अभाव में जो माननीय सदस्य हैं वह आंकड़े नहीं पाते हैं। जब तक ये डायरी हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा दी जाती है तब तक अधिकारियों को निर्देश दे दिये जायं कि वह हम लोगों को आंकड़े उपलब्ध करा दें और जो सूचना विभाग की वार्षिकी प्रकाशित होती है वह भी नहीं दी गयी है जिससे बड़ी दिक्कत आ रही है। मान्यवर, आप इनकी व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसको देख लें। यदि माननीय सदस्य कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह उनको मिल जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं इसको देख लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसी के साथ इस सूचना का निस्तारण किया जाता है ।

शून्यकाल के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने सैद्धान्तिक प्रश्न उठाया है । नियमावली जो है उसमें कहीं पर भी शून्य काल का प्राविधान नहीं है । 1977 में जब बाबू बनारसी दास जी अध्यक्ष थे तो उस समय प्रश्नकाल के बाद और औपचारिक कार्यों के पहले शून्यकाल का सृजन हुआ था । प्रश्नकाल और औपचारिक काल के मध्य अन्य महत्वपूर्ण मसलों को सदन में उठाया जा सके । आज की जो कार्य सूची है इसमें सभी औपचारिक कार्य हैं, प्रश्नकाल नहीं है तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आज प्रश्नकाल नहीं है तो शून्यकाल का क्या महत्व है ?

श्री अध्यक्ष–

इस कार्यसूची में शून्यकाल कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, अध्याय–3 के नियम–13 को आप देखें । जब प्रश्नकाल है ही नहीं तो शून्यकाल का क्या अर्थ है ? अंग्रेजी में इसका नाम जीरो आवर है । जब जीरो की स्थिति ही नहीं है तो इसका क्या महत्व ? मान्यवर इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह कार्यसूची में दर्ज नहीं होता है । ऐसा लगता है कि होली के चक्कर में बाजपेयी जी के दिमाग में शून्यता आ गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

होली के अवसर पर भी होली खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है ।

नहीं-नहीं ऐसा आक्षेप नहीं । शून्य प्रहर तो संसदीय लोकतंत्र को भारत की देन है ।

श्री प्रमोद कुमार–

होली की छुट्टी होने वाली है आबकारी मंत्री जी ने बजट पेश कर दिया है । शायद उसका असर है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 315 में सदन के जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसमें शून्य प्रहर का उल्लेख नहीं है । जैसा कि आज की कार्यसूची है, कार्यसूची के अनुसार कार्य 11 बजे प्रारम्भ होता है । आज 301 की और 300 की सूचनायें मैंने ली । शून्य प्रहर में सबसे पहले नियम 301 तथा नियम 300 की सूचनायें लेता हूं । नियम 301 और नियम 300 के लिये किसी क्रम में, नियम 315 में स्थान नहीं दिया गया है । आमतौर पर सुविधा की दृष्टि से सदन अपने कार्यों को विनियमित करने के लिये शून्य प्रहर का नाम देकर अपने कार्यों का निष्पादन करता है ।

आपकी सूचना में कोई बल नहीं है । मैं इसको निरस्त करता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । मान्यवर, 300 का अधिकार केवल शून्य प्रहर में नहीं है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आज कोई न कोई बात जरूर है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

हमको भी लग रहा है ।

दिनांक 26 फरवरी, 1999 को मा० उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा अनुदान की मांग प्रस्तुत करते हुए अंग्रेजी उद्धरण का हिन्दी अनुवाद न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा रही है कि यहां का कार्य हिन्दी भाषा और देव नागरी लिपि में होता है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने श्री अरविन्द को अपनी सूचना में ओरोविंडो लिख दिया है आप तो खुद अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, कार्यवाही में लिखा हुआ है । कार्यवाही से अलग हटकर मैंने कोट नहीं किया है । मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि देवनागरी लिपि और हिन्दी के अलावा इस सदन में किसी और भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है । क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि हर माननीय सदस्य को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो । कल दिनांक 26-2-99 को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी अनुदान की मांग प्रस्तुत करते हुये जब बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने कोटेशन अंग्रेजी में उद्धरित किया, वह यह है–

दि	पास्ट	इज	आवर	फाउन्डेशन	दि	प्रजेन्ट	
The	past	is	our	foundation	the	present	
अवर	मैटीरियल	दि	फ्यूचर	आवर	एम	एण्ड	सम्मिट
our	material	the	future	our	aim	and	summit
ईच	मस्ट	हैव	इट्स	ड्यू	एण्ड	नेचुरल	प्लेस इन
Each	must	have	its	due	and	natural	place in
ए	नेशनल	सिस्टम	आफ	एजूकेशन			
a	national	system	of	education.			

मैं नहीं जानता हूं कि इसका हिन्दी अर्थ क्या है और भी माननीय सदस्य भी नहीं जानते हैं । माननीय मंत्री जी ने जो परम्परा है उसको तोड़ने का काम किया है । इन परम्पराओं को तोड़ा जायेगा तो भविष्य में सदन के लिये यह एक अच्छी शुरूआत नहीं होगी । जब शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की तरफ से ऐसी बात आयेगी तो सदन की गरिमा गिराये जाने जैसा कदम होगा । मैं चाहूंगा कि मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दें दें और सरकार को सचेत कर दे ताकि यह सिस्टम न पैदा हो ।

श्री अध्यक्ष–

सदन की भाषा हिन्दी है । सभी से अपेक्षा है, चाहे मंत्री हो अथवा अन्य हों, यदि किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करेंगे । मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे । इसी के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999 तथा उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त–

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा

(2) उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 1999 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 25 फरवरी, 1999 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 फरवरी, 1999 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 3 एवं 4 में कुछ नहीं है । अब मद संख्या–5 ले रहा हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 27 फरवरी, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 1999 को नियम 56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जाएं ।

2–सदन के दिनांक 27 फरवरी, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

फरवरी, 1999

27 शनिवार	**1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।**

2–श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा–एक घण्टा

इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जनपद मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये पानी निकास की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाय ।''

28 रविवार
मार्च, 1999
1 सोमवार
2 मंगलवार

(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

3 बुधवार
4 गुरुवार
5 शुक्रवार
6 शनिवार
7 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

8 सोमवार

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

9 मंगलवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,––आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति, अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,––आधा घण्टा ।

3–श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा–आधा घण्टा ।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिये लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाय ।''

10 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–(1) प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––एक घण्टा ।

(2) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती एवं वाल्टरगंज की चीनी मिलों के ऊपर वर्ष 1991-92 में वसूली चार्ज की धनराशि को समितियों को वापस न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम ललित चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा---आध घण्टा ।

11 गुरुवार 12 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
13 शनिवार 14 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
22 सोमवार 23 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एंवं मतदान ।
24 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (4.00 बजे अपराह्न तक) (2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव स० वि० स० झांसी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार सम्बन्धी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध

* कुंवर रेवती रमण सिंह –

अध्यक्ष जी, कल अधिष्ठाता महोदय ने चन्द्रपाल सिंह वाले प्रकरण पर यह व्यवस्था दी थी इसकी जांच मण्डलायुक्त झांसी करेंगे । इसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री जी कितने बजे देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अभी तो कार्यवाही चल रही है दिन में किसी भी समय सूचना आ जायेगी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस प्रकरण की सूचना आ चुकी है ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 में कुछ नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री सूर्यप्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24,74,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, आबकारी विभाग का उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक संसाधनों को जुटाए जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है । प्रदेश में विकास के जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनके लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और लगातार विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह आग्रह किया जाता रहा है कि राज्य के आर्थिक संसाधनों की वृद्धि होनी चाहिए । मैं यह बताना चाहता हूं कि उसमें आबकारी विभाग का आर्थिक संसाधनोंकी वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भी महत्वपूर्ण योगदान है । मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 1996-97 में आबकारी विभाग द्वारा 1993 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया । वर्ष 1997-98 में 2222 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया व 12 प्रतिशत अधिक का योगदान रहा । वर्ष 1998-99 में हम लोगों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के तथ्य से 3 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 31 मार्च को जब वित्तीय वर्ष पूरा होगा तो प्रदेश के लिए 2900 करोड़ रुपये से अधिक संसाधन आबकारी विभाग द्वारा जुटाया जाएगा । अभी तक आबकारी विभाग के बारे में भ्रम की स्थिति रही है कि यह सिर्फ पेय मदिरा का संचालन करता है । मैं सदन के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि आबकारी विभाग जहां पेय मदिरा की व्यवस्था करता है वहीं पर रसायनिक उद्योगों के लिए एल्कोहल बड़ी मात्रा में आपूर्ति करता है । प्रदेश में कुछ साल पहले शीरा पानी की तरह बहता था उसका कोई सदुपयोग नहीं होता था उसके लिए आबकारी विभाग ने कार्य योजना को तैयार की और उत्तर प्रदेश में कैपिटल डिस्टलरियां लगाई गई जो तमाम रसायनिक पदार्थों का निर्माण कर रही है । इससे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ है । इस वर्ष और पिछले वर्ष मिलाकर किसानों का गन्ने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मूल्य 10 रुपए अधिक दिलाए गये हैं इसमें शीरे का बहुत योगदान है । इससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है । इसके अलावा यह विभाग मादक पदार्थों पर रोक लगाने व उन परप्रभावी नियंत्रण रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है । पिछले वर्ष हमने विशेष अभियान चलाकर पांच लाख ली० से अधिक अवैध शराब पकड़ी । इस संबंध में 18,115 लोगों के विरुद्ध अभियोग भी संचालित किया गया और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ।

मद्य निषेध की ओर हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । पिछले दिनों हमने बद्रीनाथ तथा केदारनाथ की यात्रा पर मद्य-निषेध को लागू किया है तथा काशी और मथुरा में एक कि० मी० के क्षेत्र में जितनी भी मदिरा की दुकानें थीं, उनको हटाने का निर्देश दिया है । इस तरीके से प्रदेश के भीतर हमने मद्य-निषेध को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है । मैं कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर आबकारी विभाग जितने बड़े राजस्व का अर्जन करता है लेकिन इसका राजस्व व्यय बहुत ही कम है । यहां तक कि यह एक परसेन्ट से भी कम है । लगभग .90 प्रतिशत है । मान्यवर, माननीय सदस्य बार-बार इस बात को कहते हैं कि राजस्व व्यय कम होना चाहिये और राजस्व प्राप्ति बढ़नी चाहिये । इस दिशा में हमारा आबकारी विभाग निरन्तर कार्य कर रहा है । हमारे विभाग का राजस्व व्यय घटता जा रहा है और राजस्व प्राप्ति बढ़ती जा रही है और हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास और करेंगे । जैसा कि योजना आयोग में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमिटमेन्ट किया है कि 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हम जुटायेंगे, हमारा राजस्व विभाग उसका एक चौथाई भाग अपने कन्धे पर लेकर इसमें अपना योगदान देगा ताकि प्रदेश के विकास को गति मिल सके, सड़कों का निर्माण हो सके, विद्युतीकरण हो सके और विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को ठीक ढंग से चलाया जा सके । इसी के साथ ही साथ मान्यवर, हमने विभाग के भीतर भी सुधार का कार्य किया है । एक वर्ष के भीतर विभिन्न स्तरों पर जो विभागीय प्रोन्नतियां होनी थी, उन्हें हमने पूरा किया है, आरक्षण की भी पूर्ति की है । जहां पूरे प्रदेश में 50 हेड कांस्टेबिल थे, उसे बढ़ाकर हमने 491 किया है और 454 को हमने सिपाही से हैड कांस्टेबल पर प्रोन्नति किया है । कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये हमने रिवाल्वर और राईफल्स की व्यवस्था की है और इस साल हम उन्हें और रिवाल्वर तथा राईफल्स देने जा रहे हैं । प्रवर्तन में भी हमने 17 वाहन उपलब्ध कराये और अधिक उपलब्ध कराये जाने का हम प्रयास कर रहे हैं । अनेक स्थानों पर हमारे कार्यालय किराये पर चल रहे थे । अधिकारियों/कर्मचारियों के पास आवास की सुविधा नहीं थी । हम आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही साथ कार्यालय भी उपलब्ध करायेंगे । हमारे विपक्ष के जो आदरणीय उपभोक्ता हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी की मदिरा उपलब्ध हो सके और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो और होली में कोई असुविधा न हो, गुणवत्ताओं क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है फलतः मैं चाहूंगा कि यह जो छोटी सी धनराशि हमने इस विभागके लिये रखी है, वगैर कटौती के प्रस्ताव के वापस लेकर सर्वसम्मति से इसे पास करने की कृपा करें ।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय आबकारी मंत्री जी ने जो आबकारी का बजट प्रस्तुत किया है । उन्होंने अपने विभाग की बड़ाई भी यहां पर रखी है ।

(इस समय 11 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि हमारे विभाग आबकारी विभाग जो उत्तर प्रदेश की आय का 21 प्रनिशत लाभ देते हैं उसको यहां पर रखा । आपने कहाकि 1997-98 में 2,221.55 करोड़ रुपये और 98-99 में 2.104.10 करोड़ रुपये 18 दिसम्बर, 1998 तक इनको राजस्व प्राप्त हुआ और आपने कहा कि 23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । मान्यवर, आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर मान्यवर, महात्मा गांधी का आदम कद चित्र आपके ऊपर लगा हुआ है और सदन के अन्दर हमारे सभी माननीय सदस्य इस आदम कद चित्र को देख रहे हैं । मद्य निषेध स्वराज का पहला नारा था । महात्मा गांधी ने कहा था कि अशिक्षित हम स्वीकार करेंगे लेकिन शराबी हम स्वीकार नहीं करेंगे । वैसे तो निरक्षता समाज के लिये अभिशाप है लेकिन चूंकि बापू जी ने इस बात को स्वीकार किया कि अशिक्षित हम स्वीकार करते हैं, शराबी हम स्वीकार नहीं करते हैं । मान्यवर, हमारे संविधान के अनुच्छेद–47 में यह प्राविधान है कि सारे राज्यों का दायित्व है कि मद्य निषेध पूर्ण रूप से लागू किया जाय लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राम के नाम पर बैठी है जो शर्म के नाम पर बैठी है इस सरकार ने मद्य निषेध को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया । इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार गरीबों का शोषण कर रही है । यही नहीं, यह तो मनुवादी है ।

महाराजा मनु ने भी कहा है कि जिस राजा के राज्य में शराबी होता है । शराबी होना भयंकर कलंक है । यह मनुवादी व्यवस्था की बात करते हैं, उनकी व्यवस्था को भी इन्होंने चरमरा दिया । मान्यवर, यह सरकार शीरा लाबी के सामने अपने घुटने टेक दे । इन्होंने शीरे को नियंत्रण मुक्त करके शीरा लाबी को एक वर्ष में दो फैसले लेकर 3200 करोड़ रुपये का लाभ दिया है । यही नहीं मान्यवर, उत्तर प्रदेश की उद्योग प्रक्रिया जो एल्कोहल के आधार पर उद्योगों की स्थापना करने के लिये जो दीर्घकालीन योजना बनाई गई थी, उस योजना को आबकारी मंत्री जी ने, इस सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया । 1997-98 में शीरा नीति बनाई गई थी जिसके तहत शीरे के ऊपर मूल्य का नियंत्रण पूरी तरह से हटा दिया था । 40 प्रतिशत शीरा चीनी मिलों के नियंत्रण से मुक्त कर देने से 1500 करोड़ रुपये का लाभ शीरा लाबी को हुआ है ।

मान्यवर, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में शीरे का मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल था और सरकार ने उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर ले जाने वाले दूसरे राज्यों में ले जाने के लिये यह निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश शीरा के बाजार मूल्य को रोकने के लिये शीरा बाहर नहीं जायेगा परन्तु चीनी मिल मालिकों और शीरा लाबी ने इस सरकार का कहना नहीं माना । इस सरकार के आदेश की अवहेलना कर दी है और नतीजा यह हुआ कि इनके अधिकारियों ने शीरा लाबियों से मिलकर शीरे की तस्करी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर दूसरे प्रदेश में 600-800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तस्करी करवाई । यही नहीं मान्यवर, 40 प्रतिशत शीरा चीनी मिल और शीरा मालिकों के दबाव में आकर सरकार ने निर्णय लिया उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर भेजने का । 1995 में शीरा की उपयोगिता को देखतें हुए और शीरा की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए एल्कोहल के आधार पर उद्योगों की स्थापना के लिये दीर्घकालीन योजना बनाई ।

सन् 2000-2020 तक दीर्घकालीन योजना बनाई गई अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और यह प्रस्ताव लाया गया कि उन उद्योगों को आसानी से शीरा उपलब्ध करायेंगे लेकिन जैसे ही यह सरकार आई सरकार ने ऐसे उद्योगों को दर किनारे कर दिया है । मनमाने तरीके से उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया । यही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार का उद्योगों की स्थापना के लिए 9 हजार करोड़ रुपया पूंजी निवेश हो गया और इसको चालू नहीं किया गया । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि आबकारी विभाग पूरे प्रदेश में एक महत्वपूर्ण विभाग है पूरे प्रदेश में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चालू सत्र में शीरे का 62 प्रतिशत उत्पादन रखा जो पिछले साल 60 प्रतिशत था 20 प्रतिशत शीरे से शराब बनाने का काम होता है और 40 प्रतिशत रसायनिक अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के प्रयोग में लाया जाता है । मान्यवर, जो यह सरकार कार्य

कर रही है । आने वाले भविष्य में शीरे का गंभीर संकट पैदा होने वाला है । जिससे अल्कोहल इकाइयों को इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस सरकार ने गरीब जनता को जो गांव में झोपड़ियों में रहते हैं कस्बे में रहते हैं उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं लेकिन गांव कस्बों में शराब की दुकानें खुलवा करके वहां के नौजवानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यह कहते हैं आबकारी से जो लाभ मिलेगा उससे सड़क और खड़न्जा लगेगा उत्तर प्रदेश में शुगर फेडरेशन घाटे में चल रहे हैं वहां के नौजवान शराब पीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं वहां के नौजवान सीमा पर जाकर देश की रक्षा करते । आज वह नौजवान शराबी हो गए हैं इस सरकार ने उनको शराबी बना दिया है । 60-62 प्रतिशत लोग शराब की लत में बीमार हो चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें, मंत्री जी ने भी संक्षेप में कहा है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार नौजवान को शराबी करके जानबूझकर कर शराब पिलाकर उनको मानसिक शैक्षिक और आर्थिक स्थिति से कमजोर कर रही है । उत्तराखण्ड में 12 जनपद हैं और 207 शराब की दुकानें हैं । 157 विदेशी मदिरालय की दुकान हैं यह आपने क्यों खुलवा दी स्वस्थ समाज की बाते करते हैं समाज अच्छा तो हमारे प्रदेश के लोग स्वस्थ होंगे और विकास का रास्ता खुलेगा ।

यह बात समझ में नहीं आ रही है । कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम को सरकार ठेका दे दे तो जो उत्तराखण्ड को 50-60 करोड़ मिलते हैं वह विकास के लिए लगा दिये जायेंगे । लेकिन सार्वजनिक उपक्रम एवं सरकारी संस्थाएं गलत टेण्डर देकर अपने निहित स्वार्थों के लिए अपने लोगों को देते हैं । इससे लोगों का शोषण हो रहा है । मान्यवर, जो पूरे प्रदेश में शराब बिक रही है । कस्बों में, ढाबों में, दुकानों के पास जो जहर, जो मिथाइल अल्कोहल, विकृत स्प्रिट और रैक्टीफाइड स्प्रिट जिसकी रंग गंध एक है, बाहर बेचा जा रहा है । उससे कितना नुकसान लोगों को हो रहा है । मान्यवर, यह आबकारी विभाग को कहते हैं कि छोटा है । लेकिन पूरे प्रदेश का विकास का, आबकारी का 99 प्रतिशत पैसा, उत्तर प्रदेश के विकास में खर्च किया जा रहा है और एक प्रतिशत आबकारी विभाग स्वयं खर्च करता है । उनके पास कपड़े नहीं हैं । मान्यवर, 1992 में एक बैठक हुई थी प्रमुख सचिव गृह और आबकारी सचिव के बीच वार्ता हुई थी उसमें वर्दी देने की बात हुई थी, शस्त्र देने की बात हुई थी लेकिन यह सरकार भूल गयी । अभी आप कह रहे थे कि हम उन्हें शस्त्र देंगे, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी आय का दो प्रतिशत, एक प्रतिशत और बढ़ा दिया जाय, आबकारी विभाग को दे दिया जाय तो यह विभाग दुरुस्त हो जायेगा । आपने यह कहा कि कोटा पूरा नहीं है । 130 आबकारी निरीक्षक के पदों पर । पदों को लोक सेवा आयोग को भेजा है लेकिन कुछ नहीं हो पाया है ।

मान्यवर, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में पांच जोन बनाये हैं आप तब भी अवैध शराब के धन्धे को रोक नहीं सकते हैं । 10 कांस्टेबिल और दो सहायक आयुक्त तथा दो निरीक्षक, यह क्या करेंगे । वह पकड़ने जाते हैं तो मारे जाते हैं । पुलिस स्वयं शराब बनाती है, गांव में एक जहर और है, गोण्डा, बस्ती, बहराइच देवरिया में तथा पहाड़ के आस-पास एक शराब और बनती है जो महुए की होती है और उसमें यूरिया और नौसादर मिला हुआ होता है, उसको गरीब, रिक्शेवाला, चाय की दुकान वाला पीता है । यह जानबूझकर जो गरीब नौजवान हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । सिर्फ इस लालच में कि हमें आबकारी से इतना पैसा मिलेगा । यह राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बनाते हैं ? इनकी सरकार केन्द्र में

बैठी हुई है इनको एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। मान्यवर, श्रीमन् नारायण कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी 57 में पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों में पेश हुई थी। एक तरफ तो यह कहते हैं कि मद्य निषेध लागू करेंगे। एक तरफ 8170 देशी शराब की दुकानें, 1641 विदेशी शराब की दुकानें, 1909 भांग के ठेके देंगे, दुकानें पर दुकानें खोलते जा रहे हैं और मद्य निषेध की बात कर रहे हैं।

मान्यवर, आप गांव-गांव में शराब रूपी जहर पहुंचा रहे हैं जिससे समाज का गरीब आदमी शराब पीकर अपना और अपने परिवार को भूखों मरने की स्थिति में पहुंचा रहे हैं। मान्यवर, लखनऊ के अन्दर पीने वालों की संख्या सबसे अधिक बढ़ गयी है और 32 प्रतिशत लोग यहां शराब पीते हैं। इसमें अधिकतर लोग देशी शराब के पीने वाले हैं। तो इससे समाज का कैसे कल्याण होगा ? मैं कैसे समझूं कि सरकार गरीबों, मजदूरों और दलितों का उत्थान आप कैसे करेंगे ?

मान्यवर, आपने यह तो अच्छा किया है कि श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर और मथुरा में राम कृष्ण भूमि के एक कि० मी० की परिधि में शराब बिकने पर पाबन्दी लगा दिया है लेकिन पूरे प्रदेश में इनके अलावा जितने भी धर्मस्थल हैं, अयोध्या में जो मन्दिर हैं वहां इस तरह की पाबन्दी क्यों नहीं लगायी गयी है ? भगवान राम की दुहाई देने वाले यह सरकार में बैठे लोग अयोध्या के आस-पास क्षेत्रों में और फैजाबाद तथा गोण्डा जिलों में शराब बेचने पर पूरी तरह से पाबन्दी सरकार को लगा देना चाहिए चूंकि अयोध्या में श्रीराम भगवान पैदा हुये थे किन्तु आप देखें तो इन जिलों में भी छूट है।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जितनी शिक्षण संस्थायें हैं। वहां भी इन संस्थाओं के एक कि० मी० की परिधि में कोई भी शराब की दुकान खोलने पर पाबन्दी लगा देना चाहिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य यदि आबकारी विभाग का साहित्य हमने जो भेजा था मालूम पड़ता है उसे माननीय सदस्य ने नशे की हालत में ठीक से नहीं पढ़ा, यदि साहित्य का पृष्ठ–12 को पढ़ा होता तो वह ऐसा न कहते।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, जो मंत्री जी ने पृष्ठ सं०–12 की बात कहा है तो वह मुझे पता है।

मान्यवर, जितने धर्मस्थल हैं काशी विश्वनाथ मन्दिर और मथुरा में कृष्ण मन्दिर का जिक्र तो किया है इसलिए इन्हें छोड़कर, शेष जो धर्मस्थल हैं, जो शिक्षण संस्थायें हैं और जो मन्दिर हैं उनके आस-पास शराब की दुकानें खोलने पर सरकार को पाबन्दी लगा देना चाहिए। मान्यवर, देवी पाटन में देवी जी का मन्दिर है वहां भी शराब की दुकानें आस-पास नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अस्पतालों के आस-पास जो शराब की दुकानें हैं वह नहीं होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि होली का समय है और आबकारी मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया है तो सबसे ज्यादा मंत्री जी को चाहिए था कि आज एक-एक बोतल बटवा देते तो और रंगीन मिजाज होता। इन शब्दों के साथ मैं अपनें कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे।

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य वर्णित है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते समय कहा था–

> "तुम शेर से लड़ने से मत घबराना क्योंकि ये पराक्रम की निशानी है, अग्नि में जलने से मत घबराना क्योंकि ये तप की निशानी है, पहाड़ों से कूदने से मत घबराना क्योंकि ये साहस

की निशानी है, किन्तु शराब के सेवन से अवश्य घबराना क्योंकि ये मनुष्यता, मानवता को असंस्कारित कर जानवरीय प्रवृत्ति पैदा कर मनुष्य का सम्पूर्ण नाश करने वाला पेय पदार्थ है ।''

महात्मा गांधी जी ने भी इन बातों की पुनरावृत्ति की । मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अनुच्छेद को अपने बजट में बहुत ही महत्व दिया है । मैं बधाई देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी को जिन्होंने धार्मिक स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट धाम, मिश्रिख, नैमिषारण्य, पीरान कलिहर, देवाशरीफ तथा देवबन्द आदि क्षेत्रों में पूर्णतः मद्यनिषेध लागू किया है । यही नहीं काशी विश्वनाथ मंदिर तथा कृष्ण जन्म स्थल, मथुरा में एक किलोमीटर की परिधि में मद्य निषेध है । मान्यवर, महापुरुषों के नाम पर जैसे 14 अप्रैल को डा० अम्बेडकर जन्म दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती व राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी व 15 अगस्त को दुकानें शराब की बन्द रहती हैं । यही नहीं दलित बस्तियों, मलिन बस्तियों, गांधी ग्रामों अम्बेडकर ग्रामों में देशी विदेशी मदिरा की दुकानें इस वित्तीय वर्ष में नीलामी पर नहीं उठायी गयीं । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आगरा जनपद में भी इन नियमों का पालन कराया जाय । मान्यवर, उत्तरांचल में भी मद्य निषेध को सीमित करने में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । चरस, गांजा, अफीम पर पूर्णतया रोक लगी है । मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे राजस्व का बहुत बड़ा भाग इससे आता है । वर्ष 1997-98 में 2221.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ । 1998-99 में दिसम्बर तक 2104.10 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । अनुमान है कि 99 मार्च तक आप 2900 करोड़ रुपये जुटायेंगे । जो खर्चा है विभाग का, वह इस बार 15.32 करोड़ रुपये हैं जो मात्र 0.73 प्रतिशत है । मान्यवर, शराब का 60 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक इकाइयों को जाता है और 40 प्रतिशत हिस्सा शराब के रूप में प्रयोग होता है । मैं कहना चाहूंगा कि इनसे आय तो होती है लेकिन देशी शराब की कमी पर विचार करना चाहिए और अंग्रेजी शराब को भी बरकरार न रखें ।

[12 बजकर 5 मिनट]

यदि व्यक्ति 20 एम० एल० अल्कोहल लेता है, तो वह भूख बढ़ाने का काम करती है और यदि वह अधिक मात्रा में लेता है, तो वह एडिक्टेड (निर्भर) उस पर हो जाता है, अगर देशी शराब पर पाबन्दी लगा दी जाती है, तो उससे दलितों, गरीबों का कल्याण होगा । मान्यवर, मजदूर आदमी जब दिन भर मेहनत करके पैसा लाता है, तो उसे घर की रोजी रोटी में खर्च करना चाहिये, लेकिन वह शराब पीकर उसे नष्ट कर देता है और सारा का सारा पैसा उसी में उसका चला जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह दर-दर मारा-मारा फिरता है । मान्यवर, मैं गुजरात का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां शराब बन्दी है, पूर्ण मद्य निषेध है और मजदूर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वह एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं । मैं इसलिये आपसे अनुरोध करता हूं कि आप देशी शराब पर पूर्ण पाबन्दी लगायें, जिससे गरीब लोगों का भला हो सके । मान्यवर, इससे राजस्व में कमी तो आयेगी ही, लेकिन उस कमी को दूसरे तरीके से पूरा किया जा सकता है । इस कार्य में जो लोग लगे हुये हैं, वह बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको फेस नहीं करपाते हैं । इसलिये उनके लिये एक तो यह व्यवस्था की जाये कि उनके लिये कालोनियों का निर्माण कराया जाये, जिससे वह एक ही स्थान पर रह सकें और गुण्डों का प्रेशर उन पर न हो । इसके साथ ही साथ मान्यवर, उनको आर्म्स उपलब्ध कराये जायें और उनकी सुरक्षा के लिये अलग से व्यवस्था करायी जाये और अगर कोई बीर्य गति को प्राप्त हो जाता है, उसे आर्थिक सहायता देना चाहिये ।

मान्यवर, जिस तरह से केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम पदोर्थों और एल० पी० जी० के बारे में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया है, उसी प्रकार से यहां पर भी बारो व शराब के ठेकों में 21% व्यवस्था होनी चाहिये । जब आदमी का पैसा खर्च हो जाता है, तो कुछ नहीं होता है, लेकिन

अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो कुछ चला जाता है । चरित्र जाने पर सब कुछ चला जाता है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि शराब पीने पर आप रोक लगायें क्योंकि इससे मनुष्य चारित्रिक रूप से गिरता चला जाता है इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान देने वाले विभागों में से एक आबकारी विभाग का बजट मंत्री जी ने पेश किया है और माननीय राम विशुन आजाद जी ने इस पर कटौती का प्रस्ताव रखा है । मैं माननीय राम विशुन आजाद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इसलिये बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि हमारे प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वह विशेष रूप से दो चीजों पर आधारित हैं । एक तो एग्रो बेस्ड हैं और दूसरी औद्योगिक इकाइयां मोलैसिस बेस्ड यूनिटस हैं । यानी शीरे पर आधारित उद्योग हैं । मैं मजबूर होकर कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि जो शीरे का उत्पादन पहले प्रतिवर्ष बढ़ रहा था वह कम हो रहा है । मैं आंकड़े देते हुये कहना चाहता हूं कि वर्ष 1993-94 में 137.94 लाख क्विंटल शीरे का उत्पादन हुआ था । 1994-95 में 185.09 लाख क्विंटल शीरे का उत्पादन हुआ है । 1995-96 में 272.2 लाख क्विंटल शीरे का उत्पादन हुआ था और 1996-97 में 225.00 लाख क्विंटल शीरे का उत्पादन हुआ । जबसे माननीय मंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व में इसको लिया है तबसे शीरे का उत्पादन घटता गया है । वर्ष 1996 में यह 225.00 लाख क्विंटल था जो घटकर इनके समय में 190.2 लाख क्विंटल रह गया ।

मान्यवर, जो उद्योगों में शीरे की खपत होती थी चाहे वह पेय अल्कोहल बनाने के लिये उपयोग में लाया जाता था या उससे इण्डस्ट्रियल अल्कोहल बनता था उसकी खपत में उत्तरोत्तर कमी हुयी है । मैं कहना चाहता हूं कि 96-97 में 233.84 लाख क्विंटल शीरे की खपत थी लेकिन जब मंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो 182.38 लाख क्विंटल शीरे की खपत रह गयी है । एक तरफ तो शीरे की खपत कम हुयी और दूसरी तरफ शीरे का उत्पादन कम हुआ है । इससे जो हमारे प्रदेश का शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाइयां थीं जो शीरे से अल्कोहल या एसिड बनाती थीं और उस पर जो राजस्व सरकार को मिलता था, उस राजस्व से भी सरकार वंचित हो गयी है । इसी तरह से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारा अल्कोहल का उत्पादन था, जो पहले प्रतिवर्ष बढ़ रहा था, उसमें भी मंत्री जी ने ऐसा करिश्मा किया कि जो 96-97 में अल्कोहल का उत्पादन 400.75 मिलियन लीटर था वह मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में घटकर 390.91 मिलियन लीटर रह गया । अल्कोहल पर आधारित उद्योगों से जो एसिड या ईथर बनता या दूसरी चीजें बनती थीं और अल्कोहल की खपत जो बढ़ रही थी । वर्ष 1996-97 तक, परन्तु माननीय मंत्री जी का कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ और 1996-97 का एल्कोहल जो 186.74 मिलियन लीटर था वह घटकर 171.92 मिलियन लीटर रह गयी । इस तरह से प्रदेश में एल्कोहल की खपत घटी और प्रदेश के बाहर एल्कोहल का निर्यात बढ़ा । प्रदेश के अन्दर एल्कोहल की खपत बढ़ती तो रोजगार बढ़ता । आज हमारे यहां का एल्कोहल दूसरे प्रदेशों में जा रहा है और उसका मेडिसिन और एसिड के काम में वहां पर प्रयोग किया जा रहा है जिससे राजस्व की प्राप्ति एवं वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है । मैं चाहूंगा कि इस तरह का प्रभावशाली नियंत्रण बनावें, इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि प्रदेश में आपके एल्कोहल का उत्पादन बढ़े और खपत भी बढ़े ।

महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है कि वहां पर जितना भी एल्कोहल का उत्पादन होता है उसकी खपत वहीं पर हो जाती है, इससे राजस्व की प्राप्ति तो होती ही है, वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता है । इसलिए मैं चाहूंगा कुछ ऐसा उपाय करें जिससे जो एल्कोहल हमारे प्रदेश से उत्पादित होकर बाहर जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है, उसकी पूरे प्रदेश में खपत हो सके । इसी तरह से हमारा शीरा जितना उत्पादित होता है, वह माननीय मंत्री जी के आबकारी विभाग के कण्ट्रोल में होता है परन्तु उनके पास उन शीरों को रखने के लिए स्टील टैंक नहीं हैं । माननीय मंत्री जी की पुस्तिका से मैं यह बताना चाहूंगा कि जितना शीरा उत्पादित हुआ है उसको रखने की क्षमता सृजित नहीं कर पाये हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि स्टील टैंक की व्यवस्था करें । आज कच्चे गड्ढों में रखना पड़ता है, बरसात में वह बहना शुरू हो जाता है और वह पानी में पहुंच कर आक्सीजन डिजाल्व करता है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी भी व्यवस्था करें । एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो एल्कोहल का ग्राफ देखेंगे जो अपवर्ड था, वह इस समय डाऊनवर्ड है । एल्कोहल पर आधारित जो औद्योगिक इकाईयां थी और उनमें जो खपत थी, वर्ष 1996-97 में 1867.44 लाख लीटर थी । 1997-98 में घट करके 1719.21 लाख लीटर रह गयी । इससे भी हमारी औद्योगिक इकाईयां प्रभावित हुई हैं । इस पर भी माननीय मंत्री जी को चिन्तन करना चाहिए । एक और अनुरोध करते हुये अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर)

मुझे आपके लालबत्ती से बहुत भय लगता है । मैं आपकी विवशता समझ रहा हूं । थोड़े समय में अपनी बात समाप्त करूंगा । एक चीज और रखना चाहूंगा । एक ऐसी चीज पर चर्चा हो रही है जिससे प्रदेश को एक गति मिल सकती है, प्रदेश को दिशा मिल सकती है, प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में, औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा । ब्राजील एक ऐसा देश है जहां डीजल और पेट्रोल का उपयोग नहीं होता है वहां सारी गाड़ियां एल्कोहल से चलती हैं इस दिशा में प्रदेश सरकार प्रयास करती तो विदेश में पैसा डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए चला जाता है उसकी बचत होती । आज गन्ना किसानों को जो दाम मिल रहा है । मेरा अपना आंकलन है अगर 100 रुपये कुन्टल गन्ना कर दिया जाए और दो रुपये किलो चीनी के दाम कर दिए जायं तो भी एल्कोहल जितना उत्पादित होता है उससे चीनी मिल मालिकों को लाभ होगा । यह हमने हिसाब लगाया है । एक बात मैं और कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में शराब चाहे देशी शराब हो या अंग्रेजी उसके ऊपर कुछ लोगों का प्रभावशाली नियंत्रण हो चुका है पूरे प्रदेश में वही लोग इसको नियंत्रित कर रहे हैं । अगर इस नियंत्रण को हटाने में मंत्री जी कामयाब हो सकें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आज जितने भी आपराधिक माफिया हैं उनकी आय का मुख्य श्रोत यह शराब की नीलामी रह गई है । इस पर आप नियंत्रण कर लेंगे तो प्रदेश में आपराधिक माफियाओं के आर्थिक संसाधन सूख जायेंगे और उन पर आपका अंकुश लग जाएगा ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अंग्रेजी शराब के ऊपर की बोटिलिंग होती है वह दूसरे प्रदेशों में होती है वहां से बोटिलिंग की हुई शराब हमारे प्रदेश में आती है इससे राजस्व की हानि होती है । इस पर मंत्री जी कोई कार्य योजना बनाएं जिससे प्रदेश के बाहर जो हमारे यहां की एल्कोहल ले जाकर वहां से बोटिलिंग करके फिर हमारे प्रदेश में ले आते हैं तो हमारे प्रदेश में ही बोटिलिंग हो सके तो राजस्व में वृद्धि होगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट पर श्री राम विशुन आजाद द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत आबकारी विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । यह सही है कि आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि सब से कम व्यय में सबसे अधिक संसाधन जुटाने का काम आबकारी विभाग करता है । मंत्री जी ने एक तो आबकारी विभाग दूसरे मद्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निषेध के बारे में चर्चा की मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने आबकारी विभाग की तो काफी चर्चा की लेकिन मद्य निषेध के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की । मैं चाहता हूं कि दूसरे पक्ष मद्य निषेध के बारे में भी चिन्तन होना चाहिए । वर्तमान सरकार ने जो शीरा नीति की एक सकारात्मक पहल की है उसका लाभ पूरे प्रदेश को हो रहा है । जो शीरा एक अनुपयोगी चीज थी उसका उपयोगी होना एक तरह से कल कारखानों को लगाने की सुविधा प्राप्त हुई है इससे औद्योगिक मजदूरों को सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है । यह काम निश्चित रूप से सराहनीय है । हम लोग गांव में रहते हैं, वहां कच्ची शराब को लेकर कठिनाई आती है । मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम कच्ची शराब विशेषकर जहरीली शराब के उपयोग पर, निर्माण पर बंदिश लगायेंगे जिसके कारण मंत्री जी के ही क्षेत्र में पिछले साल काफी बड़े पैमाने पर लोग मरे थे । भारत के किसी न किसी सूबे में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की सूचना प्राप्त होती रहती है ।

मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जो कच्ची शराब बनती है, व्यावसायिक लाभ कमाने के लिये जो मादक द्रव्य डालकर जहरीली शराब बनाई जाती है, इससे गांव का गरीब किसान और मजदूर काफी प्रभावित होता है, इसलिये इस पर प्रभावी नियंत्रण विभाग का होना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि कुछ स्थानों पर, खासकर धार्मिक स्थानों पर हमने मद्य-निषेध लगाया है, मेरा सुझाव है कि जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे वह विद्यालय हों रेलवे स्टेशन हों या फिर कोई अन्य स्थान हो, उनसे एक निश्चित दूरी पर ये शराब की दुकानें होनी चाहिये ताकि दैनिक जीवन में बुरा असर न पड़े । बलिया जनपद में एक रसड़ा चीनी मिल है, यदि वहां पर एक डिस्टीलरी प्लान्ट लगाया जाय तो वह योजना बहुत वाएबल होगी और वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शीरे का उपयोग भी हो सकेगा । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अपने स्टाफ के लोगों को रिवाल्वर तथा राईफलें दे रहे हैं, यह एक सराहनीय कदम है । जैसा कि श्री बी० आर० वर्मा जी ने कहा कि शराब के धन्धे के चलते अपराध जगत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बल मिलता है और आज भी हमारे जो बड़े अपराधी हैं, उनको पैसा शराब माफियाओं से ही मिलता है । इसलिये अपने कर्मचारियों को राईफल तथा रिवाल्वर देकर अच्छा काम किया है ।

मान्यवर, शराब के ठेकों पर कुछ लोगों को प्रभुत्व है । आप जिला स्तर पर जो ठेके करते हैं, उसका विकेन्द्रीकरण करके तहसील स्तर पर भी इसे कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका अवसर मिल सके ताकि शराब के ठेके में जो दबंग और प्रभुत्व वाले लोग हैं उनसे बचा जा सके और साथ ही यदि यह संभव हो सके तो प्रदेश का ठेका एक ही दिन में कराया जाय । यदि आपने तहसील स्तर पर इसे कर दिया तो यह एक सराहनीय कदम होगा । माननीय मंत्री जी ने जो यह संकल्प व्यक्त किया है कि अधिक संसाधन जुटाकर हम प्रदेश सरकार को सहयोग करेंगे, यह एक बहुत अच्छी बात है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्यों की आज जो भावना है कार्य सूची जल्दी समाप्त करने की दृष्टि से मेरा निवेदन है कि दो-दो सदस्य दोनों तरफ़ से विचार रख दें उसके बाद कटौती पर उत्तर आ जाय ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री राम विशुन आजाद ने जो कटौती प्रस्ताव इस आबकारी बजट पर रखा है, मैं उस पर बल देने के लिये और उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि शराब के ठेकों की नीलामी से होने वाली आय उत्तरोत्तर बढ़ रही है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी इतनी ही शराब बिकती है जितनी उत्तर प्रदेश में बिकती है वहां की राजस्व की आप 6 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है । हमारे प्रदेश में उससे बहुत कम है । इस बारे में विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री के० एन० सिंह जी की

अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया था और उसने कई राज्यों का दौरा भी किया था । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आखिर क्या कारण हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उतनी ही शराब की बिक्री होने के बाद वहां की आय से आधी आय यहां पर है ? इस समिति को 30 नवम्बर, 1998 तक का समय दिया गया था कि समिति अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दे । माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वे इसकी सूचना दें कि उस समिति ने क्या रिपोर्ट दी और उस पर शासन ने क्या निर्णय लिया ? आज मंत्री जी बखान कर रहे हैं कि 2000 से 2800 करोड़ रुपये हमारी आय हो गयी है । मेरा कहना है कि उतनी ही शराब बिकने के बाद आज हम 6000 करोड़ रुपये तक क्यों नही पहुंच पा रहे हैं ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जिन तीर्थ स्थानों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किया कि वहां मद्य निषेध लागू किया गया है । मेरा कहना है कि इससे बेहतर तो यह है कि वहां पर शराब की दुकानें खुलवा दी जायं क्योंकि मद्य निषेध के बाद जो वहां की स्थिति है वह वहां पर दुकानें खुल जाने के बाद सुधर जायेगी । इसका कारण यह है कि इनके विभाग का स्टाफ है, पुलिस के लोग हैं, जिला कलेक्टर और एस० पी० इतने सीनियर आफिसर शराब माफियाओं के नौकर हैं, इस सरकार के नौकर नहीं हैं । वहां पर जो शराब बन्दी का दिन है जो बन्दी का समय है उसके अनुसार न वह खुलती है, न बन्द होती है, न ही वह छुट्टी के दिन बन्द होती है । अवैध धन जो कमाया जाता है वह पुलिस में व जिलाधिकारी तक को जाता है इनके कर्मचारी इन्सपेक्टर जो है । वह केवल सरकार से वेतन लेने का काम करते हैं जबकि वास्तव में वे इन 25 शराब माफियाओं के नौकर हैं ।

यह शराब माफिया प्रदेश में काबिज हैं । ट्रैफिक पुलिस इन्सेक्टर हो, आपके इन्स्पेक्टर हो उनके यहां ठेकेदार फ्री में सप्लाई करते हैं । ये सरकार को मद्य निषेध की नीति को धता बताकर दिन रात चारों तरफ शराब बेच रहे हैं । अभी 8/10 दिन पहले मैं हरिद्वार में खड़खड़ी क्षेत्र में गया । एक मकान में बैठा था, वहां पर मैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी इसलिये गया था । वहां पर देखा कि पाउच बेच रहे थे और लोग पीकर रेलवे लाइन में लुढ़क रहे थे । मैंने जब तक पुलिस को इसके बारे में सूचना दी यह सब लोग भी सूचना पाकर भाग गये थे और पुलिस देर में आई । 40 विक्रेताओं ने एक यूनियन बना रखी है उसके अध्यक्ष और मंत्री भी चुने गये हैं । उनके माध्यम से पैसा और शराब पुलिस को जा रही है । इनका विभाग कहां रहता है पता नहीं चलता ? पुलिस क्या कर रही है ? मद्य निषेध के बारे में आपका कहना है कि अगर पूर्णतया लागू करेंगे तो जो कुछ हरियाणा में हुआ उत्तर प्रदेश में भी होगा । लोगों को पीना है तो वे पीयेंगे ही । मद्य निषेध लागू करने का कोई सार्थक परिणाम सामने आने वाला नहीं है । मेरा निवेदन है कि अगर हम केवल मद्य निषेध पर विचार कर लें । आपकी मद्य निषेध नीति सफल होने वाली नहीं है । अगर वास्तव में इस देश का, प्रदेश का आप भला चाहते हैं । इस प्रदेश के लोगों का कल्याण चाहते हैं, वेलफेयर चाहते हैं तो आवश्यक है कि जन आन्दोलन बनाकर स्वयं सेवक संगठनों के सहयोग से लोगों के मन में यह धारणा बैठाने का काम करें कि शराब कितनी घातक है हमारे जीवन के लिये तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम मद्य निषेध नीति को सार्थक कर सकते हैं । केवल शराब की दुकानों को बन्द करके यह मद्य निषेध लागू नहीं किया जा सकता है ।

दूसरा एक सुझाव यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर पाबन्दी लगा दी जाय । आज खुले आम देखते हैं जुलूस, बरात में लोग शराब पीते हैं । अमीर वर्ग के लोगों के लिये क्लब बना हुआ है । धार्मिक स्थलों पर भी मदिरा का सेवन होता है । वहां पर हम किसी को कुछ कह नहीं पाते क्योंकि लोगों की अपनी अपनी खुशी का माहौल होता है लेकिन यदि हम कानून बनाने का काम करेंगे कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना प्रतिबंधित है तो मैं समझता हूं कि शराब से होने वाली कठिनाई और शराब का जो असर बढ़ रहा है उसको रोक पायेंगे । इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि मद्य निषेध लागू करना सरकार का काम है । मैंने तो मात्र सुझाव दिया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राम बिशुन आजाद जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

दो-दो माननीय सदस्य दोनों तरफ से बोल रहे हैं ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं माननीय शाही जी द्वारा रखे गये आबकारी बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं आपने मुझे शाही जी द्वारा प्रस्तुत आबकारी बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, अभी हमारे कुछ सम्मानित सदस्य हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि यह दलितों और गरीबों का शोषण कर रही है शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रही है । मान्यवर, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इन्होने अब तक क्या किया–

अब तक बताओ कोई अच्छा काम किया है
दलितों को तो गुमराह कर नीलाम किया है
कभी अम्बेडकर के नाम भर ली तिजोरी को
उनके नाम के बदले उन्हें बदनाम किया है

आप क्या हैं, कौन यहां जानता नहीं
आपके हमारे कार्य में समानता नहीं
हम बहुत चाहते हैं यहां पर न कुछ कहें
बिन कहे ये दिल है कि मानता नहीं,

हमने क्या कहा उस पर गौर जनाब कीजिये
होकर नशे में माहौल मत खराब कीजिये
शायद सुरुर कम है इसी वास्ते चिंतित
शाही जी इन्हें उपहार में कुछ शराब दीजिये ।

(हंसी)

मान्यवर, जो आबकारी बजट रखा गया है
उसके बारे में हम बताना चाहेंगे–
आबकारी लाभकारी काम कर रहा
सहयोग संस्थाओं का अविराम कर रहा
बिक्रीकर के बाद धन कमाने में यहां
पूरे प्रदेश अन्दर अपना नाम कर रहा

राजस्व बढ़ाता है आबकारी हमारा
रोजगार बढ़ाता है आबकारी हमारा
जीवनोपयोग दवाओं के लिये अल्कोहल
उपलब्ध कराता है आबकारी हमारा ।

दारू दुधारु गाय है प्रदेश के लिये
दारू करारी आय है प्रदेश के लिये
दारू के बल से चल रही योजनायें यहां पर
दारू बहुत सहाय है प्रदेश के लिये ।

चीनी मिलों से शीरे का भण्डार कर रहा
अल्कोहल मुक्त उद्योगों का विस्तार कर रहा
निर्यात कर विदेशों को मुद्रा विदेशी भी
एकत्र कर प्रदेश का उपकार कर रहा ।

कुछ क्षेत्र में मादक की बिक्री बन्द किया है
कुछ क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रतिबन्ध किया है
गांजा अफीम चरस और शराब की बिक्री
दूसरे प्रदेश से तरक्की को मन्द किया है ।

मदिरा की बिक्री पर पूरा प्रतिबन्ध लगा
वृन्दावन अयोध्या चित्रकूट, बद्रीनाथ में
लागू यमुनोत्री गंगोत्री हरिद्वार मिश्रिख
कालियर देवाशरीफ देबन्द केदारनाथ में

पौड़ी टेहरी गढ़वाल चमोली और रुद्रप्रयाग
उत्तरकाशी में निषेध कुछ शर्तों से कुछ हाथ में
पूरा प्रतिबन्ध राष्ट्रीय पर्वों के दिन लागू
श्री कृष्ण जन्मस्थली और काशी बाबा विश्वनाथ में,

मान्यवर, कहीं-कहीं पर हमारी सरकार ने मदिरा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया है मैं विपक्षी भाईयों से कहना चाहूंगा–

भाई विपक्षी गुस्सा इतना न मन में लाइये
शाही के साथ कदम से कदम मिलाइये,
होली का रंगारंग कार्यक्रम कल से है शुरू
शाही जी सस्ती दर पर इन्हें शाही पानी दिलाइये

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण ठेके में भी दिया जाये इन्हीं शब्दों के साथ मैं शाही जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, आपने मुझे श्री राम बिशुन आजाद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह भारत देश गौतमबुद्ध, राम, कृष्ण और महात्मा गांधी का देश है और हमारे उधर बैठने वाले साथी हैं, हमारी संस्कृति के अपने को पोषक कहते हैं परन्तु अफसोस के साथ वह कहना पड़ता है कि आज भारत में क्या हो रहा है ? जहां हरियाणा का उदाहरण दिया गया, आपके सामने महाराष्ट्र का भी उदाहरण है। यह बड़ी बिडम्बना हैं एक तरफ तो मध्य निषेध पर पैसा खर्च कर रहे हैं कि मद्य निषेध होना चाहिये वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी उन अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं जो कि आबकारी से रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं। मान्यवर, दो तरफ की बातों से काम नहीं चलता है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां अपराध होते हैं, आप स्वयं अनुभवी हैं और शिक्षा विद् हैं, कोई भी कत्ल या कोई डकैती बिना नशे के नहीं हो सकती है। आज जितने बी अपराध बढ़ रहे हैं वह सब शराब की देन है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज शराब की वजह से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर, लोगों के स्वास्थ्य पर कितना कुप्रभाव पड़ रहा है। जितना हम दवाओं में खर्च करते हैं, क्राइम पर कन्ट्रोल करने में खर्च करते हैं तो अगर आंकलन करें तो जितना रेवेन्यू हम प्राप्त कर रहे हैं वह माइनस हो जायेगा। प्लस नहीं होगा।

मान्यवर, महात्मा गांधी के देश में 77 में एक काम हुआ था। एक प्लानिंग हुई थी कि पहले चरण में एक तिहाई और दूसरे चरण में पूर्ण मद्य निषेध की योजना बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह योजना समाप्त हो गयी और फिर उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। मान्यवर, आज जहरीली शराब से कितने लोग मर रहे हैं। पिछले साल बरेली सहारनपुर और बनारस में कितने लोगों की मृत्यु हो गयी तो इस तरह से जो जहरीली शराब बना रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि नगरीय स्थान पर और ग्रामीण अंचलों में आबादी वाले स्थानों में शराब की दुकानें होने से एक तो क्राइम बढ़ रहा है और दूसरी तरफ नौजवानों और बच्चों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। एक क्षेत्र का उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, जो यह कहा गया कि एक-एक बोतल दे दें तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है लेकिन जो मधुशाला बच्चन जी ने लिखी थी उसकी एक-एक प्रतिलिपि दे दें तो बहुत से लोगों का ज्ञानवर्धन हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पंकज जी की भी कविता जोड़ लें।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, बच्चन जी की मधुशाला बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मौनपुरा गांव रुड़की में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। वहां पर लड़के बबाल करते हैं, दो मर्डर हो चुके हैं। जब गांव के प्रधान ने रोकना चाहता तो कोतवाली इन्सपेक्टर ने जूतों से प्रधान को मारा। उसके बाद रास्ता जाम हुआ। मुकदमें लगाये गये हैं। हम लोगों ने जस्टीफिकेशन दिया तब उस इंस्पेक्टर का तबादला हुआ लेकिन वहां से ठेका हटा नहीं है और पुलिस मिली हुई है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के ठेके जो ग्रामीण अंचल में आबादी के बीच में स्थित हैं उनको आबादी से दूर भेजने का कार्य मंत्री जी करें। यदि यहां इस प्रकार से मद्य निषेध लागू कर दें तो सर्वांगीण विकास, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, बच्चों/युवकों का होगा क्योंकि आज विश्वविद्यालयों में बच्चे शराब पी रहे हैं जिसे बन्द होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, महमूदाबाद, जिला–सीतापुर, में एक डिस्टलरी की स्वीकृति कुछ दिन पहले हुई थी उसे मंत्री जी आप लगवा दें तो वहां के क्षेत्र की जनता आपके प्रति कृतज्ञ होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना उत्तर भाषण दें ।

श्री राम बिशुन आजाद–

अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने आबकारी बजट पर जो सुझाव दिये हैं उसमें लगभग सत्ता पक्ष के लोगों ने भी हमारा ही परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है ।

मान्यवर, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जनपद बाराबंकी और बरेली में अफीम की खेती होती है । वैसे हमारे इस प्रदेश में अफीम के काश्तकार लगभग 3 हजार हैं लेकिन उन्हें लाइसेन्स प्राप्त करने के लियें दलालों से सम्पर्क करना पड़ता है जिससे उन्हें बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । मान्यवर, नारकोटिक्स ब्यौरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफीम के काश्तकार अधिकारियों के पास जाकर अपने आवेदन-पत्र की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 25 रुपया जमा करके लाइसेन्स प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है बल्कि काश्तकारों को काफी परेशानी होती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में अफीम के काश्तकारों को लाइसेन्स देने के लिये कोई सरल प्राविधान रखें जिससे अफीम के काश्तकारों को दौड़ना न पड़े ।

मान्यवर, वैसे देखा जाय तो पूरे उत्तर प्रदेश में 31 से 45 वर्ष आयु के जो नौजवान हैं वह शराब अथवा अन्य नशे की चीजों में लिप्त हैं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में नशाखोरी करने वालों में 35 प्रतिशत से ज्यादा 31-45 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं जब कि 30 प्रतिशत से ज्यादा 24 से 30 वर्ष के नशाखोर लोग हैं । ताजा अधिकाधिक आंकड़ों के अनुसार 18 से 23 वर्ष के नशाख़ोरों का प्रतिशत 13.86 है । इनमें से 12 से 17 वर्ष के किशोरों का प्रतिशत 4.54 है । 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या सबसे कम 3.50 प्रतिशत है ।

मान्यवर, इन आंकड़ों का दिलचस्प पहलू यह है कि सबसे ज्यादा 21.55 प्रतिशत नशाखोर निरक्षर हैं । साक्षरों का प्रतिशत 11 है । प्राइमरी स्तर के 14.90 प्रतिशत, मिडिल पास 14.31 प्रतिशत, सेकेण्डरी स्तर तक शिक्षित 12.90 प्रतिशत, इण्टरमीडिएट 6.13 प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी 8.6 प्रतिशत, स्नातक 6.58 प्रतिशत और स्नातकोत्तर नशाखोर 3.95 प्रतिशत हैं । इस प्रकार यह सरकार पूरी तरह से लगी है कि नौजवानों की मानसिक क्षमता नशे में लाकर उन्हें बरबाद कर दिया जाय जिससे वे विकास के रास्ते पर आगे न चल सकें ।

मान्यवर, यह लोग गांव के गरीब दलित लोगों को शराब के नशे में डुबोकर नहीं कहते हैं कि वे लोग विकास के रास्ते पर चल सकें । मान्यवर, इन्दिरा आवास बने हैं जहां और जहां अम्बेडकर गांव हैं वहां देशी शराब की दुकानें खोली गयीं हैं । मेरे क्षेत्र में रानीजोन छोटा सा कस्बा है वहां खुली है । शराब अपराध की सबसे बड़ी जड़ होती है, जो सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर दुकानें न खोली जाएं, जो ठेके उठाये जाते हैं उन्हें सरकारी संस्थाओं को दिया जाए क्योंकि बाहर के लोग फर्जी सार्टिफिकेट लगाते हैं । गोरखपुर में अभी इसी कारण ठेकेदार ने एक करोड़ बीस लाख की चोट लगाई है विभाग को । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय श्री विशुन आजाद, डा० राम बाबू हरित, श्री बी० आर० वर्मा, श्री राजधारी सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, डा० राम सिंह सैनी, डा० अम्मार रिजवी का मैं हृदय से आभारी हूं जिन लोगों ने आबकारी विभाग के बजट पर चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिये । जिनमें से अनेक ने मेरा मार्ग दर्शन करने का काम किया है । मुझे स्मरण है कि जब पहली बार विधान सभा में चुनकर आया था श्री आजाद मेरे पड़ोसी थे वे कांग्रेस के सदस्य थे आप समाजवादी पार्टी में हैं । मान्यवर, आजादी के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी ने इस बात का आह्वान किया था कि मद्य निषेध लागू किया जाए । जिस पार्टी से यात्रा करते हुए श्री आजाद आज समाजवादी पार्टी में हैं, आजादी के बाद जो शासन कायम हुआ यदि उस समय राजनीतिक इच्छाशक्ति रही होती तो उस समय देश में मद्य निषेध लागू हो गया होता, लेकिन वह लगातार 50 वर्षों से राज्य के अतिरिक्त संसाधन के रूप में हिस्सा बन चुका है जिन राज्यों में इसकी बन्दी का प्रयोग हुआ वह असफल हुए । इसमें जब राष्ट्रीय नीति बनेगी तभी विचार किया जा सकता है ।

मौजूदा परिस्थितियों में पूरे प्रदेश में मद्य निषेध लागू कर पाना संभव नहीं है । इसके बावजूद हमारे द्वारा पिछले वर्ष प्रयास किया गया और कुछ हिस्सों में इसे लागू किया गया । जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, जमुनोत्री मार्ग पर और भी अन्य धर्म के स्थान हैं । उत्तरांचल में 57 मदिरा की दुकानें बन्द की गयी हैं एक वर्ष में । काशी और मथुरा में क्रमशः श्री विश्वनाथ मन्दिर और श्री कृष्ण जन्म भूमि स्थान के 1 कि०मी० परिधि में आने वाली मदिरा की सभी दुकानें बन्द की गयी है । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) अयोध्या नगर पालिका में सीमा के भीतर पूर्ण मद्य निषेध प्रभावी हैं । मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्व के बारे में चर्चा की और महाराष्ट्र का उल्लेख किया मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 1653 करोड़ का राजस्व अर्जित होता है 4 हजार करोड़ जो कहा गया है वह वास्तविक स्थित नहीं है । मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अन्य राज्यों की तुलना में चाहे महाराष्ट्र हो, तामिलनाडु हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या दिल्ली हो मदिरा की सबसे कम खपत पर कैपिटा सबसे कम उत्तर प्रदेश की है मतलब यह है कि हम मदिरा के विकास पर बल नहीं दे रहे हैं एक सुझाव आया है कि देशी मदिरा को कम करते हुये विदेशी मदिरा को प्रोत्साहित दिया जाए ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो बाटलिंग होती है, वह दूसरे प्रदेश में जाता है और फिर अपने प्रदेश में आता है उसके लिये मेरा सुझाव है कि अपने प्रदेश में ही हो ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि इसमें सुधार हो सके । शीरे के बारे में श्री बरखू राम जी ने कहा कि शीरे का उत्पादन कम हुआ । मान्यवर, पिछले साल गन्ने का उत्पादन कम हुआ गन्ने से ही शीरा निकलता है गन्ने का उत्पादन क्रम होगा तो शीरे का उत्पादन कम होगा और शीरे का उत्पादन कम होगा तो अल्कोहल का उत्पादन कम होगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अल्कोहल की खपत घटी है निर्यात बढ़ा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है अल्कोहल के संदर्भ में कि हमने उत्तर प्रदेश से इसे विदेशों में निर्यात किया है और विदेशी मुद्रा अर्जन करने में आबकारी विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान है और जो आज राष्ट्र के लिये संकट है उसकी प्रतिपूर्ति कर रहा है इसलिये

निर्यात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । उत्तर प्रदेश में जितनी यूटिलिटी है उससे शेष जो बचता है उसका अन्य राज्यों में 990 लाख लीटर अल्कोहल हमने निर्यात किया है हमारी यह एक उपलब्धि है । जैसा माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि छोटी इकाइयों में नीलामी की कार्यवाही होनी चाहिये, उससे हम सहमत हैं । ठेके में एकाधिकार समाप्त करने के लिये दबाव देने हेतु हमने के० एन० सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था जिसमें 5 सदस्य थे वित्त विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग के अधिकारी इसमें सम्मिलित थे उन्होंने 21 जनवरी को अपनी रिपोर्ट शासन के सुपुर्द किया है उसका परीक्षण किया जा रहा है ; हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उसकी संस्तुतियां अच्छे ढंग से लागू की जायेगी । माननीय अम्बरीष कुमार जी ने जानना चाहा था कि उसकी क्या संस्तुतियां रहीं हैं यही उसकी संस्तुतियां हैं कि राजस्व को और बढ़ाया जाय । लीकेज पर प्रभावी निर्माण किये जाये ।

मान्यवर, हमारा यह प्रयास है कि कम से कम क्षेत्रों में देशी मदिरा की दुकानें स्थापित की जायं । भले ही हमें अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता हो । हम उनको घटाना चाहते हैं ।; श्री के० एन० सिंह की समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं । हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि देशी मदिरा की व्यवस्था अलग कर दी जाय । मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी मदिरा बिकेगी वह अच्छी क्वालिटी की होगी । मान्यवर, मैं समझता हूं कि इन क्रांतिकारी कदमों को देखते हुये माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम विशुन आजाद–

अगर माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश में शराब बंदी लागू कर दें, तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 आबकारी विभाग के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 24,74,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 28,48,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जनता के आवागमन के लिये परिवहन विभाग की अहम् भूमिका होती है। पूरे प्रदेश की जनता को बसों के माध्यम से आवागमन की सुविधा मिल सके इस दृष्टि से परिवहन विभाग काम कर रहा है।

मान्यवर, प्रदेश में पक्की सड़कों की लम्बाई 90700 कि० मी० है और राष्ट्रीयकृत मार्गों की लम्बाई 22323 कि० मी० है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी बसें संचालित करता है और लगभग 6927 बसें सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इन 22323 कि० मी० राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित करता है। मान्यवर, इस एक वर्ष के भीतर परिवहन निगम ने अपने कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि की है और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जनता की सुविधायें बढ़ायें और साथ ही साथ जो 1972 से लेकर अब तक साढ़े 4 सौ करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो गया है। उसको कम करते हुये बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, 1997-98 में दैनिक संचालन 1788 लाख कि० मीटर था और इस वर्ष 18.9 लाख कि० मी० ज्यादा चली हैं। आप इन आंकड़ों से सहमत होंगे कि परिवहन निगम ने अधिक संचालन किया है। यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुयी है। 9.20 लाख यात्री वर्ष 97-98 में चलते थे। यह संख्या बढ़कर 10.39 लाख हो गयी है। लगभग 1 लाख प्रतिदिन अधिक चल रहे हैं।

मान्यवर, हमारी प्रतिदिन की आय भी बढ़ी है। पहले आय 164.32 लाख रुपये थी जो बढ़कर 181.40 लाख रुपये हो गयी है। मान्यवर, हमारा लाभ भी थोड़ा सा बढ़ा है। पहले यह 176.64 लाख था जो बढ़कर 183.44 लाख हो गया है। इस समय यदि नकद लाभ की दृष्टि से देखा जाय तो 1997-98 में 60 हजार रुपया प्रतिदिन की आय थी जो इस समय 1.76 लाख चल रही है। वर्ष 98-99 में 300 नयी बसें परिवहन निगम ने ली हैं और उनको मार्गों पर संचालित करने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार से परिवहन निगम जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर निजी बसें अनुबन्धित करके चलाने का काम कर रही हैं। 938 बसें अनुबन्धित रूप में चल रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बसें 90 प्रतिशत आन रोड रही हैं और 1998-99 में विशेष उपयोगिता होने से एक बस 240 किलोमीटर औसत प्रतिदिन चली है। उसके पहले वर्ष यह औसत 216 कि० मीटर था। लोड फैक्टर 64 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया है।

मान्यवर, निगम ने गतवर्ष संक्षिप्त अवधि में 49.56 करोड़ रुपये अधिक अर्जित किये हैं। अप्रैल, 98 तक जो स्थिति थी उसकी तुलना में हमने इस साल 49.56 करोड़ रुपये अधिक अर्जित किये हैं। 1998-99 में 3223 करोड़ रुपये अर्जित हुये थे। निगम की व्यवस्था में सुधार करने की कार्यवाही चल रही है। जहां वर्ष 1997-98 में एक बस पर 7.41 कर्मचारी कार्यरत थे। वहीं पर अब यह औसत घटकर 7.20 हुआ है। मान्यवर, ईधन का इस्तेमाल कम हुआ है और इस बात की कोशिश की गयी है कि बसों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाय। 300 नयी बसें बढ़ायी गयी हैं और 335 पुरानी बसों का जीर्णोद्धार किया गया है। 891 बसों की री-कंडीशनिंग की गयी है। निगम ने एक ओर व्यवस्था में सुधार किया है वहीं पर जीपों को भी अंडरटेकिंग में रखने का काम किया है। कमांडर जीपों और मिनी बसों को यह सुविधा दी गयी है।

[समय 1 बजकर 5 मिनट]

इस प्रकार मान्यवर, कोशिश इस बात कि की गयी है कि परिवहन आयुक्त शाखा में भी जो रजिस्ट्रेशन में कठिनाइयां थी इस साल हमने इस बात की व्यवस्था की है, डीलर ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है। निजी क्षेत्र को हमने रजिस्ट्रेशन कराने के अधिकार दिये हैं और उन्हें प्रोत्साहन किया है। परमिटों के लिए भी व्यवस्था की गयी है क्षेत्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर दोनों के लिए अलग-अलग समितियां बना दी गयी हैं और वहां पर जो अराष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, परमिट सुलभता के साथ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। निजी क्षेत्र जितने अधिक आ सके, हम उनको प्रोत्साहन देंगे और कार्यवाही कर रहे हैं। यात्री तथा कर, अधिकार की दरों में कम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों को कम किया है। विधेयक आया था उस पर आप लोगों ने सहमति दी है। ग्रामीण

क्षेत्रों के जो यात्री थे इसके माध्यम से उनको सुविधा दी गयी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले यात्रियों को कर और अधिकर में कमी आया । इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां परिवहन निगम और परिवहन आयुक्त दोनों ही मिलक़र दोनों ही शाखायें प्रदेश में आवागमन की सुविधा, सड़क मार्गों से बढ़ाये जाने की दिशा में प्रयत्नशील है । मैंने बहुत ही संक्षेप में बजट रखा है । मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करते हुये अपने सुझाव दें ।

* श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के इतन बड़े और महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव रखने और अपना विचार रखने का अवसर दिया । मान्यवर, परिवहन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया यह पूरे प्रदेश की जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये यात्रियों को यात्री सुविधा देने के लिए लक्ष्य रखता है । लेकिन मान्यवर, दुःख की बात है कि परिवहन विभाग के साथ एक साल के अन्दर सबसे अधिक उपेक्षापूर्ण रवैया अख्तियार किया गया है । परिवहन विभाग के विभागीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री है और परिवहन विभाग के राज्यमंत्री माननीय सुखपाल पाण्डेय जी हैं और आज इस आदरणीय सदन में परिवहन विभाग का बजट आबकारी मंत्री जी ने रखा है, आगे देखें क्या होता है ? जब आबकारी मंत्री परिवहन को देखेंगे तो एक्सीडेन्ट के चांसेज ज्यादा है ।

उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग के राज्यमंत्री हैं लेकिन उनके पास कोई फाइल नहीं है, कोई काम नहीं है । उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को देखने वाला कोई नहीं है। सबसे दुःख की बात है माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में बजट भाषण किया और उनके बजट भाषण में कहीं एक वाक्य, एक शब्द भी परिवहन विभाग के बारे में नहीं कहा गया है । यह शर्म की बात है । इससे साबित है कि प्रदेश में न तो मा० कल्याण सिंह का, न राज्य मंत्री का ध्यान परिवहन विभाग को आगे बढ़ाने में, उसको सुचारु रूप से चलाने में, यात्रियों को सुविधा दिलाने में गया है । जो बजट सामग्री बांटी गयी है यह झूठ का पुलिन्दा है इसको मैंने पढ़ा व मंत्री जी के बजट भाषण को सुना, ऐसा कहीं नहीं लगता कि परिवहन विभाग आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करने जा रहा है जिससे प्रदेश की जनता को यात्रा में सुविधा होगी । परिवहन विभाग आगे बढ़ेगा । ऐसा कोई करिश्मा नहीं किया जा सकता है जिससे परिवहन विभाग को फायदा हो । मंत्री जी ने अपने भाषण में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जिससे लगे कि आने वालों दिनों में परिवहन विभाग सुधरेगा अगर आंकड़ों को देखा जाय जो परिवहन विभाग के ग्रन्थ के रूप में पेश किए गये हैं ।

वर्ष 1997-98 में पिछले साल मौजूद बजट सामग्री में 164.32 लाख रुपये दिखाया गया है ! आय के रूप में जबकि पिछले साल के बजट में बजट सामग्री में इसी साल के 161.57 लाख रुपए दिखाई गई है व्यय के मामले में इसी साल 1997-98 में 176.65 लाख रुपए दिखाए गये जबकि पिछले साल दिखाया गया था 170.94 लाख । हानि जो पूर्व में थी वह 12.32 लाख जबकि पिछले साल बजट सामग्री में हानि दिखाई गई है । 9.37 लाख इस तरह से बजट सामग्री जो दी गई है यह बिल्कुल फर्जी है । परिवहन विभाग के साथ धोखा हो रहा है । किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है । यह विभाग न कल्याण सिंह चला रहे हैं न श्री सुखपाल पाण्डे चला रहे हैं बल्कि यह विभाग कल्याण सिंह के लड़के अलीगढ़ से चला रहे हैं । पूरे प्रदेश की वहीं से धन की अगाही कर रहे हैं । धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत सड़कें बेची जा रही हैं । पैसों की वसूली की जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निगम को बेच देने का इरादा बनाया गया है । सरकार ने एक नीति बनाई है सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए और जितना संभव हो उन्हें निजी क्षेत्र में दे दिया जाए । निजीकरण कुछ मामलों में होता है व्यक्तिगत जिन्दगी में कुछ चीजें निजी होती हैं जो सार्वजनिक है वह सार्वजनिक है जो निजी हैं वह निजी हैं । कल्याण सिंह जी सार्वजनिक को निजी बना रहे हैं । जनता जानती है जिसको वह निजी बना रहे हैं उसको जनता सार्वजनिक करती जा रही है ।

अगर यही रवैया रहा निजीकरण का, सड़कों का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, उसके वितरण का निजीकरण, बस रूट का निजीकरण, एक दिन ऐसा आयेगा कि ये प्रदेश को भी निजी हाथों में दे देंगे । हर काम का निजीकरण नहीं होता । जहां तक परिवहन विभाग के आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० के कार्यालयों का सवाल है । आज वहां पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है । रजिस्ट्रेशन के पैसा लाइसेन्स आदि के लिये पैसा लिया जाता है । प्रत्येक शहर के मोहल्ले में एक पैरलल दफ्तर चल रहा है । जहां पर पैसा लेकर आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० द्वारा संपादित कार्य हो जाता है । सरकार का इन पर अंकुश नहीं है और न ही यह सरकार सक्षम है । जब इन कार्यालयों में ड्राइविंग लाईसेन्स लेने जाओ तो बिना टेस्ट के कि वह ड्राइविंग जानता भी है कि नहीं, उसे पैसा लेकर ड्राइविंग लाइसेन्स दे दिया जाता है । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में डग्गामारी होती है । जिसकी वजह से यह निगम घाटे में जा रहा है । डग्गामार तीन एजेन्सियों द्वारा की जाती हैं । एक तो परिवहन विभाग के आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० के प्रवर्तन दल द्वारा की जाती है । सिपाही सड़कों पर रात-रात भर खड़े होकर और बसों को रोककर पैसा लेते हैं और राष्ट्रीयकृत मार्गों में निजी बसें चलने देते हैं । निगम के जो छोटे-मोटे अधिकारी हैं, वह भी इस साजिश में लिप्त होकर निजी मालिकों की बसों को पैसा लेकर चला रहे हैं और अपने निगम की बसों को सफल नहीं होने देते । पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग के लोग चाहे वह दरोगा हो या सिपाही हो निजी मालिकों की बसों से पैसा लेकर अनथराइज्ड तरीके से बसों का संचालन करवा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमांचल, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ की बसें अनधिकृत रूप से चल रही हैं और उन्हें रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं हो रहा है । इसलिये मेरा सुझाव है कि अधिकारियों के साथ सख्ती से निपटें जो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से बसों का संचालन करवा रहे हैं । इसको रोकने के लिये कोई कार्य योजना बनाई जाय, प्रदेश के अन्दर स्पेशल चेकिंग की व्यवस्था की जाय और इसके लिये एक अभियान चलाया जाय और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की सुविधाजनक और नियमित रूप से बसों का संचालन कराया जाय । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर परिवहन विभाग को माननीय श्री कल्याण सिंह जी के लड़के चला रहे हैं । एक स्थानान्तरण नीति बनी हुई है ।

मान्यवर, स्थानान्तरण नीति में आर० टी०ओ० अगर 10 लाख 5 लाख रुपया देता है तो वह जहां चाहता है वहां उसका ट्रांसफर होता है। इसी तरह से परिवर्तन दल के सिपाही 50 हजार से 1 लाख रुपये के बीच उसका निधारित है । परिवहन विभाग के ऐसे कर्मचारी पूरे प्रदेश में जहां चाहें वहां के लिये पैसा देकर अपनी ट्रांसफर करवा रहे हैं । ऐसी सूची मुख्य मंत्री आवास अलीगढ़ में बनती है । परिवहन विभाग के अधिकारियों के बस में नहीं है कि उस सूची को न माने या उसमें कुछ फेर-बदल कर सकें क्योंकि यह ऊपर से बनकर आती है ।

* कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, जो इस सदन का सदस्य नहीं है बार-बार उसका नाम लेकर संकेत किया जा रहा है । चूंकि यह इनका पहले का धन्धा रहा है तो क्या माननीय आर० के० चौधरी जी अपने उसी धन्धे के अन्तर्गत संबंधित व्यक्ति के पास दो लाख रुपये लेकर किसी ट्रांसफर केस के लिये गये थे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

चौधरी साहब अब आप समाप्त करें ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिये आर० के० चौधरी न तो किसी बी० जे० पी० के सदस्य या मंत्री के पास गये थे, न गये हैं न जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी के लड़के के नाते पूरे उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग चरागाह का अड्डा बन गया है यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में निजी क्षेत्र की बसेज आल इण्डिया और आल यू० पी० का बोर्ड लगाकर पूरे प्रदेश में घूम रही हैं और पैसा लाकर पहुंचा रही हैं । मान्यवर, 1988 से अन्तरदेशीय जल परिवहन की योजना ...

श्री अधिष्ठाता–

अब संक्षेप करें ।

श्री आर० के० चौधरी–

घाघरा नदी में सर्वे भी करा लिया गया है और भारत सरकार ने फिजिबिलिटी अध्ययन के लिये स्वीकृति भी दे दी है । यह योजना 1988 से लम्बित है । मेरा यह सुझाव है कि अगर फिजिबिलिटी का अध्ययन हो जाय और सर्वे हो चुका है तो यह अन्तरदेशीय जल परिवहन योजना को लागू किया जा सकता है । घाघरा नदी, गंगा नदी में इलाहाबाद कानपुर में जल परिवहन की सुविधा से प्रदेश के लोगों को लाभ हो सकता है । लखनऊ में गोमती नदी में गऊ घाट से गोमती बैराज तक सर्वे किया गया है । इस पर कार्य कराकर लोगों को सुविधा मिल सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री आर० के० चौधरी–

वर्ष 1988 से बस अड्डा योजना लम्बित है । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास 412 अड्डे हैं जबकि पूरे प्रदेश में 88,200 किमी० तक बस संचालित होती हैं !

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल 31 हजार 500 बसें संचालित होती हैं निगम की बसें 8 हजार हैं निजी क्षेत्र की बसें 23 हजार हैं इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश की बसों का संचालन होता है । लेकिन बस अड्डों की समुचित व्यवस्था नहीं है । 418 बस अड्डे पूरे प्रदेश में है जो निगम के हैं निजी क्षेत्र की बसों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । बस अड्डा प्राधिकरण का 88 में गठन हुआ इसको आगे बढ़ाया जाए चाहे निजी क्षेत्र की बसें हों चाहें निगम की बसें हों उनसे पूरे प्रदेश के यात्रियों को सुविधा मिलेगी । मान्यवर, बस अड्डे पूरे प्रदेश में हैं शहर के बीच में पुराने बस अड्डे हैं जो बहुत संकरे हो गए हैं और बस खड़ी करने की भी जगह नहीं है । मान्यवर, बस अड्डों की जमीन पर मल्टी स्टोरीज बनाई जाएं, कामर्शियल काम्पलेक्स बनाये जाएं ऊपर के हिस्से में कामर्शियल काम्पलैक्स बनाये जाएं

इसमें निगम को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा । निजी क्षेत्र के लोग एडवांस में पैसा लगा दें । 15-20 साल में धनराशि अर्जित कर लें । पूरी बिल्डिंग निगम की रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, यात्रियों से टैक्स लिया जाता है । लेकिन पूरे प्रदेश में किसी बस अड्डे पर यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है विश्राम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । टिकटघर पछताछ ऑफिस किसी चीज की व्यवस्था नहीं है पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है यह उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था बस अड्डों पर नहीं है जहां इन्क्वायरी आफिस हैं वहां अगर पछताछ की जाए और कहा जाए कि फलां बस कब जाएगी तो वहां के कर्मचारी कहते हैं जब आएगा तब जाएगा पूछो, कब आएगी तो कहते हैं पता नहीं, तो बस अड्डों पर जो कर्मचारी हैं उनका आचरण सही होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री आर० के० चौधरी–

किसी बस अड्डे पर कोई सुविधा देखने को नहीं मिलती है किसी बस अड्डे पर टेलीविजन लगा हो ..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री आर० के० चौधरी–

परिवहन निगम जो घाटे में चल रहा है उसका एक कारण भ्रष्टाचार भी है । मान्यवर, जो बजट सामग्री है इसमें लाभ हानि व्यय कुछ दर्शाया नहीं गया है पिछले साल और इस साल के तुलनात्मक अध्ययन का कोई चार्ज नहीं दिया गया है ।

प्रतिदिन का दिया हुआ है वर्ष वार नहीं दिया है । जो आंकड़े दिये गये हैं वह फर्जी दिये गये हैं । इस समय उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में पांच अरब से अधिक का घाटा चल रहा है । इसको छिपाया गया है और इसका कारण यह है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार यदि इच्छा शक्ति बनाये, भ्रष्टाचार में लिप्त न हो तभी विभाग के कर्मचारियों से काम ले पायेंगे । इसके लिए कार्य योजना बनायें एक अभियान चलायें, छापा मारने पड़ेंगे और ऊपर से दबाव डालकर ताकि जो नाजायज तौर से रिश्वत लेते हैं उनके हाथ कांपते हैं । मान्यवर, निजी क्षेत्र में परिवहन निगम को दे देंगे, राष्ट्रीयकृत मार्गों को एक-एक करके निजी क्षेत्रों में दे देंगे तो यह घाटे का सौदा होगा । इसकी समीक्षा की जाय और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाय । निगम में एक कार सेक्शन है इसमें पूरे प्रदेश की सरकारी विभागों की कारें बनती हैं । वी० आई० पी० जो बाहर से आते हैं, कार मुहैय्या करायी जाती हैं और वहां पर कार की मरम्मत होती है । वहां का रवैय्या यह है कि किसी चीज के दाम यदि 500/–रुपया है तो वहां पर वह एक हजार में मिलेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । 25 मिनट से ऊपर हो गया है आपको बोलते हुए ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, जब 1994 में परिवहन विभाग का मंत्री था तो मैं उस कार सेक्शन में गया था । मैंने वहां स्टोर से आठ-दस आइटम निकलवाये, उसकी सूची बनायी और उसके बाद रेट पूछा उसकी सूची बनायी, मैं पैसे की व्यवस्था करके गया था, मैंने कहा जिन्होंने आइटम खरीदा हो वह चले जायें और इन्हीं आइटम को लेकर आये । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि निगम ने अधिक पैसों में खरीदा वहीं दुकानों से सामान कम पैसे में मिल गया, तो कोई देखने वाला नहीं है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि निगम में यात्रियों को बैठने के लिए बैंच सप्लाई होती है। मान्यवर, एक हजार बैन्च सप्लाई करने का टेन्डर हुआ । 52 किलोग्राम प्रति बैन्च के हिसाब से बैन्च सप्लाई हो गयी । एक-एक बैंच में 5 किलो से 11 किलो बालू निकली, तो मान्यवर, यह स्थिति है । जब तक परिवहन विभाग के निगम में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक जो निगम घाटे में हैं वह घाटा पूरा नहीं होगा । निजीकरण के लिए बिल्कुल अभियान के रूप में अंकुश लगाया जाय तभी जाकर सुधार संभव है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री बनवारी लाल दोहरे–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं । मान्यवर, परिवहन मंत्री ने जो इस प्रदेश की आवश्यकता को समझते हुए इस बजट में प्राविधान किया है, वह निश्चित ही पूर्ण है, प्रदेश को परिवहन की दिशा में प्राविधान किया है, वह निश्चित ही पूर्ण है, प्रदेश को परिवहन की दिशा में पूर्ण करेगा । मान्यवर, इस समय जो बसों का प्राविधान रखा गया है वह माननीय मंत्री जी ने 333 रोड पर बसों को चलाने के लिए प्राविधान रखा गया है और जिन मार्गों पर जो व्यक्तिगत मार्ग के अन्तर्गत आते हैं उनमें निजी बसों को चलाने के लिए जो परमिट का प्राविधान रखा है यह बजट निश्चित ही परिपूर्ण और सराहनीय है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए एक-दो बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि कन्नौज में काली नदी और गंगा के बीच में 50 कि० मी० का जो एक लम्बा मार्ग बना है उस पर एक बस मंत्री जी चलवाने की व्यवस्था कर दें तो वहां की जनता आपके प्रति बहुत आभारी होगी ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कन्नौज से सीतापुर जाने के लिए एक-दो बसें चलवा दें जिससे वहां की जनता के आवागमन में सुविधा हो सकेगी । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय आर० के० चौधरी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

परिवहन विभाग के बजट पर क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए मा० सदस्यों को अधिक से अधिक बोलने के लिए समय दिये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा अनुरोध है कि परिवहन विभाग का बजट है और इससे जनता सीधे जुड़ी हुई है इसलिए आपको हम लोगों को पूरा समय बोलने के लिए देना चाहिए जिससे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम लोग अपनी समस्याओं को यहां रख सकें। आप समय नहीं दे रहे हैं इसलिए माननीय सदस्यों के अधिकारों का और नियमों का उल्लंघन हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें नियमों का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है ।

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आप हम लोगों को परिवहन विभाग में आलोचना करने का समय नहीं देंगे तो हम लोग अपनी समस्यायें यहां कैसे रख सकेंगे ? यदि आप हम लोगों को समय नहीं देंगे तो आप यूं ही बजट को पास करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्त रहें । माननीय सदस्यों को अधिकतम समय दिया जा रहा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह सदन दो चीजों के लिए है, एक तो हम माननीय सदस्य यहां चुनकर आते हैं और बजट पास करने के सम्बन्ध में यहां चर्चा करते हैं और बजट को पास करते हैं। दूसरे यहां विधेयकों पर चर्चा करते हैं और इसमें सुझाव देना तथा आलोचना करना हम लोगों की जिम्मेदारी है । यह पूरे दिन का बजट है और इसका घन्टे वाईज निर्धारण करेंगे तो हम लोगों को वाद-विवाद में कम समय मिल रहा है, यह चिन्ता का विषय है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर चर्चा चल रही है, तो आपकी तरफ से उदारता होनी चाहिए जिससे अच्छे-अच्छे सुझाव और विचारों को हम लोग यहां रख सकें । इसी तरह विधेयकों पर खण्डशः विचार नहीं आ रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं पिछले समय में सदन पांच-छः बजे समाप्त हो जाता था । माननीय सदस्यों के अधिक से अधिक विचार आ जायं यह हम सभी चाहते हैं लेकिन कार्यसूची की लम्बाई और चौड़ाई को देखना पड़ेगा ।

होली में सब लोग जाने के मूड में हैं ।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति में वरिष्ठ लोग हैं आज का दिन विशेष परिस्थितियों में रखा गया है । अन्य दिनों में अगर नियम 56 पर कम लोग बोलें तो काफी समय बजट पर मिल सकता है तब उसमें आलोचना-प्रत्यालोचना अच्छी हो जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अगर आप 90 दिन का अधिवेशन चलाने की घोषणा कर दें तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि एक दिन में दो से ज्यादा कार्यस्थगन नहीं लिया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग (क्रमागत)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश के बहुमुखी विकास में परिवहन का बड़ा महत्व है लेकिन खेद है कि हमारा प्रदेश इसमें बहुत पीछे है । अगर आंकड़े देखें तो पायेंगे कि हम परिवहन के मामले में कहां खड़े हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ष 96-97 में 7 हजार 4 सौ 63 बसें थी जो 97-98 में घटकर 6926 हुई और 98-99 में घटकर 6 हजार हो गई हैं यह फर्जी तरीके से दिखा रहे हैं कि 6927 बसें हैं । मान्यवर. जो यह बेड़ा है बसों का इसमें 3 हजार एकतम् खटारा हैं, स्पीड इनकी ऐसी है कि अच्छा घोड़े-गाड़ी वाला इनसे आगे ही रहेगा । 50 किलो मीटर एक बार में बस पार नहीं कर पायेगी बीच में एक-आध जगह पर खड़ी करनी पड़ेगी । सीटें इतनी फटी और धूलधूसित हैं कि 3/4 माननीय सदस्य बसों में यात्रा नहीं करते हैं । 3 हजार सही कन्डीशन की बसें हैं लेकिन हमारा सूबा कितना बड़ा है यह ऊंट के मूंह में जीरा है । मान्यवर, सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी संख्या में बसें आयें कहां से, क्योंकि बजट में इसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है, और नहीं इन्हें कोई कर्ज देने के लिये तैयार है क्योंकि इसका परिणाम यह है कि इनकी साख गिरी है, और कोई इनको कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है । इनके पास पैसा है नहीं और कर्जा देने के लिये कोई तैयार है नहीं, इसीलिये इनकी बसों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है ।

मान्यवर, आप देखें कि अगर कोई प्राइवेट आदमी एक बस खरीदता है तो वह दूसरे साल एक दूसरी बस और खरीद लेता है और तीसरे साल तीसरी बस खरीद लेता है । इस प्रकार से उसकी स्थिति अच्छी होती जाती है, लेकिन परिवहन विभाग की स्थिति इसके उल्टी है । परिवहन विभाग एक बस भी अच्छी प्रकार से नहीं चला पा रहा है । इनका घाटा मान्यवर, 6,13 करोड़ ही नहीं है बल्कि और है लेकिन फर्जी तरीके से इसको कम करके दिखाया गया है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि घाटा होने के कारण यह है कि बहुत सी अवैध बसें चल रही हैं और उसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत है । इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिये । मान्यवर, हमारे प्रदेश में डग्गामार बसों की बहुत बड़ी संख्या है, 10 हजार डग्गामार बसें चल रही हैं, जिसमें से लगभग 7 हजार जीपे हैं, 2 हजार बड़ी बसें हैं और एक हजार के लगभग अन्य गाड़ियां हैं । अगर इनमें टैक्स की जो चोरी होती है उसको प्रति गाड़ी प्रतिमाह 6 हजार आंक लिया जाये, तो 10 हजार गाड़ियों पर 6 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी एक महीने में हो रही है और इसी को अगर एक साल के लिये निकालें तो टैक्स चोरी की रकम 72 करोड़ रुपये आती है । मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश में एक भी ऐसा मार्ग नहीं है जहां पर परिवहन आयुक्त मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों की मिली बगत से डग्गामार बसें चलायी जा रही हैं । मान्यवर, 8 हजार से ज्यादा ट्रकें रोजमर्रा चल रही हैं और उनके टैक्स की चोरी हो रही है । मैं यहां पर जो आंकड़े दे रहा हूं, वह मेरे कोई अपने नहीं हैं, बल्कि परिवहन आयुक्त द्वारा समाचार पत्रों में जो छपते हैं, इन्हीं के आधार पर मैं कह रहा हूं । समाचार पत्रों में छपे समाचारों के माध्यम से ही मैं कह रहा हूं कि लगभग 150 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो रही है, इस प्रकार से एक साल में 18 अरब राजस्व की चोरी हो रही है । मान्यवर, यह घोटाला चारा घोटाला और बोफोर्स घोटाले से बहुत बड़ा घोटाला है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की है । मान्यवर, इतने बड़ी राजस्व की चोरी बिना ऊपर के अधिकारियों की अनुकम्पा के चोरी नहीं हो सकती है यह चोरी एक षडयन्त्र के तहत की गई है और प्रयोजन यह है कि परिवहन विभाग के अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए सभी कानून कायदे को ताख पर रखकर छांट-छांट कर दागी अधिकारियों को प्रभारी बनाया है ।

मान्यवर, वर्ष 1990 में अनियमित तरीके से 15 आर० टी० ओ० की नियुक्तियां की गयी हैं । इसी तरह से 13 प्रभारी आर० टी० ओ० की नियुक्तियां की गई है । मान्यवर, इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि 21 लाख रुपया यात्री कर के रूप में माफ किया गया है जब माफी लाखों में होगी तो चोरी करोड़ों में जरूर होगी । इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । भ्रष्टाचार नल के पानी की तरह से है जो ऊपर से गिरता है और नीचे जाता है । अगर किसी सूबे का मुख्य मंत्री ईमानदार होगा तो उसके मंत्री भी ईमानदार होंगे । अगर मंत्री ईमानदार होगा तो विभाग के अधिकारी भी ईमानदार होंगे । मान्यवर, परिवहन निगम में अनेक भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जिनके द्वारा धन एकत्रित किया जा रहा है । मुख्य मंत्री जी की यह दुधारू गाय है और परिवहन विभाग उनका हरा भरा

चारागाह है इसलिये धन की उगाही के लिये, लूट मार के लिये इजाजत नहीं दी जा सकती । माननीय चौधरी साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं और अपनी बात खत्म करते हुये इस बजट का विरोध करता हूं ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपने परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । यह बजट बहुत ही संतुलित है और लोक महत्व से जुड़ा हुआ है । अभी हमारे साथी बजट का विरोध कर रहे थे और भ्रष्टाचार तथा घपले के संबंध में अपनी बात रख रहे थे । मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते । घपले और भ्रष्टाचार जो उनके समय में हुये हैं वह अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुछ समय पहले उनके समय में कितना भ्रष्टाचार था । मान्यवर, परिवहन निगम में जो व्यवस्था थी उसमें सुधार हुआ है और यात्रियों को सुविधायें मिली हैं । डेढ़ वर्ष पहले के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बसों में बैठकर यात्री हमेशा सोचा करता था कि वह अपने गंतव्य स्थान पर जा पायेगा या नहीं अब निश्चित रूप से सुधार आया है । भ्रष्टाचार और घपलों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, हमारे मंत्री जी ने इस विभाग में बहुत सुधार किया है जिसका लाभ जनता को पहुंचा है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद संत रविदास नगर जो काशी और प्रयाग के मध्य स्थित एक छोटा सा जनपद है दिलाना चाहता हूं । इस जनपद की घोषणा 4 वर्ष पूर्व हुयी थी, कुछ झंझावतों के थपेड़ों के चलते इनका विकास अवरुद्ध होता रहा है । वहां पर एक डिपो का निर्माण शुरु हुआ था जिस पर कई लाख रुपये लगे हैं उसका काम बन्द हो गया है । अगर शासन थोड़ा सा सचेष्ट हो जाय तो वह डिपो पूर्णरूप से निर्मित हो जाय तो बसों के संचालन में सहायता मिलेगी ।

मेरा जनपद काशी और प्रयाग के बीच स्थित होने के कारण वहां से लोग जौनपुर, मिर्जापुर, विंध्याचल और दूसरे तीर्थों को जाते हैं । आज से 2 वर्ष पहले वहां पर जो बसें चलती थीं उनको बन्द कर दिया गया है । वहां पर पूरे मंडल का एक सबसे बड़ा विद्यालय है जिसमें 12 हजार छात्र हैं । इन छात्रों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है । वहां पर सिटी बसें और गवर्नमेंट की बसें चलती थीं जिनको बन्द कर दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि जो बसें पहले चलती थीं उनको चलाया जाय और उनके अलावा अन्य बसों को भी चलाया जाय ? जो डिपो का भवन निर्माणाधीन है और जिस पर लाखों रुपया खर्च हो चुका है और जिसका काम रुका पड़ा है इसे पूर्ण करा दिया जाये ताकि वह जनपद जो अपने शैशव अवस्था में है, जिसका विकास हो रहा है, विकास के लिये सारे साधन मुहैया करा रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो आवागमन और गरीब जनता से संबंधित है । जिससे निरीह लोगों का आवागमन होता है, वह सुविधा इस जनपद को मिलना चाहिये । आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये पुनः इस बजट का समर्थ करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री बाबूराम यादव–

मैं आभारी हूं कि आपने इस कठिन समय में भी मुझको वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, ठीक है कि परिवहन विभाग उनके पास नहीं है, उन्होंने जो परिवहन विभाग के सचिव ने लिखकर दिया वह पढ़ दिया, उन्होंने सिर्फ आंकड़े पढ़े, कोई पालिसी नहीं बतायी, यह भी स्पष्ट नहीं किया परिवहन विभाग को सुधारने के लिये सरकार की क्या नीति है ? मान्यवर, यात्रियों की सुविधा के लिये आज बजट के दिन घोषणा होनी चाहिये थी कि परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार इस वर्ष यह सुविधायें देगी । ऐसी कोई घोषणा माननीय शाही जी ने नहीं की । दूसरी बात आय-व्ययक जो रखा मैंने उसे पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन यह सांख्कीय सूची है पिछले वर्ष से इस साल बसें भी कम हो गयी । पिछले वर्ष बसें थी 7005, इस वर्ष 6772 बसें हैं । बसें कम हो गयी और आबादी बढ़ गयी । माननीय मंत्री जी ने यात्रियों की संख्या बतायी कि पिछले साल से यात्री बढ़े हैं । उसमें विभाग का क्या लेना देना, आबादी बढ़ेगी तो यात्रा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया ।

करने वाले अपने-आप बढ़ेंगे, उसमें सरकार का और विभाग का कोई मतलब नहीं ? आपने बसों की संख्या कम कर दी, यात्रियों की संख्या बढ़ गयी तो आवागमन की शुगमता कैसे होगी ?

दूसरी बात विभाग की जो आमदनी है वह पिछले साल से इस साल कम हुई लेकिन यह अनोखी किताब मुझे मिली है, इसमें परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1998-99 में (अप्रैल-दिसम्बर, 98) में रु० 458.84 करोड़ की आय अर्जित की गयी जो कि गत वर्ष की तुलना में 49.56 करोड़ रुपये अधिक है । जबकि व्यय में आप लिख रहे हैं कि परिवहन निगम द्वारा व्ययों पर कुशल नियंत्रण रखकर कुल व्यय को रु० 504.47 करोड़ तक सीमित रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 9.14 प्रतिशत अधिक है । यह आपने कितनी चालाकी से लिख दिया जबकि घाटा हुआ है, घाटे का जिक्र एक मद में होने का है । आपने हानि में लिखा है कि वर्ष 1998-99 में माह अप्रैल-दिसम्बर, 1998 में परिवहन निगम को रु० 5.63 करोड़ की हानि हुई है । यह भी लिख दिया कि नकद लाभ, वर्ष 1998-99 में माह अप्रैल-दिसम्बर, 1990 में परिवहन निगम को रु० 5.63 करोड़ की हानि हुई है । यह भी लिख दिया कि नकद लाभ, वर्ष 1998-99 में माह अप्रैल-दिसम्बर, 98 में परिवहन निगम द्वारा रु० 32.33 करोड़ का नकद लाभ अर्जित किया गया । यह भ्रम में डालने वाली स्थिति है । लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा । यह किताब अभी मुझे एक साथी से मिली है । यह भ्रम में डालकर सारा काम करना चाहते हैं । इन्होंने भ्रम में डालकर अपनी सरकार बना ली और भ्रम में डालकर के बजट भी पास करा रहे हैं । मैं माननीय शाही जी के लिये कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उनका विभाग नहीं है, वरना कोई भी मंत्री किसी विभाग का बजट इस तरह से पढ़ ही नहीं सकता । मुझे खेद है कि विभाग पीछे जा रहा है । विभाग में नुकसान हो रहा है आय कम हो रही है । बसों की संख्या कम हो रही है, प्रबन्धतंत्र गलत हो रहा है । सरकार ने कोई नीति का एलान नहीं किया । प्राइवेट बस मलिक एक बस इस साल खरीदता है तो अगले साल उसके मुनाफे से दूसरी बस खरीद लेता है । लेकिन परिवहन विभाग अगर इस साल 100 बसें खरीदता है तो अगले साल 90 बसें रह जाएंगी । इसका मुख्य कारण क्या है ? चौधरी साहब कह रहे थे कि इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है । यह भ्रष्टाचार है कि नहीं लेकिन परिणाम यह बताते हैं कि कहीं न कहीं खोट जरूर है खामी जरूर है । इस विभाग को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, राज्यमंत्री हमारे पुराने साथी पांडे जी हैं लेकिन दोनों लोग यहां उपस्थिति नहीं हैं । जनता की गाढ़ी कमाई इस विभाग के एक-एक बोल्ट में लगी है । सरकारें तो आती जाती रहती हैं इसकी बरबादी का मुख्य कारण इसका प्रबन्धतंत्र है जिसके कारण यह विभाग बरबाद हो रहा है । परिवहन में हानि का कोई सवाल ही नहीं है । इतना बड़ा बेड़ा है फिर भी हम घाटे में जा रहे हैं आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया । शाही जी इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी है वह मुख्यमंत्री जी से कहें कि ऐसा कुछ करो नहीं तो यह विभाग टूट जाएंगे या जनता खा जाएगी लेकिन इसमें घोटाला जरूर है । जनता की अपेक्षा है कि वह जब एक जगह से दूसरी जगह जाए तो बसें मिलें, इसके लिये इन्तजार न करना पड़े, बसें समय से चलें बसों में उनके साथ व्यवहार अच्छा हो । अभी मंगलवार को मैं कानपुर से लखनऊ के लिये बस यात्रा कर रहा था उस समय मुझे ताज्जुब हुआ जैसे ही हम राजकीय बस पर बैठे और बस स्टार्ट हो गयी उसी समय पर वहां एक प्राइवेट बस आ गयी वह बस संजय या संध्या ट्रेवेल्स की थी । उस समय हमारे ड्राइवर ने अपनी बस बन्द कर दी और हमारे बस की सवारियां उतर उतर कर उस बस में जा बैठीं । इसी तरह की हालत लखनऊ की भी है जहां पर पूरी सरकार बैठी है, अधिकारी बैठे हैं मैं आरोप नहीं लगाना चाहता अधिकारी भी हमारे समाज के ही हैं, जब तक इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तब तक इस बेड़े के गर्क होने को कोई रोक नहीं सकता है ।

[सयम 2 बजकर 5 मिनट]

अगर यह नहीं रुकेगा तो पता है आगे जाकर क्या होगा । यह परिवहन विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार के गर्त में डूब जायेगी, तब फिर प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा । अगर सरकार परिवहन विभाग को नहीं चला सकती है, हर साल घाटा हो रहा है, बसें कम हो रही है, जिस तरह से बिजली को आप प्राइवेट में दे रहे हैं, सीमेंट को दे रहे हैं, उसी प्रकार परिवहन विभाग को भी निजी मालिकों के

हाथ में दे दीजिये और अपनी गाड़ियों को बेच दीजिये, उससे प्रदेश की आमदनी तो बढ़ेगी और जनता को आवागमन में सुविधा तो मिल जायेगी और जो कलंक आपके माथे पर लगेगा, उससे तो आप बच जाओगे कि यह सरकार परिवहन विभाग को खा गई । हम अगले वर्ष ये-ये सुविधायें देगे और इसके बावजूद भी हम लाभ अर्जित करेंगे और बसों के बेड़े को बढ़ायेंगे, क्योंकि आज टी० वी० और रेडियो तथा अन्य माध्यमों से जनता को मालूम होता रहता है कि विधान सभा में क्या हो रहा है, आपकी इस घोषणा से जनता महसूस करेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ तो वायदा किया । एक अच्छी बात की है, अब वह शाही जी के खाते में जाता है या कहीं, आज बस का किराया बढ़ाने की घोषणा नहीं की गयी है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमने कम किया है ।

श्री बाबूराम यादव–

हम सबको सोचना होगा कि अन्ततोगत्वा इसका क्या होगा । पहले 7 हजार थी, फिर 5 हो गई आगे 5-6 सालों में बिल्कुल नहीं रह जायेंगी । आज बसों के लिये काफी इन्तजार करना पड़ता है । इसलिये इसके लिये एक कार्ययोजना बनाई जाय । मैं अपनी बात पुनः दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि अगर सरकार अक्षम है और जो बसों के संचालक के अधिकारी हैं अगर वह अपने को अक्षम महसूस करते हैं तो इसे प्राइवेट को दे दिया जाय ताकि जनता को लाभ मिले । यह हम सब की वचनबद्धता भी है । वैसे उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिये । मांगा तो सक्षम से जाता है, अक्षम आदमी से नहीं मांगा जाता है । कहा भी गया है–रे रे चातक सावधान मनशा मित्र क्षणम् सूर्यताम्, अम्बोधा बहवोहि सन्ति, गगने सर्वोपि नेता दृषाम, केंचित वृष्टि विरादयन्ति वसुधा र्जन्ति गर्जन्ति केचित वृथाम, यं यं पश्यसि, तस्य-तस्य पुरतोः, का ब्रूहि दीन वच : । इसलिये मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसे बादलों से मत मांगों, जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री आर० के० चौधरी जो द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपके प्रति आभार, बजट का समर्थन और कुछ सुझाव के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । मेरठ–बुलन्दशहर रूट पर 80 साल से प्राइवेट बसों का संचालन था । 128 बसें उस रूट पर प्रतिदिन चलती थी । 30 हजार सवारियां ढोती है । 9 महानगरो, नगरो और कस्बों से होकर गुजरती है और 20 लाख रुपये प्रतिमाह राजस्व की हानि इससे हो रही है । पिछले कुछ दिनों से यह बसें बन्द कर दी गई हैं और सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी वहां पर बस का संचालन शुरू नहीं किया गया । बार-बार आग्रह करने के बाद भी पता नहीं किन परिस्थितियों के कारण बसों का संचालन नहीं हो रहा है जिससे 30 हजार सवारियां परेशान हैं यात्रा करने के लिये कष्ट उठाना पड़ रहा है । आज वह बी० जे० पी० की सरकार को कोस रही है । मेरा निवेदन है कि तत्काल वहां पर पूर्व की भांति बसों का संचालन करायें जैसा कि हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से भी निर्णय आ चुका है । मेरठ से बालाजी जीने के लिये पहले बस चला करती थी उस बस का संचालन अब बन्द कर दिया गया है। मेरठ की जनता की मांग है कि वहां से रात को एक बस चलाई जाय जो अगले दिन उधर से वापस आये । दिल्ली J.S.B.T. की बसें मेरठ को चल रही हैं उसमें आने जाने के लिये काफी भीड़ रहती है । शाम को 6 बजे से 11 बजे रात तक भीड़ लगी रहती है । अतएव मेरठ हेतु दिल्ली में शाम को विशेष व्यवस्था की जाय । मेरा निवेदन है कि मेरठ बस नगर सेवा में कुछ सुधार किया जाय । वहां पर इन प्राइवेट बसों के कारण हफ्ते में एक व्यक्ति की बस के नीचे मौत हो रही है । मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि सेना और पुलिस के बालेन्ट्री मेडल प्राप्त व्यक्तियों को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने पर विचार करें । मैं आखिरी में एक बात पर और चिन्ता व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैंने अभी तक यह स्लोगन गाड़ियों में लगा देखा था कि शराब पीकर गाड़ी चलाना

मना है । बोर्डों पर तो लिखा देखा है । यहां पर मान्यवर, आज जब आबकारी मंत्री जी ने परिवहन का बजट पेश किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि हमारी सरकार का यह परिवहन का बजट रास्ते में जाकर लड़ जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके सुझाव को माननीय आबकारी मंत्री ध्यान में रखेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मद्य निषेध मानकर रखा गया है ।

श्री बाबू राम यादव–

मैं बाजपेई जी को धन्यवाद दे रहा हूं और उधर बैठे सदस्यों से कह रहा हूं कि खाली मूली तारीफ करना ठीक बात नहीं है । माननीय बाजपेई जी ने जिस तरह से बजट के बारे में कहा है उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

बजट की स्वस्थ आलोचना करें । सुझाव के साथ-साथ करें तब ही सही रचनात्मक आलोचना होगी ।

श्री रामजग–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, आज परिवहन विभाग का बजट पेश हुआ है और आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं । माननीय मंत्री जी ने मात्र आंकड़ों से ही बजट को पेश किया है । मान्यवर, सबसे पहले लक्ष्य इस बात का है कि परिवहन विभाग के बजट पर मंत्री जी ने आज कोई घोषणा की होती कि हम फला-फलां सुविधा दे रहे हैं । परिवहन विभाग की वे बसें जो कस्बों से, शहरों से होते हुए चलाई जाती थी और बीच में बन्द थी हम उनको चलाने का काम कर रहे हैं और वो नियमित रूप से चलाई जायेंगी । परिवहन विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको गंभीरता से लेंगे । नये टायर बिकेंगे नहीं प्राइवेट बसों में से पुराने हमारे रोडवेज की बसों में नहीं लगेंगे । परिवहन निगम के इंजन प्राइवेट बसों में नहीं लगेंगे । इस तरह का जो तमाम भ्रष्टाचार मौजूद है उसको गंभीरता से लेते उसको खत्म करने की घोषणा करते कि हमारी सरकार भविष्य में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देगी । आप बसों की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं । हमारे पास परिवहन आयुक्त महोदय का आदेश है जिसमें आजमगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाली बसों को यह कहकर रोक दिया गया कि यह घाटे में चल रही है । सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि आपके जो आर० एम०और ए० आर० एम० और ड्यूटी लगाने वाले बाबू हैं वे किसी भी बस को नियमित रूप से चलने नहीं देते हैं । मेहनगर, जयनगर और दूसरे हिस्सों में चलने वाली बसों के इन्तजार में सवारियां बैठी रहती हैं और यह लोग उन्हें बस उपलब्ध नहीं कराते हैं । अन्त में यह सवारियां प्राइवेट बसों और जीपों में बैठकर जाते हैं । हम नहीं चाहते हैं जनता नहीं चाहती है कि हम प्राइवेट बसों में चलें ।

कम से कम 12 बसें चलती रहीं । रोडवेज बसें समय से नहीं चलती हैं । ग्रामीण अंचल में बसने वाली जनता जहां तहसील है वहां बस चलवाने की व्यवस्था करवायें आपकी बसें नियमित नहीं चलती हैं अधिकारियों की मिलीभगत रहती है । रोडवेज की बसों से यात्री उतर कर प्राइवेट बसों में बैठ जाते हैं । मान्यवर, जिस अनुपात में मंहगाई बढ़ी है जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में कोई कार्य नहीं हुआ है । उस अनुपात में बसें नहीं चलाई गई हैं इनकी सरकार अक्षम है इससे लगता है कि निश्चित रूप से इनकी योजना प्राइवेट बसों को लाभान्वित करने की है । प्राइवेट बसें आती हैं उनको मुनाफा होता है । रोडवेज की बसों से मुनाफा नहीं होता है रोडवेज की बसें इस तरह चलती हैं कि बसें

समय से मिलती ही नहीं है यात्रियों को, इसके अतिरिक्त जहां-जहां से बसों को चलवाना बन्द किया गया है वहां उनको चलवाया जाए । डग्गामार बसों को ठीक ढंग से चलवाया जाए । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता को बस किराए में कोई रियायत देने की घोषणा नहीं की गई है । इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय आबकारी मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं कुछ छोटे-छोटे बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, आर० टी० ओ० कार्यालयों में जिस प्रकार का वर्षों से भ्रष्टाचार रहा है जिसके कारण परिवहन से जुड़े हुए लोग सामान्य जनता का शोषण, लाइसेन्स बनाने की प्रक्रिया है, आने-जाने का परमिट बनाना हो उसमें दलाल लोगों की भूमिका के कारण जो भ्रष्टाचार था इसमें कारगर प्राविधान न हुआ तो शोषण वर्षों से चला आ रहा है वह चलता रहेगा । ऐसे अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आग्रह करूंगा कि इस ओर भी उनका ध्यान जाना चाहिए । दूसरी समस्या जो जिन्दगी से जुड़ी हुई है जहां परिवहन विभाग में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें वहीं साधारणतया जीपें चलती हैं किराये पर । आज इन जीपों के संचालन का नियमन नहीं है । बारह-बारह लोग जीपों पर बैठते हैं । किराया तय करने के लिए कोई नियम नहीं है । फिलहाल दुर्घटना होती है । दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वह भ्रष्टाचार का एक कारण है । यह जीप चलाने वाले लोग पुलिस थानों पर और परिवहन विभाग के कर्मचारियों को पैसे देते हैं । मेरा विनम्रतापूर्वक सुझाव है कि जो प्राइवेट तौर पर जीप चला रहे हैं उनका नियमन कर दिया जाय और दूरी के हिसाब से किराया तय कर दिया जाय कितने बैठेंगे यह तय कर लिया जाय तो इससे दो लाभ होंगे । एक तो व्यवस्था सुचारु रूप से चलेगी और जनता को भी इससे लाभ होगा और दूसरा जो सरकारी खजाने में पैसा जमा न करके अधिकारियों की जेब में जा रहा है वह रुक जायेगा । मान्यवर, इस व्यवस्था को लागू करने में केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है । मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जो प्रचन्ड इच्छा शक्ति के स्वामी हैं इस समस्या का हल निकाल सकते हैं । दो तीन बातें राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में कहना चाहूंगा । यह परिवहन निगम वर्षों-वर्षों से घाटे में रहा है और जो इसका संचित घाटा है वह अरबों में है । मगर वहीं यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिसम्बर माह तक के आंकड़े मेरे संज्ञान में है इस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पिछले कई वर्षों का रिकार्ड तोड़ते हुए पचास करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया है । अगर हम आलोचना करते हैं तो उस प्रबन्धन की प्रशंसा भी करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नयी व्यवस्था लागू की है उससे जनता की समस्याओं का हल होगा । परिवहन व्यवस्था सुचारु रूप से चलेगी और वहीं जो वर्षों वर्षों पार्य चला आ रहा है धीरे-धीरे परिवहन निगम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर पायेगा और अपने घाटे को पूरा कर पायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी मानिटरिंग समय-समय पर होनी चाहिए और व्यवस्था में जो-जो प्राविधान होने चाहिए वह शासन की ओर से निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होना चाहिए । तीसरी व्यवस्था जिसके बारे में सुझाव देना चाहूंगा । अगर हम आर्थिक कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो बिना संकोच मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुबन्ध पर बसें लगानी चाहिए और उनके साथ ऐसी शर्त लगानी चाहिए जो व्यवहारिक हो और उनको भी शूट करती हो और इससे आपके परिवहन निगम की व्यवस्था में निश्चित सुधार दिखायी दे । यात्री सुविधाओं के संबंध में यात्री पखवारा मनाया गया था और जो सूचना जनता के द्वारा मिलती रही है वह उत्साहजनक है । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रयोग वर्ष में दो बार अवश्य कराये जायें ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक नीति बनी है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों पर बसें चलाना बन्द करेंगे लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं लेकिन 5, 10, 15 कि० मी० जहां राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है, जनपदीय सड़के हैं, कस्बे

हैं जिनके सम्बन्ध में मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जिला उन्नाव में हसनगंज ऐसी जगह स्थित है जिसका अधिकांश हिस्सा राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं लेकिन थोड़ा हिस्सा राष्ट्रीयकृत नहीं है तो वहां सरकार द्वारा परिवहन व्यवस्था समाप्त करना ठीक नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अधिकांश रोड ऐसे हैं जिनमें निगम को लाभ हो रहा है जैसे मिर्जापुर में कछवा बाजार जो राष्ट्रीयकृत मार्ग से 16 कि०मी० दूर पड़ता है जिसका बाकी हिस्सा राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं इसलिए इसके थोड़े से भाग पर भी बस सेवायें जो बन्द कर दी गयी हैं उन्हें चालू करना चाहिए। मान्यवर, ऐसे भी उदाहरण हैं कि जहां मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है वहां पूरी की पूरी परिवहन सेवा बन्द कर दी गयी है। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस बिन्दु के ऊपर ध्यान दिया जाय। जिससे जन सामान्य को परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके। यह सुविधा बन्द हो जाने से प्राइवेट लोग अपनी बस सेवायें देने लगेंगे और वह फिर जड़ बनकर बैठ जायेंगे और लाभ वाली योजनाओं पर वह अपना अधिकार जमा लेंगे जिससे वहां पुनः अपनी बस चालू करवाना कठिन हो जायेगा।

मान्यवर, पूर्व परिवहन मंत्री श्री आर० के० चौधरी जी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं उनसे मैं कहना चाहता था कि वह भ्रष्टाचार के बारे में बड़े इक्सपर्ट हैं और वह कहते हैं कि आर० टी० ओ० से लेकर ऊपर तक सभी जगह भ्रष्टाचार फैला है किन्तु वह इस समय यहां अनुपस्थित हैं जिससे अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

मान्यवर, अन्त में केवल एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं कि समस्याओं की पहचान के अनुसार नियोजन करना चाहिए और नियोजन करने के पश्चात् उसे लागू करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं समझता हूं मंत्री जी विद्वान और बुद्धिमान हैं और वह आबकारी तथा मद्य निषेध विभाग से लेकर परिवहन विभाग तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, सदस्य विधान सभा झांसी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप कार्यसूची देख लें उसके मद संख्या–6 पर दिया है–मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों। मान्यवर, कल की कार्यवाही आपको याद होगी उसमें श्री चन्द्रपाल यादव के साथ जो अत्याचार हुआ है और उनके मकान को गिरा कर लाखों रुपये की लूट का काम पुलिस ने किया है, जो मुख्य मंत्री जी के इशारे पर किया गया है, उस सम्बन्ध में आपने कल सरकार को निर्देश दिया था कि कमिश्नर से इस घटना की जांच कराकर रिपोर्ट कल सदन के पटल पर रख देंगे।

मान्यवर, प्रतीक्षा यह कर रहे थे कि आपके निर्देश के हिसाब से आयुक्त की रिपोर्ट से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

कल सत्र की यह बात है आज के लिए कहा गया है आज अभी समय है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रश्न समय का नहीं है आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी या नहीं वह आ जाए।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय चौधरी जी ने कहा, वह विभाग बेसहारा है कोई पूर्णकालिक मंत्री इसमें नहीं है मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं आप उनकी व्यवस्तता जानते होंगे । माननीय आबकारी मंत्री का इस विभाग से दूर का रिश्ता भी नहीं है । वे आज इस विभाग की बहबूदी के लिए बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । जो बजट साहित्य किया गया है इसमें 97-98 में जो हमारा बस बेड़ा था । 7 हजार बसें और अनुबन्धित बसें 950 कुल 8150 बसें दिखाई गयी हैं । जो लक्ष्य 1999-2000 का दिखाया है वह 6 हजार बसों का है । 2 हजार इसमें अनुबन्धित बसें होंगी, कुल 8 हजार बसें । मान्यवर, एक तरफ तो जनसंख्या में वृद्धि हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बस बेड़ा घटाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को लाभ दिला रहे हैं । आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं तो इसमें किस तरह से उपलब्ध कराने का काम करेंगे । राष्ट्रीयकरण के साथ, आज हमारे प्रदेश में चलने योग्य जो अधिसूचित पक्की सड़के हैं वह हैं 90,700 किलोमीटर और केवल 22.323 किलोमीटर सड़के राष्ट्रीयकृत की गयी हैं जो कि कुल सड़कों का 24.61 प्रतिशत हैं । जहां एक तरफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश में शत-प्रतिशत मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं । आन्ध्रप्रदेश की सरकार ने कम्प्यूटराइज्ड कर दिया है । अगर कोई विलम्ब हो रहा है तो पूरी जानकारी हो जायेगी । उसके अनुसार यहां भी काम हो । राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ यहां लोग बसों में यात्रा के लिए प्रयासरत रहते हैं । विधायक सांसद दिल्ली की यात्रा करते हैं । यहां तो बस में बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती है ।

मान्यवर, अगर आप आन्ध्र प्रदेश का अनुकरण करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश को परिवहन के मामले में अच्छा बना सकेंगे । अभी कहा गया कि परिवहन विभाग में बसों का बेड़ा अधिक होने के कारण घाटा हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी बसें हैं उनका रख-रखाव ठीक प्रकार से हो और वह अच्छी हालत में रहे । मान्यवर, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों के अनधिकृत संचालन से परिवहन निगम को राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ रही है । बड़ी बसों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वाहन जैसे मिनी बसें, टाटा–407, स्वराज माजदा, मेटाडोर, टैम्पो आदि भारी संख्या में अनधिकृत रूप से चल रही है और गत सालों में ऐसे वाहनों की संख्या काफी हो गयी है । यह संचालन एक तो मार्गों पर बिना परमिट के अनधिकृत रूप से यात्री वाहनों का संचालन, दूसरे कान्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट लेकर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्टेज कैरिज के रूप में यात्री वाहनों के रूप में संचालन, तीसरे परमिटशुदा टैक्सियों व टेम्पों का राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निर्धारित सीमा से अधिक यात्रियों को ले जाना चौथे बिना परमिट भारी संख्या में कारों व जीपों का टैक्सी की तरह संचालन, पांचवें ट्रकों द्वारा यात्रियों को ढोना और छठे महानगरबस सेवाओं द्वारा अपने निर्धारित मार्गों को छोड़कर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन, तो मान्यवर, इन्होंने 6 कारण बताये हैं, तो मान्यवर, इन को दूर करने का काम किया जाये, अगर इनको हटाने का काम करेंगे तो आवागमन की सुविधा आप दे सकते हैं, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने इस बारे में कोई घोषणा भी नहीं की है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र टाण्डा का एक उदाहरण देना चाहता हूं, वहां से लखनऊ और कानपुर के रोज बहुत सी सवारियां आती हैं और 7-8 बसें चलती हैं और ट्रक से भी आदमी आते हैं और यह उसी दिन वापस भी चली जाती हैं, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बस चलायी थी, लेकिन वह कभी 5 बजे चलती थी और कभी 9 बजे चलती थी, यात्री उसकी रास्ता ही देखते रह जाते थे, उसका कहीं अता-पता ही नहीं रहता था, और वह ऊबकर दूसरे साधनों से चले आते थे, जब तक इनमें आप सुधार नहीं करेंगे तब तक आप जो राम राज्य की कल्पना करते हैं वह आने वाला नहीं है ।

मान्यवर, इसी तरह से परिवहन निगम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है उसमें चतुर्थ श्रेणी में भी रिजर्वेशन पूरा नहीं है समूह–क की बात छोड़ दीजिये। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसके लिये योग्यता का बहुत महत्व नहीं हुआ करता है उसमें केवल 18.59 प्रतिशत रिजर्वेशन है। समूह–क में केवल 9.86 प्रतिशत रिजर्वेशन है। पिछड़ी जातियों का रिजवेशन 27 प्रतिशत के अगेंस्ट 5.63 प्रतिशत समूह–क में है और चतुर्थ श्रेणी में 27 प्रतिशत के अगेंस्ट 20.2 प्रतिशत है। कोटे को पूरा करने के लिये मेरा सुझाव है कि एक विशेष चयन अभियान चलाया जाय और इन कोटे के पदों का विज्ञापन निकाल कर इनकी भर्ती की जाय जिससे कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों का कोटा पूरा हो सके। इससे निश्चित रूप से समाज का हित होगा। मेरा यह भी सुझाव है कि परिवहन विभाग को यदि अच्छा बनाना है तो उसको आबकारी से मुक्ति दिलानी होगी और भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। इस विभाग की उपेक्षा इसी से जाहिर होती है कि 95 मंत्री होते हुये भी इस विभाग का एक पूर्णकालीन मंत्री नहीं है इससे समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय चौधरी साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री विद्यासागर गुप्ता–

मान्यवर, मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। आगरा में होलीपुरा पिछले 25 वर्षों से वहां पर बस स्टाप था। इसको खत्म कर दिया गया है और बसों को वहां से मोड़ दिया गया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि होलीपुरा बस स्टाप को फिर से चालू किया जाय। इसी तरह से दूसरा सुझाव है कि लखनऊ में थ्रीव्हीलर्स को बहुत कम कर दिया गया इसका कोई आल्टरनेटिव नहीं निकाला गया है। 5-6 महीने से इस पर केवल विचार चल रहा है जिससे आवागमन की व्यवस्था न होने के कारण लखनऊ की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि परिवहन विभाग द्वारा लखनऊ में बसें चलायी जायं।

*श्री राम नरेश रावत–

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 मार्ग थे। यह बहुत इंटीरियर क्षेत्र में थे। यह एक तो हापुड़ दतियाना मार्ग था और दूसरा मेरठ भरना मार्ग था। मेरठ भरना मार्ग 8 कि० मीटर और हापुड़ दतियाना 6 कि० मीटर राष्ट्रीय मार्ग हैं। हमारे यहां डग्गामार बसें नहीं चलती हैं। मेरा निवेदन है कि इन दोनों रूटों पर सरकारी बस सेवा शुरू करा दीजिये।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का आग्रह करने पर शोर/व्यवधान)

आचार्य रामदेव वेदय–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक मिनट में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। रुदौली जो पहले बाराबंकी में था अब फैजाबाद जनपद का अंग है। रूदौली के पटरंगा, रेजघाट रोड तथा कामाख्या भवानी मन्दिर से फैजाबाद के लिए बसें चलायी जाये जिससे लोगों को कचेहरी वगैरह जाने में सुविधा हो सके।

*श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, उमरदा से सुखसेनपुर–दिल्ली बस जाया करती थी तथा सुखसेनपुर से कानपुर आया करती थी वह बसें बन्द हो गयी हैं। पुनः वह बसें प्रारम्भ कीजिए। मान्यवर, कन्नौज हमारा नया जनपद बना है। तिर्वा तहसील है। एक बस सौरिख से तिर्वा होते हुये, दूसरा अवसेर से तिर्वा होते हुये कानपुर और तीसरी सुरसी से तिर्वा होते हुए चलवा दें तो लोगों को तहसील मुख्यालय आने में असुविधा नहीं होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, क्वालिटी और क्वांटिटी का सवाल है, यह सही है कि जो बसें अधिक मात्रा में चल रही थी वह कम हो गयी लेकिन जितनी भी बसें चल रही हैं उनकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए । क्वालिटी ठीक क्यों नहीं है ? कम्पनी से, कारखाने से दुरुस्त होकर बसें आती हैं । परिवहन निगम में आने के बाद उनमे दीमक लग जाता है । एक सुनियोजित गैंग चल रहा है । उनमे से इंजन के पुर्जे, टायर और कीमती पार्ट निकाल दिया जाता है । यह गैंग समूचे उत्तर प्रदेश में चल रहे है, उनको आप चेक कीजिए, उस पर पाबन्दी लगायी जाये । दूसरा यह है कि जनसंख्या बढ़ रही है । सेवा नहीं बढ रही है और इन्कम उस रेशियो में नहीं बढ रहा है । हम तो अक्सर बस से यात्रा करते हैं, जब कन्डक्टर पीकर चलेगा तो वह चेक नहीं कर पाता है, सारी सवारियां बगैर टिकट के चलती हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है । इसलिए कोई ठोस और सुनियोजित व्यवस्था बनायी जाये । जिससे लोग बिना टिकट यात्रा न कर सके । कन्डक्टर को आप दण्डित करें । समूचे उत्तर प्रदेश में जितने डिपोज हैं, 10 वर्षों का असेसमेंट करा लिया जाये, एक अध्ययन समिति बना लिया जाये और इसको देख लें । आने वाले वर्षों में इन्कम ज्यादा होनी चाहिये । मुझे जानकारी है कई ऐसे डिपो हैं, जिसमें पहले इन्कम ज्यादा थी बाद में इन्कम कम हो गयी । कम होने का सवाल क्या है, इसलिये भी वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, अतः आप अध्ययन समिति बनाकर इसको करें । एक सुझाव और है, राष्ट्रीयकृत मार्ग, इन्कम बढ़ाने के श्रोत हैं एक अच्छी बसें दूसरी खराब बसें । जो खराब, घटिया बसें हैं, उनको नये मार्ग दिये जाये, नये मार्ग स्वीकृत करके उनको वहां डाला जाये । राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अच्छी बसें चलायी जाये, बस स्टेशनों पर सुविधा ज्यादा हो आज नर्क है, कोई सुविधा नहीं है, इस ओर ध्यान दें । इन्हीं सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बहुत सारे सुझाव इस चर्चा पर आ गये और बहत उपयोगी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं । कुछ में जटिलतायें हो सकती हैं, कुछ में अर्थिक कारण हो सकते हैं, जानबूझ करके परिवहन राज्यमंत्री को अपमानित करने की जो कार्यवाही की जा रही है, उसमें पैसा नहीं लगेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इसका बजट से क्या संबंध है?

श्री अम्बिका चौधरी–

जो प्रशासनिक प्रबन्धन है, उसने माननीय मंत्री जी को इतना ह्यूमिनिलेट कर दिया है कि वह अपने बजट के दिन उपस्थित भी नहीं हो सके, इसको दूर करिये । दूसरी बात अगर मुख्यमंत्री जी उनको पसन्द नहीं करते, तो इस विभाग के अलावा कोई दूसरा विभाग दे दें, बिना विभाग के मंत्री बना दें । यह सभी माननीय सदस्यों की राय है ।

(व्यवधान)

ऐसी स्थिति में इतना बड़ा दण्ड ऐसे लोगों को देने का काम किया जा रहा है जिन लोगों ने पाया लगाने का काम किया था । परिवहन राज्य मंत्री और अन्य मंत्रियों का आज इनके यहां दुर्गति हो रही है ।

श्री आर० के० चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन किया है । मैं कहना चाहूंगा कि 5 मई, 1947 को उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा पहली बस लखनऊ से बाराबंकी चलाई गई थी । उसके बाद एक जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया धीरे धीरे इसमें बसों का बेड़ा बढ़ता गया और 8 हजार का बस

बेड़ा हो गया लेकिन यह दुःखद है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह बेड़ा ४ हजार से घटकर 6 हजार 927 हो गया है । जिसमें से 1105 बसें निष्प्रयोज्य हैं लगभग एक हजार या उससे भी ज्यादा ऐसी बसें हैं जो ओवर डेट यानी बूढ़ी हो चुकी हैं । निस्प्रयोज्य बताई नहीं गई हैं लेकिन पूरे प्रदेश में कब कहां खड़ी हो जाएं कोई ठिकाना नहीं है । इस समय आपके पास पांच हजार से अधिक बसें नहीं हैं । यह साबित करता है कि पिछले दिनों जितनी बसें उत्तर प्रदेश में चलती थी आज उतनी बसें नहीं चल रही हैं । अभी डा० अम्मार साहब कह रहे थे कि उनके यहां सीतापुर से महमूदाबाद तक पिछले कई वर्षों से 24 बसें चलती थीं परन्तु आज उनमें से मात्र दो बसें रह गई हैं । इसी से पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर बसों में कमी आई है । इस बजट साहित्य में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वह बिल्कुल फर्जी हैं । मेरा सुझाव है कि मंत्री जी ने नगरीय बस सेवा के बारे में इस सदन को अवगत नहीं कराया है । बहुत से महानगरों में प्रदूषण की समस्या है । परिवहन की समस्या है इसके निदान के लिये खास तौर से जो लखनऊ में बड़े पैमाने पर टैम्पो का संचालन हो रहा है । जिसके बारे में माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया था कि 6 महीने के अन्दर इन्हें हटाकर इसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाय परन्तु इसके लिये कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बात कर लें । एक पुरानी योजना है, जैसा कि नेपाल के काठमाण्डू में इलेक्ट्रिक ट्राली की बसें चल रही हैं, लखनऊ की राजधानी में उसका अध्ययन हो चुका है, उत्तर प्रदेश के ऐसे नगरों में भी इलेक्ट्रिक ट्राली बसें चलायी जा सकती हैं । जल परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये । आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में जहां पर शत-प्रतिशत मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं, वहीं पर हमारे यहां 24.6 प्रतिशत मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं । जब वहां पर निगम घाटे में नहीं है तो यहां पर क्यों है । इसका एक ही कारण है भ्रष्टाचार । बसों की हालत तो यह है कि हार्न छोड़ सब बाजत है, ब्रैक छोड़ सब लागत है । ब्रैक को छोड़कर यहां दलाली घूंस आदि सब लगते हैं । इसके लिये कार्य योजना बनानी पड़ेगी, कड़ाई करनी पड़ेगी तभी हम निगम को घाटे से उबार सकते हैं । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक का अध्ययन कर लें, यदि वहां पर घाटा नहीं है तो यहां पर क्यों ? इसके लिये दृढ़ता से और ईमानदारी से काम करने की जरुरत है । इन्हीं सुझावों केसाथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, सर्वश्री चौधरी जी, बनवारी लालजी, लालजी वर्मा, गोरखनाथ पाण्डेय, बाबूराम जी, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, रामजग जी, डा० डंग जी, श्री शाक्य जी तथा श्री अम्बिका चौधरी जी ने, यद्यपि कोई ठोस सुझाव तो उन्होंने दिया नहीं, इन सभी का चर्चा में भाग लेने के लिये मैं आभारी हूं । श्री चौधरी जी स्वयं परिवहन मंत्री रहे हैं । 1972 में जो घाटा था तब से लेकर आज तक श्री चौधरी जी के सत्ता संभालने के बाद 488.3 करोड़ रुपये का घाटा था । सभी अखिलेखों को मैंने देखा और देखने के बाद में इस स्थिति में नहीं पहुंच सका कि श्री चौधरी जी उस घाटे को कम कर पाये कि नहीं । शायद इस बात को वह भूल गये, जो आंकड़े उन्होंने पढ़े । मैंने पहली ही इस बात का उल्लेख किया था कि दिसम्बर, 1998 तक हमने 43 करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि के अतिरिक्त आमदनी की है । यह अतिरिक्त आमदनी इस बात का द्योतक है कि घाटे की जो परम्परा चली आ रही थी, उस घाटे की हम प्रतिपूर्ति कर रहे हैं और निगम को आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं । बसों की संख्या कम होने के बाद भी हमने अधिक किलोमीटर की यात्रा तक की है । जितना हमारा बस बेड़ा है, उसका अधिक से अधिक हम प्लान्ट लोड फैक्टर निकालने का काम कर रहे हैं । हमने अभी तक 90 प्रतिशत कार्यकुशलता सम्पादित की है । आप स्वयं परिवहन मंत्री रहे हैं, कटौती का प्रस्ताव तो आपने औपचारिकतावश किया है मुझे विश्वास है कि आप इसे वापस लेंगे । मान्यवर, 2-3 चीजों पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं ।

अभी कम्प्यूटर के क्षेत्र में चर्चा हुई । लाल जी वर्मा जी ने चर्चा की थी । परिवहन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस बार कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा इसके लिये ढाई करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । आप का सुझाव मान लिया गया है । कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । सैनिक और अर्द्धसैनिक जिन्हें प्लैन्टी अवार्ड प्राप्त हुआ है उन्हें बस में यात्रा की मुफ्त सुविधा प्रदान किये जाने की बात कही हैं मैं सदन में इस बात की घोषणा करता हूं कि सैनिक और अर्द्धसैनिक जिन्हें फैन्टी अवार्ड मिला है उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा बस में हम प्रदान करेंगे । चौधरी साहब ने डग्गामार बसों की तरफ जो ध्यान आकृष्ट किया है इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमने परिवर्तन के प्रभावी कदम उठाये हैं । सदन में इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि चेकिंग के दौरान 2,46,913 वाहन पकड़े । 10,59,15 वाहनों का चालान किया गया । 5,910 वाहनों के लिये सम्मानवाद जारी किये और 12.40 लाख रुपये सम्मन शुल्क के लिये धारा 207 के अन्तर्गत 29371 पकड़े गये । इस प्रकार निरन्तर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि डग्गामार बसों के ऊपर कार्यवाही की जाय । प्रभावी रूप से इन पर रोकथाम की जाय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ऐसे वाहनों को चलाने से रोका जाय । बाबू राम जी ने कहा कि हमने कोई नई योजना घोषित नहीं की है । जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 300 नई बसें बेड़े में डाली गई हैं । आई० डी० बी० आई० से 25 करोड़ और सेन्ट्रल बैंक से 20 करोड़ का ऋण प्राप्त करके पुरानी बसों की जगह पर नई बसों की स्थापना करने की स्वीकृति मिल गई है । प्रतिमाह 80 से लेकर 100 बसों को चलाने से परिवहन निगम की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी ।

जनता को इससे सुविधा प्राप्त हो सकेगी । मान्यवर, मैंने पहले आपको बताया कि परिवहन निगम जिन रूटों पर बसें चलाता है राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उसमें कोशिश करेगे अण्डरटेकिंग के माध्यम से कि संख्या में वृद्धि करें, कमाण्डो जीप और मिनी बसें संचालित करने की व्यवस्था की जा रही है यदि कोई माननीय सदस्य यह प्रस्ताव लाएगा कि उन रूटों पर चलने के लिये अण्डरटेकिंग के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाए, मैं गारन्टी देना चाहता हूं दो दिन के भीतर उस रूट पर चलने की इजाजत दी जाएगी । मान्यवर, हम प्रदेश में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं सार्वजनिक उपक्रम निगम निरन्तर घाटे में चल रहे हैं इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं प्रदेश केअन्य मार्गों को भी चिन्हित किया जाएगा और घोषणा की जाएगी । निजी क्षेत्र की परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी । माननीय चौधरी जी ने टैम्पो के संदर्भ में चिन्ता व्यक्त की है । इसमें उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 6 महीने में वैकल्पिक व्यवस्था बना लें इसमें समिति बन गई है प्रस्ताव हमारे पास आए हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है वैकल्पिक व्यवस्था सरकार बनायेगी सरकार इसमें चिन्तित है । इसके अलावा चौधरी साहब ने आरोप लगाया कि माननीय मुख्य मंत्री जी का पुत्र परिवहन विभाग को संचालित कर रहा है यह आरोप निराधार है इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है । इनको उपाध्याय जी के समय का ख्याल आ गया जब रामवीर उपाध्याय जी मंत्री थे तो 175 अवैध नियुक्तियां कर दी गई उनको निरस्त कर दिया गया और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में कहा गया उन पर अंकुश किया गया है । 7 लोगों को निलम्बित किया गया है और 10 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह विभाग भ्रष्टाचार को रोकने के लिये पारदर्शिता लाने के लिये प्रयत्नशील है हम निश्चित रूप से आगे ठीक प्रकार से बेहतर सुविधायें प्रदान कर सकेंगे । जो सुझाव और कठिनाईयां रखी गई हैं सरकार उसमें ध्यान देगी और कोशिश करेगी कि उन कठिनाईयों और समस्याओं का निराकरण किया जा सके । आपके सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके ऐसा प्रयास हम करेंगे । माननीय सदस्य जनहित में कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें यह प्रदेश के लिये श्रेयस्कर होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

परिवहन विभाग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य वापस ले रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी–

परिवहन मंत्री की हैसियत से मैंने भी माननीय सदन में बजट पेश किया था । मेरे समय में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सबसे कम घाटे में था मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से इनकी सरकार अगर हमारे कार्यकलाप की नकल कर ले तो निगम उबर जाएगा । मंत्री जी ने कहा है निजी क्षेत्र में बढ़ावा देंगे मैं निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का सख्त विरोधी हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 28,48,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव सदस्य, विधान सभा, झांसी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार संबंधी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपके द्वारा दिये गये निर्देश के संबंध में प्रार्थना है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, काफी कार्य बचा है चर्चा अलग हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, चाहे एक घंटे की कार्यवाही हो चाहे दस घंटे की कार्यवाही हो, एक माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ अमानवीय घटना हुई है उसमेंआपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है औपचारिक कार्यों में हम पड़े रहे यह उचित नहीं है । मैंने विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध किया आप कृपा पूर्वक झांसी आयुक्त की रिपोर्ट मंगवा लें और सदन को अवगत करा दें वरना सदस्यों के हितों की रक्षा नहीं हो सकेगी आप सदन में झांसी आयुक्त की रिपोर्ट मंगवा लें या हम सबको बाहर करवा दें । श्रीमन्, इसका कोई अर्थ नहीं है । मान्यवर, वह रिपोर्ट क्या आयी इसके बारे में बता दें । यह माननीय सदस्य के अधिकार का मामला है । उसको लिये बिना इन औपचारिक् कार्यों को लिया जायेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं । कल मैंने निर्देश दिया था कि मण्डलायुक्त झांसी से परीक्षण कराकर सूचित करें । शासन को यह बाध्य नहीं किया जा सकता है कि ठीक इस मद के बाद वह रिपोर्ट दें । अभी सदन चल रहा है और उसकी गम्भीरता है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पहले आपकी व्यवस्था आ जाय । सारी मदें समाप्त हो जायें और कल के लिये सदन स्थगित हो जाय उसके बाद आना हो तो इसका कोई अर्थ नहीं है ।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

अभी बहुत सी मदें बाकी हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है । एक माननीय सदस्य के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है । आपने कृपापूर्वक शासन के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अपनी राय न व्यक्त करते हुये रिपोर्ट मंगाने की बात कही है हम उसके लिये आपके आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो रिपोर्ट आनी है मंगवा लें और सदस्य को अवगत करा दें उसके संबंध में व्यवस्था दे दें । मान्यवर, कहीं यह नहीं लिखा है कि तीन बजकर उनचास मिनट में अगर यह पारित नहीं होगा तो गड़बड़ हो जायेगा । आप सूचना मंगवा लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आप बाध्य तो नहीं कर सकते हैं । यह तो प्रकारान्तर से कार्य रोको प्रस्ताव हो गया । जब तक यह नहीं लिया जायेगा कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी । सदन चल रहा है और आपसे अपेक्षा है कि आप सहयोग करें । इतना तो विश्वास रखकर चलना चाहिये । ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कार्यवाही समाप्त हो रही है । थोड़ी प्रतीक्षा करें । अभी एक मद ऐसी है जिसमें बहस होनी है । कृपया कार्यवाही चलने दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपसे यह बता दिया कि कार्य स्थगन हो जायेगा तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे कार्य स्थगन ही मानलें और सूचना मंगा लें इसमें कार्य स्थगन में पहले सूचना देना आवश्यक नहीं है । आप वरिष्ठ है, विद्वान हैं आप जानते हैं कि सदस्य के अधिकार की रक्षा कैसे हो सकती है । जो नियम मुझे ज्ञात नहीं है कृपया उन्हीं नियमों से एक पर इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर ले लें ।

(व्यवधान)

श्री रामऔतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट आ गयी है तो जब रिपोर्ट आ गयी है तो उसे सदन में प्रस्तुत करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर विपक्ष के माननीय सदस्यों को प्रताड़ित करने की सरकार की योजना है तो मेरा आरोप है कि शसान के निदेशानुसार माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया । आज भी यह परिलक्षित हो रहा है तो यह बात उचित नहीं है । मान्यवर, माननीय सदस्य के अधिकारों की रक्षा जिन नियमों में सम्भव हो वह करें ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि जांच रिपोर्ट को आप मंगवा लें और उससे सदन को अवगत करा दें । (व्यवधान) आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । (व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

(व्यवधान) मान्यवर, आपने अभी व्यवस्था दिया है और बताया है कि श्रम विभाग का बजट है, नियम–103 के अन्तर्गत चर्चा लगी है एवं नियम 51 की सूचनायें हैं, इस तरह अभी लम्बे समय तक सदन का कार्य चलना है, यह आपने व्यवस्था दिया था । लेकिन बीच में विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों का सदन की कार्यवाही के मध्य व्यवधान डालने का क्या औचित्य है ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठ जायं । मैं आप लोगों को अनुमति नहीं देता हूं । जो निर्देश हैं उनकी आप प्रतीक्षा करें । आप लोग शान्त रहें और अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान और श्री चन्द्रपाल सिंह यादव एवं कई सदस्य सदन के वेल में आकर एक साथ अपनी-अपनी बाते कहने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहें । (घोर व्यवधान) कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में नारे लगाते रहे और कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट आ गयी है)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री चन्द्र पाल सिंह, श्री अम्बिका चौधरी, श्री रामचिशुन आजाद आदि समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे और आयुक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग करते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं मद लेता हूं । मद संख्या–7(3)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–19

कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष मेंअनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,01,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,01,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

–अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)

मद संख्या 7(4)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,17,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यों में से श्री चन्द्र पाल सिंह यादव यह कहने लगे कि आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार सदन मेंआयुक्त की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत की जा रही है । समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या कराने की साजिश की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,17,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब मैं सदन को 3.45 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,62,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,62,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

–अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,27,93,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,27,93,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 67, 68 एवं 59 में संशोधन हेतु मुख्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, अब अपना शोधन वक्तव्य प्रस्तुत करें ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से शोधन वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

कम्प्यूटर प्रोग्राम की त्रुटि के कारण अनुदान संख्या 67 व 68 में भत्तों आदि में अपर्याप्त धनराशि प्रस्तावित की गई है और अनुदान संख्या 59 में राजकीय आवास अनुरक्षण मद में (50 लाख के बजाय 5 करोड़ मुद्रित है) इस कमी के बराबर अतिरिक्त धनराशि त्रुटिवश प्रस्तावित हो गई है।

अतः वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक साहित्य की निम्नांकित पुस्तिकाओं में उल्लिखित पृष्ठों पर निम्न विवरण के अनुसार संशोधित आंकड़े पढ़े जायं।

आय-व्ययक साहित्य का विवरण					वर्तमान में मुद्रित धनराशि			संशोधित धनराशि		
खण्ड संख्या	अनुदान संख्या	पृष्ठ संख्या	लेखा शीर्षक का कोड		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
1	2	3	4		5			6		
5 (7)	67	115	उस धनराशि का अनुमान जिसकी वित्तीय वर्ष 1999-2000 में व्यय के लिये आवश्यकता है।	मतदेय	6094300	—	6094300	75678000	—	75678000
				भारित	2035000	—	2035000	2204000	—	2204000
			20110000000000000	मतदेय	60923	...	...	75658	...	...
				भारित	2035	...	...	2204	...	...
			योग राजस्व लेखा	मतदेय	60943	...	...	75678	...	...
				भारित	2035	...	...	2204	...	...
			कुल योग	मतदेय	60943	...	...	75678	...	...
				भारित	2035	...	...	2204	...	...
	116		201102102000000	मतदेय	26715	...	...	41450	...	...
				भारित	2035	...	...	2204	...	...
			योग : 02	मतदेय	60923	...	...	75658	...	...
				भारित	2035	...	...	2204	...	...
			योग : 2011	मतदेय	60923	...	...	75658	...	...
				भारित	2035	...	...	2204	...	...
			योग राजस्व लेखा	मतदेय	60943	...	...	75678	...	...
				भारित	2035	...	...	2204	...	...
			कुल योग	मतदेय	60943	...	...	75678	...	...
				भारित	2035	...	...	2204		...
	117		201102102030004	मतदेय	22000	...	...	30000	...	...
			201102102030006	मतदेय	230	...	...	6230	...	...

			भारित	5	...	...	174	...	...	
		201102102030013	मतदेय	1000	...	...	1735	...	...	
		योग : 03	मतदेय	26715	...	...	41450	...	...	
			भारित	2035	...	...	2204	...	...	
		योग : 102	मतदेय	26715	...	...	41450	...	...	
			भारित	2035	...	...	2204	...	...	
	118	योग : 02	मतदेय	60923	...	...	75658	...	...	
			भारित	2035	...	...	2204	...	...	
		योग : 2011	मतदेय	60923	...	...	75658	...	...	
			भारित	2035	...	...	2204	...	...	
68	119	उस धनराशि का अनुमान जिसकी वित्तीय वर्ष 1999-2000 में व्यय के लिये आवश्यकता है ।	मतदेय	210733000	...	21073000	238712000	...	238712000	
			भारित	3519000	...	3519000	5636000	...	5636000	
		201100000000000	मतदेय	210673	...	...	...	...	238652	
			भारित	3519	...	...	...	...	5636	
		योग राजस्व लेखा	मतदेय	210733	...	...	238712	...	...	
			भारित	3519	...	...	5636	...	...	
		कुल योग	मतदेय	210733	...	...	238712	...	...	
			भारित	3519	...	...	5636	...	...	
	120	201102101000000	मतदेय	136939	...	...	164918	...	...	
			भारित	3519	...	...	5636	...	...	
		योग : 02	मतदेय	210673	...	...	238652	...	...	
			भारित	3519	...	...	5636	...		
		योग : 2011	मतदेय	210673	...	...	238652	...	...	
			भारित	3519	...	...	5636	...	...	
		योग राजस्व लेखा	मतदेय	210733	...	...	238712	...	...	
			भारित	3519	...	...	5636	...	...	

1	2	3	4		5			6		
			कुल योग	मतदेय	210733	...	...	238712	...	...
				भारित	3519	...	...	5636		...
		121	2011021000030003	मतदेय	2592	...	...	0	...	...
				भारित	23	...	...	0	...	...
			201102101030004	भारित	18	...	...	1800	...	...
			201102101030006	मतदेय	729	...	...	31300	...	...
				भारित	6	...	...	364	...	...
			योग : 03	मतदेय	136939	...	...	164918	...	...
				भारित	3519	...	...	5636	...	...
			योग : 101	मतदेय	136939	...	...	164918	...	...
				भारित	3519	...	...	5636	...	...
		122	योग : 01	मतदेय	210673	...	...	238652	...	...
				भारित	3519	...	...	5636	...	...
		2011	योग : 01	मतदेय	210673	...	...	238652	...	...
				भारित	3519	...	...	5636	...	...
5(6)	59	117	उस धनराशि का अनुमान जिसकी वित्तीय वर्ष 1999-2000 में व्यय के लिये आवश्यकता है ।	मतदेय	339528000	...	395289000	294528000	...	350289000
			221600000000000	मतदेय	100200	...	...	55200	...	...
			योग राजस्व लेखा	मतदेय	339528	...	...	294528	...	...
			कुल योग	मतदेय	339528	...	...	294528	...	...
		119	221601700000000	मतदेय	100200	...	...	55200	...	...
			योग : 2216	मतदेय	100200	...	...	55200	...	...
			योग राजस्व लेखा	मतदेय	339528	...	...	294528	...	...
			कुल योग	मतदेय	339528	...	...	294528	...	...
		127	221601700040229	मतदेय	58000	...	...	13000	...	...
		128	योग : 04	मतदेय	96115	...	...	51115	...	...
			योग : 2216	मतदेय	100200	...	...	55200	...	...

खण्ड संख्या	आय-व्ययक साहित्य का विवरण पृष्ठ संख्या	विवरण	वर्तमान में मुद्रित धनराशि आय-व्ययक अनुमान आयोजनेत्तर	वर्तमान में मुद्रित धनराशि न्यूनाधिकतायें वृद्धि +कमी - आयोजनेत्तर	संशोधित धनराशि आय-व्ययक अनुमान आयोजनेत्तर	संशोधित धनराशि न्यूनाधिकतायें वृद्धि +कमी - आयोजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7
		वित्तीय स्थिति की समीक्षा				
2(1)	20					
		सामान्य सेवायें	13532.61	866.94	13536.87	871.20
		सामाजिक सेवायें	7389.54	971.08	7385.28	966.82

खण्ड संख्या	आय-व्ययक साहित्य का विवरण अनुदान संख्या	पृष्ठ संख्या	मुख्य लेखा शीर्षक	वर्तमान में मुद्रित धनराशि आय-व्ययक अनुमान 1999-2000 आयोजनेत्तर	संशोधित धनराशि आय-व्ययक अनुमान 1999-2000 आयोजनेत्तर
1	2	3	4	5	6
			समेकित निधि से व्यय		
2(1)	67	1	2011	62958	77862
	68		2011	214162	244288
			योग : 2011	277150	322150
		2	योग (क)	3593212	3638212
		9	योग क	135326101	135371101
	59	12	2216	100205	55205
			योग : 2216	211927	166927
			योग : (ग)	321750	276750
		18	योग : ख	73895397	73850397

1	2	3	4		5		6	
			सकल एवं शुद्ध व्यय के अनुदानवार विवरण		सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
2(1)	59	24	2216		100200	100200	55200	55200
			योग : राजस्व लेखा		339528	339528	294528	294528
	59	25	योग अनुदान संख्या 59		339528	339528	294528	294528
	67	28	2011	मतदेय	60923	60923	75658	75658
				भारित	2035	2035	2204	2204
			योग : राजस्व लेखा	मतदेय	60943	60943	75678	75678
				भारित	2035	2035	2204	2204
	67		योग : अनुदान संख्या 67	मतदेय	60943	60943	75678	75678
				भारित	2035	2035	2204	2204
	68	28	2011	मतदेय	210673	210673	238652	238652
				भारित	3519	3519	5636	5636
			योग : राजस्व लेखा	मतदेय	210733	210733	238712	238712
				भारित	3519	3519	5636	5636
	68		योग : अनुदान संख्या 68	मतदेय	210733	210733	238712	238712
				भारित	3519	3519	5636	5636
	38		योग : राजस्व लेखा	मतदेय	178684077	175516127	178681791	175513841
				भारित	76107885	76107885	76110171	76110171

आय-व्ययक साहित्य का विवरण				वर्तमान में मुद्रित धनराशि		संशोधित धनराशि	
खण्ड संख्या	अनुदान संख्या	पृष्ठ संख्या	विवरण	आय-व्ययक 1999-2000	न्यूनधिकतायें प्रतिशत	आय-व्ययक 1999-2000	न्यूनाधिकतायें प्रतिशत
1	2	3	4	5		6	
2(2)	...	3	बजट एक दृष्टि में (वर्ष 1999-2000)				
			2–अधिष्ठान व्यय	126668557	43.95	126712822	44.00
			5–कार्यालय व्यय/खर्चे	3795887	–32.06	3796622	–32.05
			7–अनुरक्षण	4419906	- 19.63	4374906	–18.41
			बजट समीक्षा				
2(2)	59	62	3–अनुरक्षण	127704	89.61	82704	22.80
	67	70	1–अधिष्ठान व्यय	58688	9.88	72857	11.88
	67	70	3–कार्यालय व्यय/खर्चे	3850	-6.21	4585	26.48
	68	71	1–अधिष्ठान व्यय	187123	-3.28	217219	12.27

खण्ड 2 (भाग–1) के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के पृष्ठ–18 में दी गई तालिका में क्रम संख्या 3 पर भा/स से सहायता/अनुदान में वित्तीय वर्ष 1998-99 के पुनरीक्षित अनुमान की धनराशि में मुद्रण की त्रुटि के कारण 3120.15 के स्थान पर 2120.15 छप गया है तथा इसी मद में न्यूनधिकताओं में 603.08 के स्थान पर 1603.08 छप गया है जिससे प्रतिशत 119.32 के बजाय 175.61 छप गया है जबकि पृष्ठ 17 की प्रथम तालिका में क्रमांक 3 पर अंकित सही विवरण ही पृष्ठ 18 पर छपनी चाहिये थी । मुद्रण की इस त्रुटि का भी संशोधन निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

आय-व्ययक साहित्य का विवरण				वर्तमान में मुद्रित धनराशि			संशोधित धनराशि		
खण्ड संख्या	अनुदान संख्या	पृष्ठ संख्या	विवरण	पुनरीक्षित अनुमान 1998-1999	न्यूनधिकतायें	प्रतिशत	पुनरीक्षित अनु- मान 98-99	न्यूनाधिकतायें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2(1)	...	18	वित्तीय स्थिति की समीक्षा भा/स से सहायता/अनुदान	2120.15	1603.08	175.61	3120.15	603.08	119.32

श्री अध्यक्ष–

इस शोधन वक्तव्य की प्रतियां वितरित करा दी जायं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष–

एक शब्द ''प्रिन्टर्स डेविल'' की जगह पर ''कम्प्यूटर्स डेविल'' हो गया है ।

संशोधन विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के भाषण को [x x x] का पुलिन्दा कहा गया था वह इससे साबित हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रिन्टर्स डेविल कहा जाता था अब उसकी जगह पर कम्प्यूटर्स डेविल हो गया है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव सदस्य, विधान सभा झांसी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार सम्बन्धी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के माध्यम से आपने माननीय चन्द्रपाल सिंह से संबंधित मामले को कृपा पूर्वक सुना था और पीठ से निर्देश जारी हो गये थे । इस संबंध में जो रिपोर्ट आयी उसके बारे में मुख्य बिन्दु यह था कि पुलिस विभाग के ऊपर आरोप है और उन्हीं से रिपोर्ट मंगवायी गयी, यह उचित नहीं है । आपने निर्देश दिया था, इसलिए कमिश्नर झांसी से जांच करवायी गयी । अतः कमिश्नर की रिपोर्ट की फोटो स्टेट प्रति मुझे प्राप्त हुयी है । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ''संगत अभिलेखों/कागजात का संग्रहण परगना मैजिस्ट्रेट, मोंठ तथा थानाध्यक्ष मोंठ के माध्यम से करवाया गया तथा कस्बा मोंठ में पहुंच कर वहां के कतिपय निवासियों से जानकारी की गयी । कल भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था । झांसी कानपुर नेशनल हाइवे, मोंठ का भवन चन्द्रपाल के कब्जे में है और वह 5 वर्ष से रह रहे हैं । मान्यवर, आप अभिलेख देख लें पिछली किरायेदारी की रसीद है । उस मकान को स्वामित्व का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं आया है । मान्यवर, कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिनांक 25-2-99 को उनके कस्बा मोंठ स्थित मकान तथा बाद में ग्राम बुढ़ावली स्थित उनके घर में कुर्की की कार्यवाही की गयी । जब कुर्की की कार्यवाही की गयी तो आदरणीय चन्द्रपाल मौजूद थे । उस रिपोर्ट में उल्लेख है कि कस्बा मेरठ में स्थलीय जांच के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय विधायक श्री चन्द्रपाल सिंह यादव उपरोक्त मकान में कभी-कभी रुकते हैं । जबकि मान्यवर, मोंठ में चन्द्रपाल जी विगत 5 वर्षों से किराया देकर रहते हैं । मान्यवर, इसके अलावा इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2 पर पैरा 2 में उल्लेख है कि श्री राज कुमार पुत्र नारायण दास यादव निवासी ग्राम शाहजहांपुर, थाना शाहजहांपुर, तहसील मोंठ जिला झांसी की ओर से श्रीमान कोतवाली इंचार्ज महोदय मोंठ को संबोधित पत्र दिनांक 22-2-1999 थाना मोंठ पर प्राप्त करवाया गया । इस पत्र में लगाया गया आरोप प्रभारी निरीक्षक, थाना मोंठ द्वारा जांच उपरान्त असत्य एवं निराधार पाया गया । इस संबंध में एफ० आई० आर० थाना मोंठ पर अंकित नहीं की गयी ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, कमिश्नर की जांच से साबित है कि समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को फर्जी मुल्जिम बनाया जाता है । उसमें एक ही दिन में कुर्की का आदेश प्राप्त कर लिया जाता है । लेकिन जो दरख्वास्त थाने में देना सिद्ध है उस पर एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गयी है ।

यह बार-बार दावा करते हैं और हमारा कल भी निवेदन था कि आपके द्वारा थोथे, [x x x] विशुद्ध फर्जी हैं । भ्रामक सूचना आप देते हैं इस सदन में और इस प्रदेश को भी । मान्यवर, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुल्जिम बनाया गया था, उसमें ब्लाक प्रमुख, प्रधान आदि थे । कमिश्नर साहब की रिपोर्ट आयी है । असली बात मैं इस सम्बन्ध में इस मिनट में कह देना चाहता हूं । ये किराये की तीन रसीदें हैं, हम फोटो प्रति अभी समर्पित करते हैं, चन्द्रपाल जी उस मकान में किरायेदार की हैसियत से रहते चले आये हैं, उस पर चन्द्रपाल, विधायक, गरौठा क्षेत्र का बोर्ड भी लगा हुआ था । उसी मकान पर जब भी चन्द्रपाल सिंह जी होते थे, क्षेत्र की जनता मिलने के लिए आती थी । उनका निवास भी वहां होता था । दूसरी बात यह कहा गया है कि दीप नारायन ने निवासी होने के बारे में दो चीजों का उल्लेख किया है । एक राशनकार्ड बनाने के लिए एक दरख्वास्त दिया था, और उसकी फोटो प्रति अन्तिम संलग्नक के रूप में है उसको देख लें । यह कहा गया है कि दीप नारायन ने 11-7-98 को एक प्रार्थना-पत्र दिया कि हमारा राशन कार्ड बना दिया जाये । प्रार्थना-पत्र पर दीप नारायण के दस्तखत हैं या नहीं, मैं नहीं जानता । यदि उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र दिया है तो भी वह इस मकान में 11-7-98 से पूर्व नहीं रहते आये होंगे, इसलिए राशन कार्ड की दरख्वास्त देनी पड़ी । मान्यवर, यह तहसीलदार की रिपोर्ट पर जो इनकी मतदाता सूची से अपमार्जन हो गया है, तहसील की रिपोर्ट है कि चूंकि अब यह मध्य प्रदेश में रह रहे हैं । इसलिए मतदाता सूची से नाम काट दिया जाये । अब श्री दीप नारायण ग्वालियर में रहते हैं । अपमार्जन सूची 14-10-98 में जारी हुई है, जिसमें स्वतः तहसीलदार, एस० डी० एम० ने स्वीकार किया कि वह मोंठ में नहीं रहते हैं इसलिए वोटर-लिस्ट से नाम काट दिया जाये । मैं फोटो प्रति आपको दे रहा हूं । ग्वालियर में इनका राशन कार्ड 11-9-98 को बन गया है उनकी 11-7-98 की प्रार्थना को सही नहीं माना गया । श्री दीप नारायण अब साधारणतया ग्वालियर में ही रहते से इसलिए वोटर लिस्ट से इनके अपमार्जन किये जाने की रिपोर्ट तहसील की है । यह ग्वालियर में 16–लश्कर पूर्व विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो गये हैं और पिछली बार मध्य प्रदेश का चुनाव भी लड़ा । हालांकि दीप नारायण जी का बुढ़ावली में पैतृक मकान है लेकिन वह वहां रहते नहीं है । मान्यवर, कुर्की के नाम पर जिस मकान में आदरणीय चन्द्रपाल जी रहते हैं, यह कहा गया कि दीप नारायण यहां आते हैं, वहां कुर्की करके लाखों रुपये का सामान लूट लिया गया ।

लाखों रुपये का सामान नष्ट कर दिया गया । मकान को पूरी तरह से बरबाद कर दिया गया । यही प्रश्न किया गया था । कमिश्नर ने इसको लीपापोती करने का काम किया है । उनकी रिपोर्ट को आप देख लें । मैंने जिन पंक्तियों का उल्लेख किया है उनको आप देख लें । उनसे स्पष्ट होता है कि दीप नारायण कस्बा मोंठ में कभी नहीं रहता था । उस मकान में चन्द्रपाल रहते थे । और घटना के दिन वह वहां मौजदू थे । मेरी आपसे मांग है कि इस संबंध में जितने लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए । और माननीय सदस्य के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए । जितने का सामान नष्ट हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए । इस संबंध में पूरी जांच स्थानीय पुलिस से न कराकर सी० बी० आई० से कराई जाय या जिसे आप निष्पक्ष समझते हैं उससे जांच कराने की कृपा करें । स्थानीय पुलिस सीधे-सीधे इसमें शामिल है । इस संबंध में आप जो भी निदेश संभव हो, उसको देने की कृपा करें ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बाबूराम यादव–

अध्यक्ष महोदय, कल यह मामला सदन के संज्ञान में आया था और हमने यह कहा था कि पुलिस की रिपोर्ट जिसको संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ा है उसे स्वीकार कर कमिश्नर झांसी से इसकी जांच कराई जाय । झांसी के आयुक्त महोदय की रिपोर्ट आपके समक्ष है । रिपोर्ट में उन्होंने कहीं यह उल्लेख नहीं किया है । कि मैंने स्वयं जांच की है । अधिकारियों द्वारा कमिश्नर महोदय को जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है, इतनी जल्दी जांच हो भी नहीं सकती थी उसको उन्होंने संदर्भित कर दिया है । श्री दीपनारायण यादव के घर की कुर्की उनके पैतृक निवास की गई । लेकिन जब पुलिस बल चन्द्रपाल सिंह यादव के यहां गया तो यह वहां उपस्थित थे और लखनऊ आने के लिए तैंयारी में थे, पुलिस से इन्होंने कहा कि यह मेरा मकान है इनकी बात को नहीं सुना गया और पुलिस ने जबरन इनको अपनी गाड़ी में डाल लिया । और इनके घर की तोड़-फोड़ की गई । यह घटना हुई उसके पहले जो रिपोर्ट दर्ज हुई दूसरी रिपोर्ट इनके पक्ष से दर्ज करने के लिए कहा गया उसके बारे में कहा गया कि स्थानीय अधिकारियों ने जांच कराकर रिपोर्ट नहीं लिखी । इनके पक्ष में डाक्टर ने चोटों को चिन्हित किया है, डाक्टर की रिपोर्ट है । अब या तो डाक्टर की रिपोर्ट सही है या पुलिस की । अगर डाक्टर की रिपोर्ट गलत हो तो डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाए और अगर डाक्टर की रिपोर्ट सही हो तो जिन्होंने रिपोर्ट को गलत बताया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए । मुख्य मंत्री जी पारदर्शिता की बात करते हैं यही इनकी पारदर्शिता है यह घटना कल आप लोगों के साथ भी घटित हो सकती है । लोकतंत्र में इस पक्ष या उस पक्ष में हम लोग बैठते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर जैन आप पीठ की ओर पीठ किए हुए हैं । पीठ की ओर पीठ नहीं की जाती है ।

[समय 4 बजकर 5 मिनट]

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, दोनों बिन्दु साफ-साफ हैं । श्री दीप नारायण के एक घर की कुर्की हो गई, दूसरा मकान कहा गया । इनके आयुक्त महोदय ने भी साक्ष्य नहीं दबाये । वह ग्वालियर में रहते हैं, वहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की मतदाता सूची में उनका नाम है, वहां का उनका राशनकार्ड है । यह तो सरकार के ही अभिलेख हैं । यहां पर इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यह घर चन्द्रपाल जी का नहीं है । जानबूझकर क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिये और विपक्षी लोगों को इतना नीचे दबा दो कि वह अपनी आवाज नहीं उठा सके । इसलिये मेरा अनुरोध है कि यह सरकार बहरी और गूंगी है, इससे कोई न्याय मिलने की आशा नहीं है । यह मामला बहुत गंभीर है । कुर्की गलत हुई, रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई और जब मुख्य मंत्री जी खड़े होते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि सारे प्रदेश में रिपोर्ट लिखी जाती हैं । अब यही एक उदाहरण है–लिखने के बाद भी नहीं लिखी गई । हमारी रिपोर्ट लिखी न जाय, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो, हमारी कुर्की कर ली जाय, एफ०- आई० आर० भी दर्ज न हो, तो ऐसी स्थिति में हम आपके अलावा कहां जाये । यह तो सरकार का कारनामा है । इस तरह के मामले कई बार यहां उठे हैं और आपकी पीठ से संरक्षण मिला है । डाक्टरी रिपोर्ट है । दरोगा या डाक्टर में से कोई एक झूठा है । जो झूठा है, उसे दण्ड दिया जाय । आप इस मामले पर गंभीरता से विचार करके सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें । सरकार हम लोगों को संरक्षण नहीं दे सकती । प्रताड़ित करने के लिये कटिबद्ध है । मैं कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा प्रताड़ित करोगे उतनी ही तेजी के साथ वह ऊपर आता है । इस सरकार की अन्तिम सांसें चल रही हैं । यह सरकार जाने वाली है । सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ आप सरकार को निर्देशित कर हमें न्याय दिलाने की कृपा करे ।

(श्री राम औतार शाक्य जी के खड़े होने पर)

ी अध्यक्ष–

क्या हम यहां पर रिपोर्ट की विवेचना करने के लिये सदन में बैठे हैं तो अलग बात है।

ी राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह प्रकरण 22 तारीख से शुरू हुआ। 22 तारीख को दो रिपोर्टें हुई। एक रिपोर्ट डकैती की हुई।

श्री अध्यक्ष–

श्री चौधरी जी और बाबू राम जी ने सारे तथ्य रख दिये हैं और श्री चन्द्रपाल सिंह जी ने अपनी बात कल ही दी थी।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपनी बात केवल एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, आप तो विद्वान हैं और कानून के ज्ञाता हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि दो वर्जन आते हैं।

जब दो वर्जन आते हैं तो तय होता है कि अग्रेसिव कौन सा है। एक रिपोर्ट डकैती की हुई दूसरी इनके साथ जो मार-पीट की हुई उसकी हुई। पहले मान्यवर, इन्क्वायरी होती है, सी० आर० पी० सी० में इन्वेस्टीगेशन होता है। आपने जब उनको मुकदमा लिख लिया था तो इनका मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अग्रेसिव कौन है यह कोर्ट आफ ला तय करता है न कि पुलिस तय करती है। 82 के एक महीने बाद 83 होता है। 82 का वारन्ट आफ अरेस्ट जारी होता है। उसके बाद कुर्की होती। नियम कानून को ताक में रखकर 82-83 की कार्यवाही एक ही दिन कर दी जाती है। दूसरी बात यह आती है कि यह मकान किस का है। मूवेबिल प्रोपर्टी किस की थी। इनकी थी या दूसरे की थी। यह कह रहे हैं कि ये पांच वर्ष से उसमें रह रहे हैं। हमारा सामान चोरी गया है, टी० वी० तोड़ा गया है। मूवेबिल प्रोपर्टी तोड़ी गई है। यह 100% श्री चन्द्रपाल जी की प्रापर्टी है। इसमें पुलिस वालों की गलती है। कमिश्नर साहब को मौके पर जरूर जाना चाहिए था। मौजूदगी में बयान लेते। विधान सभा से निर्देश दिये गये और यहां पर बैठे-बैठे कार्यवाही पूरी करा ली गई यह रिपोर्ट इतनी विश्वसनीय नहीं है। कुछ तथ्य जरूर उभरकर सामने आये हैं जैसाकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि वहां कुर्की नहीं हुई लेकिन इसमें है कि वहां कुर्की हुई है। वहां मौजूद नहीं थे, कहा गया तो वहां मौजूदगी साबित हो गई। जो चन्द्रपाल जी कह रहे हैं उनकी बात में दम है। यह मैटर आफ इन्वेस्टीगेशन है, कोर्ट आफ ला का है। वह तय करेगा कि अग्रेसर कौन है। इनके मुकदमें को दर्ज करके सी० आई० डी० या सी० बी० आई० जांच करायें। माननीय सदस्य के साथ जो इस तरह का व्यवाहर हुआ है विधान सभा के सदस्यों के हकों के साथ इस तरह से मजाक किया जायेगा यह निन्दनीय और घृणित कार्य हैं। इसमें अलग से मुकदमा दायर किया जाय और दूसरों से इसकी जांच कराई जाय।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा । कल मान्यवर, यह कार्य स्थगन के रूप में नियम–311 के अन्तर्गत उठाया गया था । जो मेरी जानकारी थी वह मैंने सदन के सामने रखने का प्रयास किया था । हमारी मांग नहीं थी । माननीय सदस्यों की मांग थी कि इसकी जांच आयुक्त झांसी से करा ली जाय । हमने तब भी कहा था कि जांच की आवश्यकता नहीं है जो भी सूचना आई है वह ठीक है । लेकिन इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया गया और माननीय सम्मानित विद्यान सदस्य बैठे थे । उन्होंने तर्क के बल को देखते हुए निर्देशित किया कि जांच कराई जाय । पीठ के आदेश का पालन करते हुए हमने आयुक्त को जांच सौंप दी । मान्यवर, कहीं न कहीं तो किसी बात का अन्त होगा । एक बिन्दु यह था कि जिस घर की कुर्की हुई है वह घर माननीय सदस्य का है या उनका है जो इसमें अभियुक्त हैं । दूसरा यह था कि एफ० आई० आर० क्यों नहीं कराई गई । माननीय सदस्य कानून के ज्ञाता हैं उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी । मान्यवर, कहना चाहता हूं कि यह माना जाता है कि जो तथ्य रखे जायं वह पूर्ण रखे जायं । कसम भी यही खाई जाती हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा । यह इसीलिये कहा जाता है कि जो कुछ उसमें लिखा है वह पढ़ दीजिये । ऐसा न हो कि कुछ पंक्ति पढ़ दें और कुछ छोड़ दें । मैं यह कह रहा था कि हमारे सम्मानित उपनेता ने यह कहा कि कमिश्नर ने जांच क्या की ? उनके पास जो एस० डी० एम०, क्षेत्राधिकारी और दरोगा की रिपोर्ट थी उसको आधार मानकर रिपोर्ट भेज दी इसलिये इस जांच में कोई जान नहीं है । अपने तर्क के सपोर्ट में 2/3 लाइनें भी पढ़ीं । यह पढ़ा कि–उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में तथा पत्र में उल्लिखित विशिष्ट बिन्दुओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी झांसी के आख्या प्राप्त की गई । संगत अभिलेखों कागजात का संग्रहण परगना मजिस्ट्रेट मोंठ तथा थानाध्यक्ष/थाना मोंठ के माध्यम से करवाया गया तथा कस्बा मोंठ में पहुंचकर वहां के कतिपय निवासियों से जानकारी यह भी आगे है, खाली इनके अभिलेखों पर आधारित नहीं है वह स्वयं मौके पर गए और मौके पर जानकारी की उसी को इसमें लिखा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

बयान संलग्न है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कस्बा मोंठ में स्थलीय जांच के दौरान माननीय सदस्य विधान परिषद् श्री श्याम सुन्दर सिंह भी मिले तथा उनसे भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई । मान्यवर, एक दो बिन्दुओं को कह दूं । मकान के बारे में कहा गया–कस्बा मोंठ स्थित मकान जिसमें कुर्की की उपरोक्त कार्यवाही की गई माननीय विधायक श्री चन्द्रपाल सिंह यादव द्वारा अपना मकान बताते हुए उसमें लूटमार का आरोप लगाया गया है कस्बा मोंठ में स्थलीय जांच के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय विधायक श्री चन्द्रपाल सिंह यादव उपरोक्त मकान में कभी-कभी रुकते रहे हैं परन्तु वह उनके नियमित निवास का स्थान नहीं दूसरी बात इसमें पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि अभियुक्त दीपक उर्फ दीपनारायण इस मकान में परिवार सहित नियमित रूप से रहते आये हैं । उदाहरण के लिये इस मकान में लगा फोन नम्बर संख्या 2355 दीपनारायण की पत्नी मीरा यादव के नाम टेलीफोन निर्देशिका में दर्ज है ।

श्री अध्यक्ष–

रिपोर्ट तो पढ़ ही दी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

एफ० आई० आर० क्यों नहीं की यह बता दूं । प्रार्थना-पत्र दिया गया है । श्री राजकुमार पुत्र श्री नारायण दास यादव की ओर से, मान्यवर, परन्तु इस पत्र में लगाया गया आरोप असत्य और निराधार पाया गया ।

(व्यवधान)

इस केस में 365/397 केस दर्ज हैं । राजकुमार स्वयं अभियुक्त हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप स्वयं देख लें इसमें राजकुमार का नाम है ?

श्री हुकुम सिंह–

अन्य भी हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस तरह तो पूरा प्रदेश इसमें आ जाएगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं बता रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसको देख लें इसमें राजकुमार का नाम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा अभियुक्त है ।

श्री हुकुम सिंह–

पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट है । क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट है ।

(व्यवधान)

राजकुमार डकैती के केस में अभियुक्त है ।

मान्यवर, अब आगे चलते हैं, इसमें सीधे कोई दरख्वास्त दे दे, चिट्ठी लिख दे थाने में नाम में और एफ० आई० आर० दर्ज हो जाय । तो यह कैसे हो सकता है । मान्यवर, फिर भी जांच हुई और जांच के बाद बिन्दु यह पाया गया कि पेशबन्दी के लिए की गयी । तीसरी बात यह कही गयी कि हम चिन्तित हैं, मान्यवर, एक विधायक होने के नाते, मंत्री में बाद में हूं, पहले विधायक हूं । उनकी गरिमा के प्रतिकूल कोई बात तो नहीं हुई थीं उसकी जानकारी लेने की मैंने कोशिश की । उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं पाया गया । केवल इतनी बात थी जब 82-83 की कार्यवाही चल रही थी तो उन्होंने उसका विरोध किया और रास्ता जाम किया । रास्ता जाम करने में शांति भंग होने की बात को दृष्टिगत रखते हुए 151 में इसको गिरफ्तार किया गया । उन्होंने आश्वासन दिया कि शांति भंग नहीं होगी तो उनकी निजी मुचलके पर चार बजे छोड़ दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कोई निजी मुचलके पर नहीं छोड़ा गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

तब तो और भी अच्छा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह डाक्यूमेन्ट फोर्स करने में यह काफी सिद्धहस्त है । इन्होंने तो बजट भी जो विधान परिषद् में रखा था वह भी गलत था ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमने तो अपनी गलती मान ली । टाइपिंग की गलती थी उसको ठीक कर देंगे । लेकिन कुछ लोग तो हठधर्मी होते हैं और अपनी गलती को नहीं मानते हैं । तो मान्यवर, जो पीठ की तरफ से निर्देश दिये गये थे हमने उसका पालन किया है और इसमें अब आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसकी विवेचना की है, संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इसमें राजकुमार का नाम कहां पर है ?

श्री अध्यक्ष–

नाम नहीं है, मैंने देख लिया है । इनकी जबान फिसल गयी होगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह तो बहुत जगह फिसल जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आज प्रमोद कुमार जी नहीं हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो रिपोर्ट है, दूसरी तरफ उसमें कहा गया कि वहां पर मारपीट हुई और पैर तोड़ दिया गया । आप विद्वान अधिवक्ता हैं उसमें 325 तो लग सकती है, यह आप भी जानते होंगे और 307 भी लग सकता है । लेकिन 395, 396 और 397 धारा कैसे लगेगी ? दूसरी बात चन्द्रपाल जी वहां रहते थे कि नहीं । कमिश्नर गये स्वयं श्री श्याम सुन्दर सिंह एम० एल० सी० ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि इसमें चन्द्रपाल सिंह रहते थे । यह क्यों नहीं रिपोर्ट में बताया गया है । मान्यवर, पहले उस मकान में दीप नारायण सिंह जी रहा करते थे और उनकी पत्नी के नाम से टेलीफोन था इसलिए डायरेक्टरी में उनका नाम था बाद में ग्वालियर चले गये जिसका सबूत माननीय चौधरी जी ने दिया है और वह समाजवादी पार्टी के टिकट से ग्वालियर से चुनाव लड़े थे । मेरी मांग है पुलिस ने सही कार्यवाही नहीं किया है । दूसरी तरफ राजकुमार की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । एक तरफ श्री चन्द्रपाल सिंह के घर की कुर्की की गयी और सामान को तोड़ा गया । इसलिए मांग है कि इसमें पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रही है । इसलिए इस मामले की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से आप करवा लें जिससे सही तथ्यों का पता लग जायेगा । श्री राजकुमार की रिपोर्ट भी दर्ज हो जाय और फिर जांच के उपरान्त जिसके खिलाफ रिपोर्ट आये उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

* श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

मान्यवर, रिपोर्ट में जैसा दर्शाया गया है कि आयुक्त महोदय उस स्थान पर गये थे । मैंने जानकारी किया है तो मालूम हुआ कि आयुक्त महोदय रात में 11.00 बजे मोंठ कस्बे में पहुंचे थे और फिर थाने में बैठकर जांच करने का काम किया । माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर जो विधान परिषद् के सदस्य हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने जितने डाकूमेन्ट्स कमिश्नर साहब के सामने पेश किया और उनसे मिल कर सारे तथ्यों को प्रस्तुत किया और उन्हें बताया कि यह मकान श्री चन्द्रपाल जी का है और वह इस मकान में रहते हैं। टाउन एरिया के चेयरमैन और वहां के सारे सभासद, वहां के 200 व्यापारी, तीन दिनों से बाजार बन्द कर रखा है, आप पता कर लें कि आज कस्बे में कम से कम 20 हजार आदमी सड़क पर रास्ता जाम करके बैठे हैं और सही लोग कह रहे हैं कि जिस घर की कुर्की हुई है वह चन्द्रपाल जी का है। मान्यवर, राजनीति से प्रेरित होकर मेरे घर के सामान को तोड़-फोड़ पुलिस से कराई गयी है। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि कमिश्नर ने रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि श्री श्याम सुन्दर मिले थे और उन्होंने मिल कर उन्हें क्या बताया यह भी रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। श्री राजकुमार ने जो रिपोर्ट किया था उसे पहले थाने में दर्ज नहीं किया है। केवल प्राप्त कर लिया था। इसी तरह डाक्टरी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गयी। रात में उच्च अधिकारियों ने मेरे खिलाफ कि मैं समाजवादी पार्टी का हूं इसलिए अधिकारियों ने षड़यंत्र करके मेरे घर की कुर्की करके तोड़-फोड़ किया। मान्यवर, मेरे अलावा दूसरों के खिलाफ जो वहां के प्रधान, अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गयी और हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त मेरे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज करके तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गयी। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब श्री दीपनारायण के पैतृक गांव में उनके घर की कुर्की कर ली गयी थी आप विद्वान हैं, जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के एक घर की कुर्की कर ली जाती है तो उसके दूसरे घर जो लस्कर में था जिसके पते से पत्र व्यवहार किया जाता रहा है। उसके अलावा मोंठ के पते से उन्होंने कभी पत्र व्यवहार नहीं किया। मान्यवर, मैं आपसे न्याय की आशा करता हूं और यदि हमें आपसे न्याय नहीं मिलेगा तो हम जनता को कैसे न्याय दिला पायेंगे ?

हमको न्याय दिलाने में यह सक्षम नहीं हो पायेंगे इसलिए श्रीमन् आपसे प्रार्थना है कि मेरे साथ जो घटना हुई है, लूटपाट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, सोने चांदी के जेवरात पुलिस के अधिकारी ले गये, बहुत ज्यादा पुलिस के लोग थे यह पता नहीं लगा कि कौन ले गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सब आप कह चुके हैं, दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

उनके खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज करायी जाये, राजकुमार ने जो रिपोर्ट की है वह दर्ज करायी जाये। दीप नारायण और उनके लोगों के खिलाफ जो रिपोर्ट हैं उन सारी रिपोर्टों की पुलिस के अलावा अन्य किसी एजेन्सी से जांच करायी जाये। मान्यवर, यह सदन के सभी माननीय सदस्यों के सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

दोनों पक्षों की बात आ गयी है। मेरी एक जिज्ञासा है। माननीय चन्द्रपाल सिंह यादव, इस मकान में पहले कोई और भी किरायेदार थे ?

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

मान्यवर, यह 1995 में मकान बना था, 6 महीने 8 महीने बाद मैं स्वयं रहने लगा मेरे पास रसीद है। पहले दीप नारायण 5-6 महीने के लिए रहे, मकान मेरे पास है। मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं। आज भी इतना बड़ा बोर्ड मेरा वहां लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मेरे मन में एक शंका थी आपके सामने रखी, अम्बिका चौधरी जी ने किराये की रसीद दी है। यह रसीद 1 जुलाई, 1996 की है इसमें साल भर का किराया 6 हजार रु० लिखा है 95 में आप कहते हैं कि मकान बना है यह रसीद का क्रम संख्या 35 है।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

मान्यवर, यह जो मकान है यह दूसरी मंजिल पर है नीचे दुकानें बनी हुई हैं जो मकान मालिक है उनके 25 मकान हैं। 25 दुकानें हैं हर महीने रसीद कटती है।

श्री अध्यक्ष–

बात स्पष्ट हो गयी।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ आज नये तथ्य आये हैं अब जांच करने का काम विवेचनाधिकारी का है, सदन में बात आ गयी है, कमिश्नर की रिपोर्ट आ गयी है इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में आप यहां गृह विभाग से परीक्षण करा लीजिये, मैं जांच की बात नहीं कह रहा हूं। फिर यदि आप समझते हैं कि सी० बी० सी० आई० डी० की इन्क्वायरी होनी चाहिए तो उसको देख लीजियेगा। शासन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसके हिसाब से कार्यवाही कर लें। आप गृह विभाग से परीक्षण करा लीजियेगा। स्थानीय पुलिस इसमें कहीं है या नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। इसमें स्पष्ट निर्देश हो जायें और उसके अनुरूप कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष–

मेरी भी सीमा है, मैं परीक्षण के लिए कह सकता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सदस्यता पर संदेह है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आदेश मानने के लिए तैयार था लेकिन इन्होंने संदेह व्यक्त किया है तो मैं इस प्रकरण से बाहर हूं। जब संदेह कर रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगली मद लेने पर)

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, निर्देश आप दे दें। हमारे आप संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश दे दिया है आयुक्त की रिपोर्ट आ गयी है। आज कुछ तथ्य शासन के संज्ञान में आप लाये हैं। पत्र-कागजात प्रस्तुत किये गये हैं उनको मैं भेज दूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास, इसका गृह विभाग से परीक्षण करा लें और फिर जैसी कार्यवाही हो वैसी कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, वहां पर पुलिस की कार्यवाही को रुकवा दें, और जांच करा दें।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

दूसरे पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है, उसको रुकवा दें।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन न्यायालय का काम नहीं करेगा । अगर गलत तरीके से कुर्की की गयी है, तो वह न्यायालय जायें, मैं उसके विधिक बिन्दुओं में नहीं जाना चाहता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि 71,20,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 83,87,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, प्रदेश सरकार की घोषित नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप श्रम विभाग श्रमिकों के हितों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सतत् प्रयासरत है । श्रमिकों को शोषण तथा अत्याचार एवं प्रदेश के सामान्य औद्योगिक विकास व आर्थिक प्रगति के व्यापकहित में सेवायोजकों व्यवसायियों को अनावश्यक कठिनाई से मुक्ति दिलाना श्रम विभाग की प्रतिबद्धता है । प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिलाने तथा अनुकूल कार्य संस्कृति प्रसार के उद्देश्य से विगत दशकों में पहली बार नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उद्यमी व प्रबन्धन पंक्ष को "उद्योग बन्धु" के काउन्सिलिंग चेम्बर के माध्यम से दो सप्ताह तक विभागीय पक्ष व श्रमिकों के देयों के प्रति वांछित अद्यतन जानकारियां दी गयी और उनकी शंकाओं का सविस्तार समाधान कर उन्हें प्रदेश में उद्यम लगाने हेतु आकर्षित किया गया । प्रदेश में संगठित एवं असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिक हैं । श्रम विभाग जहां एक ओर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु विभिन्न सांविधिक व्यवस्थाओं का पालन हेतु प्रयासरत हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कराने के साथ ही साथ विभागीय कार्मिकों व अधिकारीगणों में इस दिशा में की जाने वाली कार्यवाही में गुणात्मक सुधार हेतु संवेदन जागृत कार्यशालायें तथा प्रशिक्षण भी श्रम विभाग द्वारा अनवरत रूप से संचालित किये जा रहे हैं । मान्यवर, बाल श्रम प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को पूर्णतया समाप्त श्रम विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है । इस दशा में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया गया । खतरनाक प्रतिष्ठानों में वर्ष 98 तक कुल 6997 निरीक्षण करके 142 दोषी सेवायोजनकों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किये गये हैं । इसी प्रकार गैर खतरनाक प्रक्रिया वाले उद्योगों में 6336 निरीक्षक करके 183 प्राभियोजन दायर किये गये । चिन्हित बाल श्रमिकों के सेवायोजकों से भी रुपया 15,61,000 की धनराशि वसूल करके उत्तर प्रदेश बाल श्रम पुर्नवास एवं कल्याण निधि में जमा करायी जा चुकी है ।

मान्यवर, वर्ष 1999-2000 में बाल श्रम बाहुल्य वाले 23 जनपदों में कार्पसनिधि की स्थापना हेतु रुपया 115 लाख की स्वीकृति प्रस्तावित की गयी है । प्रदेश में बाल श्रमिकों की भांति बंधुवा श्रमिक प्रथा को समाप्त किये जाने की दिशा में श्रम विभाग द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है । दिसम्बर, 1998 तक प्रदेश में कुल 27,469 बंधुवा श्रमिक चिन्हित हुये थे । जिनमें से सभी को विभाग द्वारा पुर्नवासित किया जा चुका है ।

श्रम विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन प्रदेश में 103 सेवायोजन कार्यालय कार्यरत हैं । अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता में वृद्धि

करने हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 59 शिक्षण एवं मार्गदर्शक केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें से 52 केन्द्र मैदानी क्षेत्र में तथा 7 केन्द्र पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित हैं ।

सेवायोजन कार्यालयों में बेरोजगारों का पंजीकरण एवं पंजीकृत बेरोजगारी लोगों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों के साक्षेप संप्रेषित करने का कार्य किया जाता है । माननीय प्रधान मंत्री जी की शिक्षित बेरोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित टास्कफोर्स के सदस्य के रूप में क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन अधिकारी को नामित किया गया तथा इस योजना के कार्यान्वयन में सेवायोजन अधिकारियों द्वारा योगदान दिया जा रहा है ।

विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय कानपुर में सन् 1965 से स्थापित है । वित्तीय वर्ष 1995-96 में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, मथुरा, अलीगढ़ जनपदों में स्थापित विशिष्ट कोष्ठों को सेवायोजन कार्यालय का स्तर प्रदान कर कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं ।

माननीय प्रधान मंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान की जा रही है । मान्यवर, वर्ष 1998-99 में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मुरादाबाद एवं जिला सेवायोजन कार्यालय महोबा, पडरौना, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, सीतापुर के चालू निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । इस वित्तीय वर्ष में सेवायोजन कार्यालयों के चालू भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराना तथा 20 सेवायोजन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश के औद्योगिक विकास में शिल्पकारों की पूर्ति तथा युवक युवतियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा 245 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं । जिनमें 45536 सीटों पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है ।

मान्यवर, वर्ष 1998-99 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में चल रहे 25 संस्थानों में महिलाओं को 12 अल्पकालिक स्वतः रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है इससे 2720 महिलाओं को प्रशिक्षण का लाभ दिया जा रहा है । इसी प्रकार से 11 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को अल्पकालीन स्वतः रोजगार परक 7 व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है । इससे 240 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित होंगे । मैदानी क्षेत्र के 10 जनपदों में तथा उत्तरांचल के 4 जनपदों में निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने के लिये आवश्यक धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है । व्यावसायिक प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये रुपये 25 लाख का अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है । वर्ष 1999-2000 में 10 विकास खण्डों में निजी क्षेत्र के पूर्व संचालित इण्टर कालेजों में मिनी आई० टी० आई० की स्थापना हेतु रु० 25 लाख के अनुदान देना प्रस्तावित है । औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये शिशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये नियमानुसार स्थान आरक्षित हैं तथा समाज के कमजोर वर्ग के विकलांग एवं महिला वर्ग को प्राथमिकता प्रदान की जाती है ।

मान्यवर, प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों को चिकित्सा देने के लिये 122 एलोपैथिक डिसपेन्सरीज एवं 11 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक औषधालय हैं तथा 15 चिकित्सालय क्रियाशील हैं । चिकित्सालयों में पूर्ण सुविधा उपलब्ध है, उनमें 1640 बेड्स हैं । चिकित्सा हित लाभ पर जो व्यय होता है । 7/8 कर्मचारियों से तथा 1/8 राज्य सरकार वहन करती है, चिकित्सालयों के उपकरण, आधुनिकीकरण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु राज्य सरकार द्वारा 1998-99 में समुचित धनराशि की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, मैंने अत्यन्त संक्षेप में श्रमिक वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ, श्रम विभाग का वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्तुत किया है । हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं । आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें और श्रम विभाग के अधीन अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) पर अपनी अनुज्ञा प्रदान करके श्रम की कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करें ।

श्री रामजग–

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष जी, श्रम विभाग की स्थापना और श्रम कानूनों का निर्माण पूंजी की निर्मम शोषण से श्रम को बचाने, उनके हितों की रक्षा के लिए किये जाने तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करने के बाद तमाम श्रम कल्याणकारी योजनायें समय-समय पर तैयार की जाती रही ।

मान्यवर, यह खेद का विषय है कि 13 अप्रैल, 1997 को सभी श्रम संगठनों में एक प्रस्ताव पारित करके सरकार के पास भेजा कि आजादी के 50 साल पूरे होने को हैं, यह चिन्ताजनक बात है कि श्रम कानूनों के अन्तर्गत मजदूर वर्ग को कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है । वहीं पूंजीपतियों, ठेकेदारों, सामान्तों, पुलिस और असामाजिक तत्वों के क्रूर शोषण के आज भी यह मजदूर पूरी तरह से शिकार हैं । आवश्यक वस्तुओं की लगातार वृद्धि के कारण उनके जीवन स्तर में लगातार गिरावट आयी है, यह भी चिन्ता का विषय है कि आज चौतरफा संकट है । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश में तैयार की गयी नीति, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण के कारण इन कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करने का जो षड़यन्त रचा जा रहा है यह उत्तर प्रदेश के श्रम संगठनों के लिए एक चिन्ता का विषय बना हुआ है । जिसके कारण कल्याणकारी और मजदूरों के पक्ष में होने वाली जितनी भी योजनायें हैं उसमें कटौती की जा रही है । आज पूरे प्रदेश में फैक्ट्री एक्ट के जो साधारण प्राविधान हैं उसको भी लागू नहीं किया जा रहा है आज मस्टर रोल के फार्म–12 पर हस्ताक्षर नहीं कराये जाते हैं । मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम नहीं दर्ज होते हैं, उनको मनमाने ढंग से निकाला जाता है, उनको स्थायी नहीं किया जाता है । वर्षों तक टैम्परेरी काम लिया जाता है । नौकरी प्रमाण-पत्र भी उन्हें नहीं मिलता है । उनको लीव बुक भी नहीं मिलती है । कैजुअल, मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है, न वेतन मिलता है ।

(इस समय 4 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

आठ घंटे से अधिक उनसे काम कराया जाता है और ओवर टाइम का वेतन नहीं दिया जाता है । आज पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में असंठित मजदूर हैं उनकी संख्या प्रदेश में 7-8 करोड़ से ज्यादा है । आज उनके लिए श्रम विभाग क्या रहा है । आज श्रमिक विभाग की जो स्थिति है, श्रमिक विभाग को पंगु बना दिया गया है । आज मिल मालिकों को खुली छूट दी गई है इस संबंध में श्रम विभाग पंगु बना दिया गया है । आज स्थिति यह बनी हुई है कि प्रमुख सचिव, सचिव श्रमायुक्त यह लोग अपने को कमजोर साबित पा रहे हैं । इनकी कोई भूमिका श्रमिकों के पक्ष में नहीं बन रही है । आज पूरे प्रदेश में बड़े कारखाने सूती कारखाना, चूड़ी कारखाना या इसी तरह के अन्य कारखानों के मजदूरों को पिछले 10 वर्षों से वेतन का पुनरीक्षण नहीं हो रहा है । पांचवे वेतन आयोग के आधार पर इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है । पूरे प्रदेश में जितने भी राजकीय इकाइयां हैं, जितने सरकार के निगम हैं, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते, श्रम विभाग की मजदूर विरोधी नीति के चलते इनके कर्मचारियों को लगातार आन्दोलन करना पड़ रहा है । सीमेन्ट निगम को घाटा कहां से हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए उच्च पदों पर बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं यह घाटा मजदूरों के कारण नहीं हो रहा है । आपकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव के कारण इन निगमों को बन्द किया जा रहा है । आप देखें सीमेन्ट निगम के मजदूर विधान सभा के सामने पिछली बार हड़ताल पर बैठे थे उसमें एक मजदूर मर गया था अभी भी मजदूर आन्दोलन पर हैं । 16 फरवरी

को जब सीमेन्ट निगम के मजदूर प्रदर्शन में आ रहे थे तो पुलिस ने जबरिया उनको गाड़ी से उतार लिया जिसके कारण एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी । श्रम विभाग की मंत्री इसके बारे में नहीं जानती हैं । मंत्री जी ने जानबूझकर उस मजदूर के परिवार के लिए कोई भी मुआवजा की व्यवस्था नहीं की है । पिछली बार माननीय सदस्यों के प्रयास से उन मजदूरों को साढ़े तीन महीने का वेतन मिला था शेष वेतन अभी तक नहीं मिला है । आज प्रदेश की स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर के कारखाने बन्द किये जा रहे हैं । आज बिजली विभाग को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात है । प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रमिक न्यायालय हैं और वहां से मजदूरों के पक्ष में अगर कोई फैसला होता है तो सरकार उस पर क्या करती है । मालिक हाईकोर्ट से स्टे-आर्डर ले आते हैं और सरकार सालोंसाल तक उसमें एफीडेविट नहीं लगाती है । प्रदेश में चिन्ता का विषय यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो स्थापित मापदण्ड हैं और 15 वें श्रम सम्मेलन की बातों को लागू ही नहीं किया जा रहा है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन भी नहीं किया जा रहा है । माननीय श्रममंत्री जी यहां बैठी हुई हैं । 1 मई, 1997 को एक सम्मेलन हुआ था, असंगठित मजदूरों का सम्मेलन हुआ था, आपकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रमुख सचिव, सचिव और श्रम आयुक्त भी उसमें थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो असंगठित मजदूर हैं इन्हें हम कम से कम 60 रुपये प्रति दिन वेतन देने की व्यवस्था करेंगे और वह भी चैक द्वारा किया जायेगा और भविष्य निधि की योजना भी लागू की जायेगी । यह आश्वासन आपने दिया था उसके बाद आपने बैठक नहीं बुलायी और जो घोषणायें आपने की थी, उनका आज तक पालन नहीं हुआ । 1997 में तिलक हाल में सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के साथ आपकी बैठक हुई । उसमें आपने क्या कहा ? मजदूरों को जो आपने आश्वासन दिया, उस आश्वासन के बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का आज तक पालन नहीं हुआ । श्रम विभाग में जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, इन्सपेक्टर राज समाप्त होने के बाद ये लोग अपने को अक्षम पा रहे हैं । वास्तव में सरकार अगर मजदूरों की हिमायती है, श्रम के बगैर उत्पादन नहीं होता है और जिस देश में श्रमिक का शोषण हो रहा है और शोषण करने वालों को रोका नहीं जा रहा हो और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही हो, वह देश और प्रदेश कभी भी विकास नहीं कर सकता है । माननीय मंत्री जी ने कई अन्य योजनाओं की चर्चा की कि इसके माध्यम से हम व्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं । अगर इन्सपेक्टर राज को समाप्त करने की बात मंत्री जी कहती तो अच्छा होता । आज पूरे प्रदेश के संगठित और असंगठित मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं । कारखाने बन्द हैं । गांवों में रहने वाला खेतिहर मजदूर, जो भी श्रमिक है, चाहे वह लकड़ी का काम करता हो या कोई अन्य कार्य करता हो तो उसे वेतन दिलाने की कोई योजना श्रम विभाग की ओर से नहीं है । पूरे प्रदेश के श्रमिकों का यही हाल बना हुआ है । जिसका कारण यह हुआ कि प्रदेश में मजदूरों का यही हाल बना हुआ है और उनका शोषण हो रहा है । उनको वेतन आदि दिलाने के लिये किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजना श्रम विभाग की तरफ से नहीं बनाई गई है । आज भी गांव में मजदूर 10 रुपये या 2 किलो पर काम कर रहा है । इन्सपेक्टर राज समाप्त करके उनको दबाने का काम किया जा रहा है । [समय 5 बजकर 5 मिनट पर]

सभा मजदूर जो भी काम कर रहे हैं असंगठित मजदूर उनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है । उनके लिये कोई व्यवस्था हमारी सरकार ने नहीं की है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार । इनकी सरकार है । यह गलती से उधर बैठे हैं इधर आ जायं । यहां इनका स्वागत है । मैं इनसे निवेदन करूंगा कि यह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामजग–

अगर वास्तव में आपकी सरकार इस पूरे प्रदेश में पूंजीपतियों की रहनुमाई बन्द कर दे और जो कारखाने बन्द पड़े हैं उनको चला दे, सीमेन्ट निगम के मजदूरों को कायदे से वेतन दें, फैक्टरियों को

उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में जाने से रोकें, असंगठित मजदूरों का शोषण रोकें तो मैं आपके इस कदम का स्वागत करता । आपकी नीतियां मजदूरों के पक्ष में नहीं जा रही है । इम्प्लायमेन्ट के जो दफ्तर खुले हैं बेरोजगारों के नामों के रजिस्ट्रेशन के लिये खुले हैं लेकिन आज जब कोई नवयुवक अपना नाम दर्ज कराने जाता है तो उसका नाम दर्ज नहीं किया जाता है न ही लोगों के नाम कहीं भेजे ही जाते हैं ; आज जो स्थिति है जिस तरह से श्रमिकों का शोषण हो रहा है । असंगठित मजदूरों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है । उनको मिनिमम वेजे एक्ट के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है । आज इनकी बड़ी दयनीय स्थिति है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्सपेक्टर राज्य समाप्त करके संगठनों का तबाह किया है । मान्यवर, यह एक चिन्ता का विषय है और अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इसमें कतई मजदूरों के हित में कोई कल्याणकारी योजना घोषित नहीं की है । मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया और माननीय श्रम मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । विशेष रूप से मैं इस माननीय सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । सर्वोच्च न्यायालय ने एम० सी० मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार के केस में 10 दिसम्बर 1996 को बाल श्रमिकों के संबंध में एक निर्णय दिया था और जो निर्णय दिया था उसमें कहा था कि कारखाना अधिनियम एवं बाल श्रमिक निषेध एवं विनियम अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों का कोई उनका नियोजन करता है तो नियोजनकर्ता 20 हजार रुपये देगा । यह राशि बाल श्रम पुनर्वास कोष में जमा की जायेगी और इस प्रकार से जिस परिवार में बाल श्रमिक पाया जायेगा प्रत्येक परिवार का श्रम कल्याण एवं पुनर्वास कोष में जमा करेगी । राज्य सरकार या तो वैकल्पिक रोजगार देगी या फिर 5 हजार रुपये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का अनुपालन होना चाहिये । आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अधिकारियों ने मनमानी परिभाषाएं निर्गत कर दी आदेश दिये गये 25 सितमबर, 1998 को दिये 11 अक्टूबर, 98 से बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिये मार्गदर्शिका प्रकाशित की और उसमें कुछ परिभाषायें दे दीं । परिभाषायें किसी भी अधिनियम का एक अध्याय होती है । मान्यवर, चाहे अधिनियम लोक सभा में पारित हो रहा हो केन्द्र का हो, चाहे प्रान्त का हो । लोक सभा विधान सभा अधिनियम बनाती है इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई विभाग परिभाषायें बनाने का काम कर दे । 25 सितम्बर, 1998 को जो परिभाषायें विभाग द्वारा दी गई कि ठेकेदार, बिचौलिया, एजेन्ट ऐसा व्यक्ति जो किसी मुख्य नियोजक के उत्पादन अथवा व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार का उत्पादन/निर्माण की प्रक्रिया का कार्य कराता है तथा ऐसे कार्य अथवा जांच वर्क के लिए श्रमिकों/कारीगरों/ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से उनके घरों व अन्य स्थानों पर कार्य कराता है । इसमें मुख्य नियोजक का नाम आ गया लेकिन मान्यवर, अधिनियम, 1986 में कहीं कोई मुख्य नियोजक नाम नही है इन्होंने कहा है मुख्य नियोजक वह व्यक्ति अथवा फर्म कम्पनी जो ठेकेदार, बिचौलिया, एजेन्ट के माध्यम से जांच वर्क श्रमिकों कारीगरों अथवा उनके समूहों से कराते हैं तथा जिसका कार्य की स्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण होता है । मान्यवर, मेरे द्वारा इसमें 28 सितम्बर, 1998 को आपत्ति की गई तद्नुसार मैं यह प्रकरण श्रम मंत्री जी के संज्ञान में लाया । मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाया । मान्यवर, मैं श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । 6 अक्टूबर, 1998 को सचिव, श्रम विभाग, डी० सी० लाखा ने एक शासनादेश निर्गत किया जो तथा-कथित परिभाषाओं के आधार पर सर्वेक्षण करने का काम किया जा रहा था । 6 अक्टूबर, 1998 के आदेश के द्वारा पेक लगायी गई जिसमें कहा गया कि परिभाषाओं पर आपत्ति के कारण रोक लगाई गई । इसके बाद 30 नवम्बर, 1998 को एक शासनादेश निर्गत किया गया । इस शासनादेश में मुख्य सचिव महोदय ने कहा तद्नुसार बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण के संबंध में प्रपंत्र आदि में संशोधन करें लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी श्रम आयुक्त ने 7 दिसम्बर, 98 को

शासनादेश किया कि किसी प्रकार के सर्वेक्षण हेतु प्रपत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, जबकि स्पष्ट आदेश था कि 6 अक्टूबर, 1998 को जो आदेश निर्गत हुए उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि परिभाषायें के संबंध में आपत्तियां की गई हैं इसके कारण सभी सर्वेक्षणों को रोक दिया जाएगा । इसके बाद 30 नवम्बर, 98 व 7 दिसम्बर, 98 को जो आदेश निर्गत किए गए इसमें यथास्थिति बनी रही । इस प्रपत्र के आधार पर सर्वेक्षण के आदेश दिये । वह गलत है । मई, 1997 में पहले भी सर्वेक्षण किया गया कि कोई भी कारखानों के मालिक अथवा अन्य व्यक्ति बाल श्रमिक का नियोजन करता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 20 हजार रुपया जमा करेगा । उदाहरण के रूप में कालीन व्यवसाई जो कच्चा माल देता है डिजाइन देता है चाहे कोई हथकरघा लगाता है या कालीन बनाता है । बाल श्रमिक नियुक्त करता है तो इसका दोषी जो डिजाइन दे रहा है वह माना जाएगा । इस तरह से परिभाषायें दी गई हैं तो परिभाषा देने का किसी विभाग को अधिकार नहीं है । मान्यवर, 10 फरवरी, 1999 को फिरोजाबाद जनपद में जिन व्यक्तियों को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई उनके स्थान पर अन्य सर्वेक्षण करने पहुंचे ।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों को पकड़ा, अधिकारी आये और ऐसे लोगों को जेल में भेजा गया । मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह अधिकार इस सर्वोच्च सदन का है, लोक सभा का है, परिभाषा बनाने का । जो भी अधिकारी, जिन्होंने परिभाषा गढ़कर उनके आधार पर गलत ढंग से परिपत्र बनाकर सर्वेक्षण किया और रिकवरी की गयी है उसको निरस्त किया जाय । सर्वेक्षण अवश्य कराया जाय तथा जो वास्तविक रूप से दोषी हैं उनसे बीस हजार रुपया लिया जाय । लेकिन जिनसे रिकवरी हुई है और दोषी नहीं है उनका पैसा वापस किया जाय । मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय रामजग जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अभी श्रम विभाग के बजट पर माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रखी और रामजग जी ने भी कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बात रखी लेकिन जो बजट साहित्य श्रम विभाग का मिला है और कार्यपूर्ति दिग्दर्शक है । इसमें प्राक्कलन की चार-पांच लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं । "प्रदेश के औद्योगीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में नियोक्ता का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन था तथा वे श्रमिकों से अधिक काम लेकर अत्यधिक न्यून मज्दूरी देने का प्रयास करते थे । धीरे-धीरे कुछ समाज सुधारकों की प्रेरणा, दया-धर्म एवं मानवतावाद की भावनाओं से प्रभावित होकर नियोक्ताओं के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन हुआ ।" यह बताने के लिए कि श्रमिक के बारे में, उनके आन्दोलन के बारे में उनके संघर्ष के बारे में इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है । मैंने यह पढ़ा । मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यह गरीब मजदूर केसी की दया का पात्र नहीं है । शिकागो में 1 मई, 1886 में आन्दोलन हुआ था और अपने रक्त से होंने लाल झंडा बनाया था तो 8 घंटे का अधिकार प्राप्त किया था । मान्यवर, इसी तरह से रूस में मजदूरों ने क्रांति की थी और दुनियां के सबसे शक्तिशाली तानाशाही हिटलर को बाहर का रास्ता दिखाया था और तीसरी सर्वहारा क्रांति हुई थी तो मैं खेद के साथ सरकार के इस दृष्टिकोण की निन्दा करना चाहता हूं जो मजदूर को कमजोर समझने का काम करते हों, मजदूर किसी की दया का पात्र नहीं है । वह सरकार की दया से काम नहीं करना चाहता है । आज इसी मजदूर के वजह से यह इमारत बनी है जिसके नीचे हम बैठे हैं, जो तन पर कपड़े हमने पहने हैं वह उसी की वजह से हैं, इस कुर्सियों पर जो हम बैठे हैं, इस विधान सभा मण्डप के नीचे यह उसी की देन है, जो कालीन बनते हैं, यह उसी की देन है । उसमें कितनी मेहनत और पसीना उसका बहता है । यह जो बिजली आपको मिल रही है । अगर टरबाईन पर काम नहीं करें मजदूर हो आपको यह मिल नहीं सकती है । तो यह सब उसी की देन

है । जिस प्रकार से प्राक्कलन को लिखने का काम किया है । माननीय मंत्री जी ने उसको नहीं लिखा होगा क्योंकि वह इतनी संवेदनशील नहीं हो सकती है । जब मैं खड़ा हुआ था तो मेरे मन में थोड़ा संकोच था क्योंकि मैं उनको जानता हूं कि वह इतनी संवेदनहीन नहीं हो सकती है । तो जिसने भी इस प्रकार का प्राक्कलन लिखा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो मजदूर के स्वाभिमान को चुनौती देने का काम प्राक्कलन लिखकर कर रहे हैं । तो निश्चित रूप से वह देखें कि ऐसा काम क्यों हुआ यह सरकार आपकी कृपा का पात्र नहीं है । जो इस प्रकार मजदूर को पद दलित करने का काम कर रहे हैं आप उनकी खबर लेने का काम करें । यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं । मान्यवर, इस सरकार ने बहुत बड़े-बड़े दावे किये हैं कि हम रोजगार बढ़ाने का काम कर रहे हैं । रोजगार देने का काम कर रहे हैं । लेकिन जो श्रम विभाग के आंकड़े प्रकाशित हुए उसमें 30 हजार लोग कम हुए । निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या करीब 6665 काम इस साल में हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारी करीब् 25 हजार कम हो गये । मान्यवर, जो इनके सेवायोजन कार्यालय हैं उनके माध्यम से 14 हजार लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार दे पाये हैं जबकि लाखों करोड़ों लोग बेराजगार पंजीकृत हैं ।

मान्यवर, यह एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसकी तरफ श्रम विभाग ने ध्यान आकृष्ट किया है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह मुख्य मंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट करें तो बजट में जो कह रहे हैं रोजगार सृजन की बात और आंकड़ों में जो विरोधाभास है, मुख्य मंत्री जी उसको देखेंगे । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह श्रम कानून है वह बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार पर्याप्त नहीं है । इसलिए इनके पुनरीक्षित करने का काम होना चाहिए । मान्यवर, यह कानून श्रमिकों के हित में कम और नियोक्ता के हित में अधिक है । इसलिए इस प्रदेश में लगातार मजदूरों का शोषण हो रहा है । मान्यवर, आप देखें तो प्रदेश की तीन सीमेन्ट फैक्टरियां-डाला, चुनार एवं एक अन्य सीमेन्ट फैक्टरी है जो बन्द हो गयी हैं और कताई की फैक्टरियां बन्द होने के कगार पर हैं । मान्यवर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में त्रिवेणी इंजीनियरिंग उद्योग कम्पनी है । जो कर्मचारियों को निकालने का काम कर रहे हैं और वहां ताला बन्दी हो गयी है । यहां सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव भी पास हो गया और वारन्ट भी जारी हो रहा है लेकिन उसके बावजूद वह कानून की परिधि के बाहर घूम रहे हैं और श्रम कानूनों का बराबर उल्लंघन कर रहे हैं ।

मान्यवर, शाप ऐक्ट बना है जिसके अनुसार दुकानें किस समय बन्द होंगी और कब खुलेंगी एवं कर्मचारियों के बारे में रजिस्टर रखा जायेगा तो मैं बताना चाहता हूं कि इनका शहरों में एक भी बात का पालन हो रहा हो तो मंत्री जी बता दें । इस संबंध में चेकिंग के अधिकारी और कर्मचारी अवैध वसूली में लगे हुये हैं और नियमों का कोई पालन नहीं करा रहा है । मैं चाहूंगा मंत्री जी अपने जवाब में इसपर भी प्रकाश डालेंगे ।

मान्यवर, अब मैं असंगठित मजदूरों के बारे में बताना चाहता हूं कि देहातों में खेतिहर मजदूर हैं उसे कितनी मजदूरी मिलती है कुछ तय नहीं है । शहर में जो मजदूर हैं उनके सम्बन्ध में देखा जाये तो मालूम होगा कि जैसे बाजार में लोग सब्जी खरीदते हैं उसी प्रकार बड़े-बड़े चौराहों पर सुबह से ही मजदूरों की मण्डी लगती है । तो एहसास होता है कि आजादी के 51 वर्ष बाद भी मजदूरों की मजबूरी है कि वह सुबह ही मण्डी में अपने को प्रस्तुत करता है । इससे दुःखद बात और कोई नहीं हो सकती है और सरकार इन असंगठित मजदूरों के बारे में आज तक कोई कानून नहीं बना पायी है । यह हालत हमारे प्रदेश की है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इन असंगठित मजदूरों की मजदूरी नियमित हो । इसकी आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इस पर भी मंत्री जी अपनी बात रखेंगी ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए 14 आई० टी० आई० खोलने की बात किया था लेकिन अभी तक नहीं खुल सके जबकि तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था भी कर दी गयी थी । इसके साथ ही 150 अनुदेशक नियुक्त करने के लिए धनराशि

की व्यवस्था भी कर दी गयी थी । लेकिन दुख है कि कमीशन की लालच में मशीनरी तो खरीद ली गई । लेकिन अभी तक एक भी अनुदेशक की नियुक्ति नहीं हो सकी है । यह हालत श्रम विभाग में हो रही है । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अनुसूचितजातियों के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है ? इस सम्बन्ध में भी मंत्री जी देख लेंगी। मान्यवर, आई० टी० आई० में मशीनरी तो खरीद ली जाती है लेकिन ट्रेनिंग देने का काम नहीं हो पा रहा है ।

लेकिन वह काम भी नहीं हो पाया । हमारे प्रधानाचार्य आई० टी० आई० के हैं । 22 उनके विनियमितीकरण के आदेश जारी हुए हैं, उनका काम पूरा नहीं हो सका है । तो इस तरह के प्रकरण को आप दिखवाने का काम करें । जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो लेबर लाज में व्यवस्था है, संस्थानों में यूनियन बहुत सारी होती है । जिनको लेकर विवाद होता है सेन्ट्रल ऐक्ट में व्यवस्था है, सीक्रेट बेलेट से मान्यता के बारे में निर्णय होते हैं और उससे श्रमिक संघों के विवाद समाप्त हो जाया करते हैं । उत्तर प्रदेश में भी उस कानून को, जो केन्द्रीय स्तर पर भी बना हुआ है । बनाने का काम यह सरकार करें । और जहां-जहां मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है नगरपालिकाओं में पी० एफ० में पैसा वेतन बिल पर जमा है, खातों में उनके जमा नहीं है । ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर वह अपने जमा पैसे को भी निकाल नहीं सकते हैं। तो श्रम विभाग ने,नगरपालिकाओं और दूसरे विभागों में जिनमें इस संबंध में कार्यवाही की हो उसकी जानकारी भी देने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीया श्रम मंत्री जी ने श्रम विभाग की अनुदानों की मांगों पर जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रम मंत्री जी, जैसा कि विपक्ष के साथी भी स्वीकार करते हैं, अत्यन्त संवेदनशील महिला हैं हमें विश्वास है कि श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में जिनके बारे में कोई चिन्तन पिछली सरकारों ने नहीं किया है, उन पर गंभीरता से विचार कर, उनकी समस्याओं का समुचित हल जल्दी से जल्दी निकालने की चेष्टा करेंगी। आज उ०प्र० में निर्यात से जितनी धनराशि प्राप्त होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा पूर्वांचल के 4-5 जिलों से प्राप्त होता है जिसमें मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, सोनभ्रद चन्दौली, वाराणसी और ब्रज क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में शाहजहांपुर फिरोजाबाद और सहारनपुर में भी काम हो रहा है दरी और कालीन का लगभग 5 हजार करोड़ रु० का निर्यात होता है लाखों की संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं अधिकतर उनमें ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। मान्यवर, बहुत पहले प्रदेश में बीड़ी और सिगरेट में जुड़े श्रमिकों के हित संवर्द्धन के लिए बीड़ी और सिगार ऐक्ट बनाया गया था दरी और कालीन के क्षेत्र में में कार्य करने वाले कार्मिकों के हितों के संरक्षण के लिए दरी और कालीन ऐक्ट बनाने पर सरकार गंभीरता से विचार करे। अगर आपने अपने कार्यकाल में इस ऐक्ट को बना दिया तो श्रमिक सदैव आपको याद रखेगा और आप श्रमिकों के इतिहास में अमर हो जायेंगी। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

. इस सदी के आखिरी साल में दरी और कालीन के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के निर्धारण की बात है। आज लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं महंगाई कहां से कहां जा चुकी है अभी तक न्यूनतम वेतन और न्यूनतम समर्थन मूल्य का पुनः निर्धारण नहीं हुआ है। इसको जितनी जल्दी करा सकेंगी यह लाखों परिवारों में आपकी अमिट छाप छोड़ेगी यह सब आपको आर्शीवाद देंगे। इस देश में कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो गयी हैं जो इस देश सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं बाल श्रमिकों का हौवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करके और उससे हमारे निर्यात के क्षेत्र में चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोग इस बात को कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि प्रदेश में बाल श्रमिकों का भयंकर शोषण हो रहा है, लेकिन मान्यवर, सच्चाई इससे भिन्न है। मान्यवर, यह करते क्या है, यह आयातकर्ता से एक प्रतिशत लेते हैं और निर्यातकर्ता से एक प्रतिशत लेते हैं और जब तक यह मुहर नहीं लगाते हैं कि इस माल के बनाने में किसी बाल श्रम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तब तक माल का निर्यात नहीं हो सकता मेंने देखा है

कि टाफी देकर उनकों बुलाया जाता है और उनकी फोटो खींची जाती है और वही फोटो विदेशों में दिखायी जाती है और कहा जाता है कि यहां पर बाल श्रम है। यह संस्थायें अपने कर्मचारियों को नाम-मात्र का पैंसा देती हैं, में रामजग जी से अनुरोध करुंगा कि आप मेरे जिले में आ जायें और इस चीज को आंखों से देख लें। मान्यवर, नियोक्ता को मालूम भी नहीं है कि इसके यहां पर कोई बालक श्रमिक के रुप में कार्य कर रहा है, लेकिन यह आ जाता है कि फलां नाम का बाल श्रमिक काम कर रहा है। मान्यवर, भयादोहन करके सौदा पटाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि केयर और फेयर वाले तथा इन बचपन बचाओ वाले इन बाल श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विसंगति को रोकना है। मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।

मान्यवर,मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश और सारा विश्व श्रमिक के श्रम पर आधारित है और उसी पर टिका हुआ है, जिस दिन श्रमिक थोड़ा नाराज हो जाये हम, कमजोर हो जायेंगे, यह आप निश्चित जान लीजिये और वह सबसे खराब दिन होगा। इसलिये मैं अनुरोध करुंगा कि उद्योग बन्द न हों, इसकी चिन्ता करनी चाहिये, उत्पादन कम न हो, लेकिन श्रमिक के हितों के संरक्षण में हम पीछे हो गये तो सारा का सारा ढांचा चरमरा जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्रम मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं.और विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वह केवल अपने-अपने सुझाव दें और कटौती के प्रस्ताव पर बल न दें।

मेजर जगतपाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, श्रम विभाग का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक न्याय दिलाने, बदलते हुए औद्योगिक परिवेश में प्रशिक्षण देश, सेवायोजकों का पंजीकरण करना एवं बीमा योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है । इसके अतिरिक्त संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में जिसमें बाल एवं बंधुवा श्रम की कुप्रथा को समाप्त किये जाने के संबंध में व्यवस्था है उसको लागू कराना है । इनकी निःशुल्क शिक्षा देने, रोजगार देने तथा उनकी सुख सुविधा देने का काम इस विभाग का है । जहां तक मुरादाबाद का सवाल है वहां लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष निर्यात होता है । लगभग 500 उद्योग बड़े-बड़े हैं जिनमें 3-4 लाख मजदूर काम करते हैं इसके अतिरिक्त 1500 लघु उद्योग हैं जिनमें 4-5 लाख मजदूर काम करते हैं । मुरादाबाद में ब्रासवेयर का कार्य होता है । इसी तरह अमरोहा में कालीन, लकड़ी का कार्य और संभल में अनेक छोटे सींघ के उद्योग हैं । लगभग 3 करोड़ रुपये का निर्यात मुरादाबाद से होता है । इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि वहांपर मजदूरों के लिये नियमित कार्यवाही नहीं की गयी है । चाहे छोटे या बड़े उद्योग हों मजदूरों की सुख सुविधा के लिये कोई योजना नहीं है उनके स्वास्थ्य के लिये कोई योजना नहीं है । श्रम विभाग के अधिकारी जाते हैं और वहां पर कार्यालय आफिसेज में बैठकर चले जाते हैं । उन मजदूरों की सुख सुविधा के लिये कोई काम नहीं करते हैं । वहां पर बाल श्रमिकों की हालत बहुत खराब है । अभी उनके बारे में प्रश्न भी उठाया गया था । इसके पहले भी उनके बारे में कहा जाता रहा है । वहां पर एक-एक परिवार में 15-16 बच्चे हैं । सरकार उनको प्राथमिक शिक्षा नहीं दे सकती और न उनके लिये कोई कार्य कर सकती है । इसलिये वह बच्चे कारखानों में काम करते हैं । वह इसलिये कारखानों में काम करते हैं कि यदि वह काम न करें तो उनके परिवारजन (पैरेन्ट्स) उनका पालन पोषण नहीं कर पायेंगे । इसलिये छोटे से छोटा बालक भी कार्य करता है । चाहे बरतनों पर डिजाइन का कार्य हो या आग के सामने चरखी चलाने का काम हो छोटे बच्चे यह काम करते हैं । जनपद मुरादाबाद में कुछ बड़ी-बड़ी मिलें भी लगायी गयीं हैं जैसे कताई मिल आदि । वहां मिल मालिकों ने सरकार से पैसा लेकर एक मिल लगायी और फिर दूसरी लगायी उसके बाद मिल बन्द करके चले गये । जिसके कारण मजदूरों का बड़ा शोषण हुआ है । वह नौकरी के लिये तरस रहे हैं । मेरी प्रार्थना है कि ऐसी जगहों पर जहां पर मजदूरों का शोषण हो रहा है अपने अधिकारियों को भेजकर उनका शोषण दूर करायें । इसके अतिरिक्त अनेक अन्य मिलें हैं जो बन्द हो

चुकी हैं या सिक हो चुकी हैं । उनमें भी मजदूरों का शोषण हो रहा है । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री रामजग–

अधिष्ठाता महोदय, हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और अनेक सुझाव दिये हैं । आदरणीय डंग साहब, केशो मेहरा जी, मेजर जे० पी० सिंह जी उन्होंने जो बहस में अपनी बातें रखीं वह वहीं हैं जो हमने बातें कटौती के प्रस्ताव में रखी हैं ।

पूरे प्रदेश में मजदूरों का शोषण हो रहा है । चाहे संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर हो, चाहे ग्रामीण अंचल में काम करने वाले हों या शहर में काम करने वाले हों । हमारे सम्मानित साथियों ने जिस ढंग से विचार रखे हैं कि पूरे प्रदेश में मजदूरों का शोषण हो रहा है । इन्सपेक्टर राज समाप्त हो जाने के बाद से यहां के मालिक, उद्योगपति मनमाने हो गये हैं । हमारे लेबर अफसर और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं वह भी कुछ नहीं कर रहे हैं । यहां सभी लोगों ने चिन्ता जताई कि कालीन उद्योग, दरी उद्योग, ग्रामीण अंचल में होटल में सफाई का काम करने वाले, बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है । सरकार ने उन्हें मुक्त करने के लिए, उन्हें बेहतर जीवन स्तर देने के लिए कोई योजना बनाये । मजदूरों के लिए चाहे, बीमा योजना हो या चिकित्सा सुविधा का लाभ हो वह नहीं मिल रहा है । उनकी कालोनियां निरन्तर खाली करायी जा रही हैं । जिन साथियों ने इस पर विचार रखे सभी ने चिन्ता जतायी है । मजदूर वर्ग की हितों की रक्षा के लिये बन्द कारखाने खोले जायं । उनका बकाया वेतन दिया जाये । अपट्रान का कारखाना बन्द है । उसको खोला जाये । इन्सपेक्टर राज को समाप्त किया जाये । बंधुआ, मजदूर और बाल मजदूर को मुक्त कराने के लिए जैसा कि डंग साहब ने कहा है कि भदोही और दूसरे जगहों में जिस तरह से शोषण हो रहा है । यह सरकार सुनियोजित ढंग से उनकी रक्षा करे । मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत वेतन दिलाये । अभी तक यह सरकार अक्षम पायी गयी है। जिस तरह से हमारे साथियों के विचार आये हैं । मुझे उम्मीद है कि श्रम मंत्री जी संभवतः इसपर गंभीरता से विचार करेंगी ।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य राम जग, माननीय अम्बरीष कुमार, माननीय केशो मेहरा जी, माननीय डंग साहब एवं मेजर जे० पी० सिंह ने अपने मूल्यवान सुझाव रखे हैं । मैंने सबको संज्ञान में लिया है । मैं माननीय सदस्य राम जग जी को अवगत कराना चाहूंगी कि सरकार की चिन्ता विशेष रूप से है चाहे वह संगठित या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, उनके प्रति हमदर्दी है, उनके लिए कल्याणकारी योजनायें हैं जिनको चला रहे हैं । उसे और प्रभावशाली ढंग से चलाने का हमारा संकल्प है । असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी की बात है प्रस्ताव बना लिया है । जो आपने चिन्ता व्यक्त की है । मैंने कभी किसी मीटिंग में प्रस्ताव किया था । घोषणा नहीं की गयी उस पर काफी कार्य कर लिया है । और बहुत शीघ्र जैसा कहा था कि उसकी घोषणा करेंगे । जहां तक हमारे श्रम विभाग के अधिकारियों का प्रश्न आया । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि इतना बड़ा प्रदेश है । करोड़ों की संख्या में संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं । उसके अनुपात में अधिकारियों की संख्या इतनी नहीं है । हर जगह हर क्षेत्र में जा करके, बारीकी से निरीक्षण कर सके । लेकिन जहां कहीं भी शिकायतें प्राप्त होती हैं । उन शिकायतों पर गंभीरता से विचार करके श्रमिकों के हित में पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनका ध्यान रखे । उनका कहीं शोषण न हो । मैं आपकी बात से इन्कार नहीं करती हूं कि पैसा कम दिया जाता है, रजिस्टर में उनका नाम नहीं लिखा जाता है । मैंने निर्देश जारी किये हैं । जब ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जांच के बाद कार्यवाही की जाती है । यह भी संज्ञान में लाना चाहती हूं कि हमारे यहां विभाग के प्रतिमाह हर कर्मचारी के निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है ।

आपने चर्चा की है। इन्सपेक्टर राज की उसके संबंध में मैं यह मानकर चलती हूं कि कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। कि यह संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाये तो ज्यादा प्रभावी होगा। उस राजाज्ञा का यही आशय है यदि फिर भी इसमें आवश्यक हुआ तो संशोधन किया जायेगा। फैक्ट्री बन्द होने पर यहां चिन्ता व्यक्त की गई। यह चिन्ता पूरे प्रदेश की है। स्वयं मुख्य मंत्री भी इससे चिन्तित हैं इसमें कुछ कठिनाइयां हैं यह आपके संज्ञान में भी हैं। डाला फैक्ट्री की इतनी समस्याएं हैं कई वर्षों से यह घाटे में चल रही थी फिर भी सरकार मजदूरों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। अम्बरीष कुमार जी ने कुछ सुझाव दिए हैं। श्रम कानूनों में संशोधन की बात कही है। यह हमारे मस्तिष्क में था। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उनके कुछ संशोधन आ गए हैं। किसी भी कानून किसी भी ऐक्ट में संशोधन की प्रक्रिया लम्बी होती है। हमारा इस तरफ ध्यान है। इसमें सभी का सहयोग मिलेगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। श्री डंग जी ने कालीन उद्योग की समस्याएं रखी हों। मैं भी कई बार मिर्जापुर भदोही में गई हूं। वहां के उद्योगों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं है। वहां पर निरीक्षण के लिए मिर्जापुर के डी० एम० गए थे तो उन्होंने 10 मिनट गेट नहीं खोला। यह लोग विदेशी संस्थाओं आई० एल० ओ० आदि से धन लेते हैं। उन पर उत्तर प्रदेश सरकार का नियंत्रण प्रभावी नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार के श्रम मंत्री से वार्ता करेंगे। एन० जी० ओ० हालांकि श्रमिक के हित में काम करती है लेकिन वह भारत की तश्वीर को बाहर बिगाड़ने में उनकी भूमिका होती है। इस संबंध में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से बात की जाएगी। सदस्य मेहरा जी ने अपनी बात कही है। इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। उसमें कुछ करने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आपका सहयोग लेकर श्रमिकों के हित में जो संभव होगा। कार्यवाही की जाएगी। हमारा लक्ष्य बाल श्रमिकों के साथ उद्योगों का भी हित देखना है। क्योंकि उद्योगों से ही श्रमिकों के हित जुड़े हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रमिकों के हित को प्राथमिकता के आधार पर लेना है। माननीय सदस्यों ने जो अपने-अपने सुझाव दिये हैं। मैंने सभी का संज्ञान ले लिया है। मेरा रामजग जी से निवेदन है कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अम्बरीष कुमार–

प्राक्कथन में जिस भाषा का प्रयोग आपके अधिकारियों द्वारा दिया गया है। उससे मजदूर संगठनों और मजदूरों को ठेस पहुंची है। अतः उस पर भी कुछ कह दें।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

इसको दिखवा लेंगे। आपने जो विचार व्यक्त किए हैं निश्चित रूप से उस पर हमारी सहमति हैं।

मैं रामजग जी से निवेदन करती हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री रामजग–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 71,20,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ? कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 83,87,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग व मुख्य जनपद मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पानी निकास की व्यवस्था अनिवार्य किये जाने से सम्बन्धित श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जनपद मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये पानी निकास की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश गरीब प्रदेश है और हमारे प्रदेश में संसाधनों का बड़ा अभाव है । पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण हमारे राष्ट्रीय मार्ग, प्रदेश स्तर के मार्ग या जिला स्तर के मार्ग पानी से क्षतिग्रस्त होते रहे हैं और जिसके लिये सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये व्यय भी करती है और इतना ही नहीं वे मार्ग क्षतिग्रस्त तो होते ही हैं और सरकार का उनकी मरम्मत पर पैसा भी खर्च होता है । अपितु यह भी स्थिति बनती है कि उन पर दुर्घटनायें भी बहुत होती हैं । जिसके कारण धन की हानि तो होती है जन की हानि भी होती है । वर्षाकाल में तो जहां-जहां आबादी के क्षेत्र हैं, मैं हरिद्वार दिल्ली मार्ग के बारे में कहना चाहता हूं कि आप खतौली पर निकल जाइये । ट्रैक्टर लेकर लोग खड़े रहते हैं और 100 से 200 रुपये निकालने के लिये जाते हैं । नहीं तो आपकी गाड़ी भी पानी में तैरती रहेगी और आप भी पानी में तैरते रहेंगे । इसका दोष उन लोगों का भी है जो अपनी सुविधा के लिये जन सेवा को समाप्त करके अपने मकानों को सड़क के स्तर से ऊंचा करके बनाते हैं । जिसके कारण वह सड़क न रहकर, वह नाली का रूप धारण कर लेती है । यह एक ऐसी समस्या है जिसका अगर आप आर्थिक रूप से आंकलन करें तो जो नाली बनती है एक फुट गहरी और 9 इंच चौड़ी तो अगर हम सड़क के दोनों तरफ बनाने का काम करें तो एक कि० मी० 6-7 लाख रुपये बनता है । अगर दोनों तरफ एक कि० मी० बनायें तो लगभग 14 लाख रुपये का खर्च आयेगा ।

अगर हम राज्य मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग की जो दो लेन चौड़ी करनी होती है उसको बनाने का कार्य करें तो एक साल में मरम्मत और पुर्ननिर्माण में 14 लाख व्यय आयेगा जिससे पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो सकती है । हम ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने का काम करें उनके लिये दण्ड का प्राविधान करें ताकि वे अपनी सम्पत्ति को सड़कों से अधिक ऊंचा न करें । सड़क को क्षतिग्रस्त करने का काम वे न करें । अतिक्रमण करके सड़कों का संकीर्ण करने का काम न करें तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की एक बड़ी सेवा हो सकती है और हम अपने संसाधन बचा सकते हैं उनको दूसरी जगह लगा सकते हैं । इसके साथ-साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें धन और जन की हानि होती है । उसको भी बचा सकते हैं । आज हमारे लोगों की इच्छा है, उनकी आशा है । आकांक्षा है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें कि पानी निकास की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाय । यह सारा काम एक दिन या एक वर्ष में नहीं हो सकता है इसको विभिन्न चरणों में पूरा करने के लिये माननीय मंत्री जी योजना बनवायें और जो काम आज शुरू होगा वह 2 साल, 4 साल, 5 साल में करने का अगर हम निश्चय लें पूरे प्रदेश का बीड़ा उठायें तो कर सकते हैं । स्थानीय निकायों का भी सहयोग लें । नगर निगम, पंचायत जिला पंचायत हैं । उनका सहयोग लें । बहुत सी योजनाएं जैसे एस० आर० वाई० जे० आर० वाई० की चलती हैं उनके अन्तर्गत धन भी उपलब्ध हैं । आवश्यकता केवल इस बात की है कि सरकार संकल्प के साथ यह निर्णय कर ले कि इस योजना को हमको लागू करना है तो मैं नहीं समझता कि यह कठिन काम है । यदि आप संकल्प के साथ निर्णय लेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और हमारे मार्ग अच्छे होंगे । हम उद्योग नीति की बात करते हैं। यह ढांचागत सुविधा दे सकते हैं । उद्योगों को आकर्षित करने में हमको मदद मिलेगी । इसलिये मैं आपके माध्यम से शासन से, सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके ही चरणबद्ध कार्यक्रम इस विषय में बनायें और उसकी सदन में घोषणा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अम्बरीष कुमार जी को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आज वे सदन के सामने नियम–103 के अन्तर्गत एक ऐसा प्रस्ताव लाये हैं जो पूरे प्रदेश के लिये और मान्यवर अन्य प्रदेशों के लिये भी एक मिसाल बनेगा । मान्यवर, हमारे प्रदेश में खास तौर से एक परम्परा बन गई है कि सड़कों का अतिक्रमण करके और अपनी मकान या दुकान के आगे को ऊंचा करके लोग पानी सड़क पर ही बहाते हैं और मान्यवर, आप देख लें ज्यादातर सड़कें आज प्रदेश में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मैं विदेश की बात नहीं कर रहा हूं केवल दक्षिण भारत में जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु कहीं भी आप देखें आपको कहीं भी सड़कों के किनारे न तो इस तरह का अतिक्रमण मिलेगा न राजमार्ग की सड़क क्षतिग्रस्त मिलेगी । उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की परम्परा देखने को मिली है । अम्बरीष जी ने जो बात कही है उसको दोहराना नहीं चाहता हूं । एक बात जरूर कहूंगा कि डीजल पेट्रोल का खर्च होता है और जाम भी लगता है और कई-कई घंटों जाम लगा रहता है । मैं दो आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो यह कि दण्ड का प्राविधान बनाया जाय यहां नियमावली में अपने स्तर से कर सकते हों तो करें नहीं हो तो विधान सभा में प्रस्ताव लाकर के एक नियमावली बनाकर कि यदि इस तरह का कोई अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी चाहे वह जो भी व्यक्ति हो । दूसरा एक स्टेट हाईवे बनाने का भी सरकार विचार कर ले जैसे नेशनल हाई वे एथारिटी है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी स्टेट हाई वे एथारिटी बना दी जाय जिससे कि यहां जो राज्य मार्ग हैं जिले के [illegible] हैं उनके विकास के लिये समय-समय पर वो आपसे सुझाव भी देते रहें और उनके माध्यम से कम [illegible]म राज्य मार्गों का रख-रखाव और बनाने की प्रक्रिया स्टेट हाई वे एथारिटी से कराई जाय ।

मान्यवर, एक चीज और देखने में आई है विगत कई वर्षों में प्रस्ताव में नहीं है लेकिन जब सड़क बात आई है तो उसके संबंध में यह कहना है कि स्पीड ब्रेकर इतने बना दिए जाते हैं कि उन पर जो राज चलते हैं उनको तो पता लग जाता है । लेकिन जो बाहर के व्यक्ति होते हैं उनको पता नहीं लग

पाता है । इन स्पीड ब्रेकरों से दुर्घटनायें हो जाती हैं । मान्यवर, सड़कों पर इस प्रकार स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं । आवश्यकता हो तो ऐसी चीजों का उपयोग किया जाय कि रात में चलने वालों को पता लग सकें कि स्पीड ब्रेकर बने हैं । आपने नये तरीके से काम करने की शुरुआत की है इसके लिये मैं आपको बधाई दूंगा । मान्यवर जो आपके राज्य मार्ग हैं प्रदेश में बनाये गये हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी बनाये गये हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश के राज्य मार्गों का पेवर से बनाने का काम करेंगे । ताकि वाहन सुगमता से चल सकें । इससे प्रदेश की तरक्की होगी और आपका प्रदेश प्रगतिशील माना जाएगा । आप अपने जवाब में माननीय अम्बरीष जी ने जो बिन्दु उठाए हैं उसमें सदन को आश्वस्त करें और आने वाले दिनों में कार्यवाही दिखाई पड़ेगी । यह हम आपसे उम्मीद करते हैं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हं कि आपने सम्मानित सदस्य श्री अम्बरीष कुमार जी के 103 के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया । श्रीमन् मैं बधाई देना चाहता हूं । अम्बरीष कुमार जी को इन्होंने शासन का ध्यान जो महत्वपूर्ण बिन्दु है उसकी ओर आकर्षित किया । श्रीमन् आम जनता यह नहीं सोचती हैं कि राजकीय मार्ग की क्या दुर्दशा हो रही है। जनपद के मुख्य मार्गों की क्या दुर्दशा हो रही है । एक भावना है पानी घर से निकल जाए अपना घर साफ हो जाय बाकी कहीं जा रहा है । इससे मतलब नहीं है । मार्ग पर गड्ढे खोदकर सड़कों और यातायात को प्रभावित किया जा रहा है इसमें नियम है इसमें कठोरता के साथ पालन हो यह सुनिश्चित किया जाय ।

मैं माननीय अम्बरीष कुमार जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं । यहां लोक निर्माण का बजट आना है । मंत्री जी सदन में बैठे हैं । इसमें सुनिश्चित कार्यवाही करेंगे । इसी के साथ मैं अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बोलने का अवसर दिया ।

[समय 6 बजकर 5 मिनट]

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अभी सदन में जो प्रस्ताव रखा है उस पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह हम लोगों के लिये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने सड़क नीति घोषित कर दी है । इस सरकार की जो मानसिकता है वह इस विभाग में उत्पन्न भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, कार्यों में गुणवत्ता लाने और प्रत्येक नगरवासियों और गांववासियों को अच्छी सड़क दिलायेगी यह है । मान्यवर, जो राज मार्ग है, नगरों से होकर गुजरते हैं, वहां अक्सर देखने में यह आता है कि सड़कों के किनारे जो लोग बसे हैं वह अपने घरों के सामने पटरियों को ऊंचा उठा देते हैं और सड़क नाली का रूप ले लेती है । पानी सब सड़क पर आ जाता है जिससे सड़क खराब हो जाती है । तो मेरा यह सुझाव है कि जब भी सड़क बनायी जाय उसमें पानी की निकासी की भी व्यवस्था की जाय । जब हम रोड बनाते हैं, तो जो अवर अभियन्ता है वह इस चीज को देखें कि जो मकान बने हुये हैं उसके किनारे उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो । उदाहरण के लिये आगरा का उदाहरण देना चाहूंगा । वहां पर तमाम मकान ऐसे बने हुए हैं जो बिना नक्शे के बने हैं और उसमें जे० ई० और ए० ई० पैसा खा रहे हैं । मैंने कई बार शिकायत की, कोर्ट का स्थगन आदेश भी हो गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है । ए० ई० और जे० ई० पैसा खा रहे हैं । जो काम की गुणवत्ता है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो संबंधित अधिकारी हैं, वह कहकर टाल देते हैं कि पानी भर गया है इसलिये रोड खराब हो गयी । जब अच्छी गुणवत्ता रहेगी तो पानी भरने पर भी रोड खराब नहीं होगी । अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि वहां एन० एच–11 व 2 की हालत सुधरवायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, आपने भाई अम्बरीष कुमार जी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, अम्बरीष जी जो विचार रखा है, जो पूरे प्रदेश के मार्गों के प्रति चिन्ता जतायी है वह सही है । राष्ट्रीय मार्ग, राज मार्ग और जिला मार्ग की स्थिति यह है कि निरन्तर लोग अवैध कब्जा करते चले जा रहे हैं और इस ढंग से मकान बना रहे हैं कि पूरे रोड पर पानी आ जा रहा है जिससे सड़क खराब हो रही है और उससे गड्ढा हो जाता है जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है । तो निश्चित रूप से अम्बरीष कुमार जी ने जो विचार रखा है, जो प्रस्ताव रखा है यह प्रदेश की जनता के हित में है और प्रदेश के हित में यह कार्य किया जाय जिससे उत्तर प्रदेश एक नजीर बने, विकास के लिये बेहतर इन्तजाम हो और अवैध कब्जा रोकरने के लिये कार्यवाही पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाय । बिना नक्शे के मकान न बने । इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री बाबूराम यादव–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत साधूवाद देता हूं और श्री अम्बरीष जी की सोच के लिए क्योंकि ज्यादातर सार्वजनिक चीजों के लिए कम ही लोग सोंचते हैं । इसके लिए यह भी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, श्री अम्बरीष जी जो यह प्रस्ताव लाये हैं यदि इस पर विचार हो जाय और मंत्री जी इसको संज्ञान में ले लें तो निश्चित रूप से सड़कों का खराब होना तो रुकेगा हीं । इसके साथ ही प्रदेश का करोड़ों रुपया बचेगा । मान्यवर, जहां जलभराव की समस्या है और सड़कों पर पानी रुक जाता है । किसी गांव से सड़क जाती है और सड़क पर नालीं का पानी बहता है तो सड़कें खराब हो जाती हैं । मान्यवर, बड़े शहरों में तो नहीं है लेकिन कस्बों में नाली पर नाली का पानी सड़कों पर बहता है तो सड़कें खराब हो जाती है । मान्यवर, देहातों में नाली पर नाली का पानी, नल जो सड़कों पर लगे हैं उनका पानी सड़क पर जाता है तो सड़कें खराब हो जाती हैं । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिनकी नाली सड़क पर जाती है अथवा जिनका नल का पानी सड़कों पर बहता है तो इस संबंध में एक नियमावली बनायें और उसमें पी० डब्लू० डी० जो अधिकारी हैं वह रिपोर्ट करें और उस रिपोर्ट के आधार पर परगनाधिकारी उन व्यक्तियों पर जुर्माना करने की कार्यवाही करें । इस प्रकार का यदि नियम बन जायेगा तो निश्चित रूप से सड़कों पर पानी नहीं जायेगा और फिर सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं होगी । मान्यवर, कस्बों में अधिकतर लोग अपने घरों के सामने सड़कों को दाब/अतिक्रमण कर लेते हैं । जिससे सड़कें सकरी हो जाती हैं । यह स्थिति पूरे प्रदेश में हो रही है । और कहीं भी अतिक्रमण हटाने का नाम नहीं लिया जा रहा है । इसलिए मंत्री जी कहना चाहता हूं कि सिकुड़ती सड़कों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाय और सड़कों को अतिक्रमण से बचाया जाय । इस संबंध में हम चाहेंगे कि पी० डब्लू० डी० के जो जिम्मेदार अधिकारी हों । उनके ऊपर जिम्मेदार निश्चित की जाय कि यदि सड़कों पर अतिक्रमण होगा तो उसके वे जिम्मेदार होंगे और इसमें कार्यवाही की जाय तो निश्चित रूप से यह चीज रुकेगी । इसमें पुलिस को भी सामिल किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि गांव में जो सड़कें गुजरती हैं वहां स्पीड ब्रेकर गांव के लोग पत्थर और ईंट डालकर ऊंचे-ऊंचे स्पीड ब्रेकर बना देते हैं जिससे ट्रकों के पलटने का खतरा रहता है । अभी हमारे करहल से इटावा जाने वाली सड़क पर ऊंचे स्पीड ब्रेकर के कारण एक ट्रक पलट गया था । मेरा तो कहना है कि ग्रांवों के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर बनाने की जरूरत नहीं है । इसको सख्ती से रोकने की कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को पी०डब्लू० डी०

के जूनियर इंजीनियर को निर्देशित करना चाहिए कि गांवों में जहां इस तरह के स्पीड ब्रेकर बनाये गये हों तो उनको हटाया जाय ।

यह सब चीजें ऐसी हैं जिससे जनता को कष्ट पहुंचता है इससे निजात दिया जा सकता है । पानी सड़क पर न जाये । स्पीड ब्रेकर के संबंध में और अतिक्रमण के संबंध में नियमावली बना दी जाय तो समस्या का समाधान हो सकता है और अम्बरीष कुमार जी की जो इच्छा है कि निर्विघ्न रूप से आवागमन हो उसकी भी पूर्ति हो जायेगी ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सही है कि राष्ट्रीय मार्ग, राज मार्ग और जिला मार्ग वर्तमान समय में जो मार्गों पर कस्बें पड़ते हैं बाजार पड़ते हैं अपनी सीमा से आगे बढ़कर के लोग सड़कों पर कब्जा किये हैं अपने घरों की पानी की निकासी सड़कों पर किये हुए हैं । तारकोल और पानी का तालमेल नहीं होता है वह तारकोल कट जाता है । बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं इसके अलावा सड़कों के किनारे लोग दुकानें रख लेते हैं । इन सबकी जानकारी पी० डब्लू० डी० के गेंग वालों और जे० ई० को होती है । जिस तरीके से रेलवे विभाग में है कि उनकी सम्पत्ति पर कब्जा कर लेता है तो वह जबरदस्ती कब्जा हटा देते हैं । इसी तरह से जो अतिक्रमण सड़कों पर होता है उसे हटा दिया जाये तो जो सड़कें सिकुड़ रही हैं नाले का रूप ले रही हैं वह नहीं हो पायेगा । मान्यवर, सड़कों पर जो जल भराव की समस्या है उसमें सीमेन्ट को पानी नहीं काट पाता है । जहां जल भराव है कस्बों में वहां सीमेन्ट गिट्टी से भरा जाये तो अच्छा हो । हमारे यहां गोण्डा मनकापुर रोड है । मनकापुर बभनान रोड है । गोण्डा से फैजाबाद मार्ग है इसमें इधर जो बरसात हुई बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं । मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहा है कि उधर से ही जाते हैं । यह राज्य मार्ग हैं । लेकिन वह सड़क ठीक नहीं हुई है । वजीरगंज कस्बे में डेढ़ कि० मी० लम्बी सड़क हैं सारे घरों का पानी बाजार की सड़कों पर है । एक ऐसी व्यवस्था करें कि जो सड़कें हैं चाहे जिस स्वरूप की हों उसमें स्टेट सेक्टर योजना से पैसा आवंटन करके सड़कों के दुरुस्तीकरण का कार्य किया जाये ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने जनहित का विषय प्रस्तुत किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । डामर और पानी का बैर है यदि एक दिन भी या चन्द घंटों के लिए किसी भी प्रकार से जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण से किसी भी मार्ग पर यदि पानी रुक जाय तो उसमें से वाहन जाये तो उस सड़क की दुर्गति होनी ही है ।

मान्यवर, विगत बजट के अवसर पर मैंने यह बात रखी थी माननीय राज्य मंत्री आवास श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बताया था कि यह शासनादेश निर्गत कर दिया गया है कि कोई भी सड़क स्थानीय निकाय बनायेगा तो जल निकासी अवश्य की जायेगी । जल निकासी की व्यवस्था यदि न हो और सड़क बना दी जाये तो वह राष्ट्रद्रोह है । इसी तरह से जो विभिन्न प्रकार के आदेश हैं उनका अनुपालन सही तरह से नहीं हो रहा है । निवेदन है कि जहां पर भी जो भी मार्ग निर्माण किया जाय । उन पर नियंत्रण हो । उसके लिए समुचित प्राविधान हों ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री केशो मेहरा–

जिन लोगों ने अपने स्थानों को ऊंचा किया है इस मनोविज्ञान से कि संभवतः मेरी दुकान में पानी न आये वह जो स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं उनमें स्वाभाविक रूप से वह सड़कें धीरे-धीरे खराब हो जाती हैं । करोड़ों रु० का व्यय करके सड़क निर्माण होती है परन्तु जल निकासी की समुचित व्यवस्था

न होने के कारण यह रुपये का सही उपयोग नहीं हो पाता है । और जो स्पीड ब्रेकर बनाये जायें वह मानकों को ध्यान में रखकर बनाये जायें । हर जगह पर न बनाये जायें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं अपनी बात 2-3 मिनट में कहकर समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, सड़कों में पानी भरने का जो सवाल है । इसको मैं दो भागों में बांटता हूं । एक तो वह सड़कें जो पहले से बनी हुई हैं । जिनमें पानी भरा रहता है । और दूसरी वह जो नयी सड़कें हैं । जो बन रही हैं । और नीची बनायी जा रही हैं । जो पहले से बनी हुई सड़कें हैं । वह या तो इन्क्रोचमेन्ट के कारण खराब हो गयी हैं या पानी भर जाने के कारण खराब हो गयी हैं । लेकिन जो आगे सड़कें बन रही हैं । उनको ऊंची करके बनाया जाये जिससे पानी न भरे । मैं आपको अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं । बेवर ब्लाक में भोगांव में कुसनपुर से बिलखड़ा होते हुए बागपुर को सड़क बनायी जा रही उसमें जो गिट्टी डाली जा रही है । वह बहुत नीची डाली जा रही है और जैसे ही वह बन कर तैयार होगी उसमें पानी भरने लगा । और वह कुछ ही समय में टूट जायेगी । माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस ओर कार्यवाही करें और उस सड़क को ऊंचा करके बनाने के निर्देश दें । इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ।

* श्री इकबाल महमूद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय अम्बरीष जी ने नियम 301 के अन्तर्गत लाये हैं । उस पर मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, यह समस्या जन समस्या है । किसी पार्टी की समस्या नहीं है । जनता से जुड़ी हुई समस्या है । प्रदेश में बहुत सारी सड़कें हैं जहां पर पानी भरा रहता है । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश हैं और यहां पर ट्रैक्टर्स सड़कों पर चलते हैं । उनको आप मना कर नहीं सकते हैं लेकिन उनके चलने से सड़कें टूट जाती हैं । आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वह निकल भी जायें और सड़कें टूटे भी नहीं और दूसरे जहां पर नेशनल हाई वे हैं । जहां से वह पास होते हैं । वहां पर इन्क्रोचमेन्ट हो गया है । इसको रोकने के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं । लेकिन जिन बड़े लोगों ने अतिक्रमण किया है उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है । छोटे लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है । मान्यवर, मैं एक उदाहरण लाना चाहता हूं कि मेरठ में इसी बात को लेकर एस० पी० का ट्रान्सफर कर दिया गया । एक बड़े नेता ने इन्क्रोचमेन्ट कर रखा था । उन्होंने एस० पी० से कहा कि उसे न तोड़ा जाये । लेकिन एस० पी० ने कहा कि जब सभी का हटाया जा रहा है तो आपका भी हटाया जायेगा । दूसरे दिन उसका ट्रान्सफर हो गया । मान्यवर, सम्भल और मुरादाबाद के बीच में डींगरपुर में बारिस की वजह से सड़क कट गयी है । उसकी मरम्मत करायी जाये । बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं । जिनको कोई ठीक करने वाला नहीं है । इसके कारण रोजाना कोई न कोई एक्सीडेन्ट होता है । हमें आशा है कि प्राथमिकता के आधार पर इसको ठीक करायेंगे और सारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर अमल होगा । धन्यवाद ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अभी जो प्रस्ताव रखा गया है । अम्बरीष कुमार जी द्वारा और श्रद्धेय कुंवर साहब ने जो बधाई देना शुरू किया तो यदि आप अवसर नहीं देंगे तो मैं बधाई देने से वंचित रह जाऊंगा । सब लोग बधाई दे रहे हैं । मंत्री जी कहेंगे कि आप नहीं दे रहे हैं । इसलिए मैं अग्रिम बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं । लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय मिश्रा जी और अन्य सदस्यों की भावनाओं से जोड़ते हुये मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी कोई कारगर उपायों की घोषणा करें । मान्यवर, मंत्री जी केवल एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदेश निर्गत कर दें कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों की दुर्दशा है वहां से यह काम शुरु किया जायेगा । इसीलिये मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं ।

* लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, जो माननीय अम्बरीष कुमार जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह निश्चित रूप से सार्वजनिक हित का है और सही मानों में पूरे प्रदेश में नगर क्षेत्रों में या जो बस्तियां हैं उनमें वहां से जो सड़क गुजरती है उसमें इतना जल प्लावन हो जाता है कि सड़क ध्वस्त हो जाती है और यातयात बाधित होता है आने जाने में असुविधा होती है । माननीय अम्बरीष जी ने जिस भाव और मंशा को बताया है उसकी हम पहले से जानते थे और इसीलिये इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है । हमने इस बिन्दु पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया कि आखिर कौन सा रास्ता अपनाया जाय । जिससे बस्तियों में सड़कों की हालत को ठीक किया जा सके । नगर परिषद्, नगर निगम, न्याय पंचायत और गांव सभा इसमें से जो नेशनल हाई वे स्टेट हाईवे गुजरते हैं । एम० डी० आर० और ओ० डी० आर० रोड्स गुजरती हैं इनमें से नेशनल हाइवे के लिये भारत सरकार पैसा देती है और हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं । बाकी तीन प्रकार की सड़कों के लिये प्रदेश सरकार काम करती है । माननीय राम औतार जी ने कहा है कि सड़क नीति नहीं है । सड़क नीति है । मैंने उसकी सभी विधायकों को भेजा है नहीं मिली है तो मिल जायेगी । आपने जो प्रस्ताव रखा है हर दृष्टि से वह नियमों के अन्तर्गत है सारी चीजों को मैं मानता हूं । इसके लिए व्यवस्था की गयी है । सड़क नीति में पृष्ठ–16 पर 11 (1) में कहा गया है कि मार्गों पर यातायात सुनिश्चित करने के लिये मार्गों के किनारे डेवलपमेन्ट करने के लिये रोड साइड लैंड एक्ट, पब्लिक प्रीमिसेज इविक्शन एक्ट, एवं उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास संशोधन अधिनियम का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाय । मार्गों पर यातायात की सुविधा के लिये मार्गों पर सुविधा पट्ट लगाये जाने में निजी क्षेत्रों का सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त की जायेगी ।

शहरी भागों से गुजरने वाले मार्ग जलप्लावन के फलस्वरूप टूट जाते हैं । अतः ऐसे क्षेत्रों में मार्गों से पानी निकासी की कार्य योजना अत्यन्त आवश्यक है । शहरी मार्गों पर से पानी निकासी की कार्य योजना का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का होगा । यह भी कहा है कि इसके लिए हमने स्थानीय निकायों से वार्ता की और उसे जिले के जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त को इस दृष्टि से निर्देश भी दिया । हमारे विभाग के अनुरोध पर नगर विकास विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को उक्त निर्णय से जिले की नागर स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) को अवगत कराने तथा तद्नुसार कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या–245/नौ-9-99-136ए/98, दिनांक 3-2-99 द्वारा निर्गत किये गये हैं ।

आज हर जगह अतिक्रमण है । तमाम बाधायें आ रही हैं । जनप्रतिनिधियों के द्वारा और वहां के लोगों के द्वारा भी शिकायत आ रही है । हम अतिक्रमण हटायेंगे । राम विशुन आजाद जी ने अभी सीमेन्ट रोड की बात कही । उस पर हमने विचार किया । सीमेन्ट रोड बनता है उस पर खर्चा बहुत आता है । माननीय अम्बरीष जी ने खतौली की बात बतायी कि वहां जाम लग जाता है । हम ऐसे स्थानों पर पत्थर के ईंट लगायेंगे । हमने शुरूआत कर दी है । आपने देखा होगा । माननीय कुंवर साहब को जानकारी है इलाहाबाद से मऊ जाते समय काफी गड्ढे मऊ के पास पड़ते थे । हमनें उसे पत्थर के ईंटों से ठीक किया है । खतौली में भी बराबर पानी लगा रहता था । हमने यह कार्य अधिकांश स्थानों पर किया है । बहुत से स्थान बाकी हैं । संसाधन को देखते हुये उसके अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं । मेरी नीयत पर सन्देह न करें । इस दिशा में हम कार्यरत हैं । हम यह दम्भ नहीं करते हैं कि हम यह पूरा कर पाये हैं । नगर पंचायत और गांव सभा में गुजरने पर काफी पानी लग जाते थे उनके लिए पत्थर के इटों की बात कही है । बाकी इलाकों में नगर परिषद् में और नगर निगम जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं उसके लिए एक नई योजना बनायी है । माननीय अम्बरीष जी की मंशा के अनुसार चौधरी जी की मंशा के अनुसार और सबकी मंशा के अनुसार हमने एक अभियान लिया । यद्यपि हमारे बिभाग की

तरफ से यह बात आयी कि हमारे अन्तर्गत नहीं आती है । लेकिन हमने इस अभियान को लिया । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय सुधार योजना के अन्तर्गत एक लाख या उससे अधिक आबादी के जो नगर परिषद् हैं उनमें हाट मिक्स प्लान्ट व नाली हम स्वयं बनायेगे । इसके लिए 1998-99 में धन भी प्राविधानित किया है । जिसमें 16 स्थानों के लिए 15 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । उसमें से 3 करोड़ केवल नाली बनाने के लिए हैं ।

हमारी कोशिश यह है कि जल प्लावन जो होता है उसको कैसे रोका जाय ? इसके लिए लोक निर्माण विभाग प्रयत्न कर रहा है । यह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य करता है । समय-समय पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा साथ ही साथ जो एक्सपर्ट हैं उनके सुझावों को समादिष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । कुंवर साहब ने सुझाव दिया था कि ऐसी नियमावली बनाई जाय कि ऐसे काम करने वालों के विरुद्ध दडात्मक कार्यवाही की जाय । इस संबंध में तीन एक्ट हैं उनको प्रभावी तौर पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं । अलग से नियमावली बनाने की आवश्यकता नहीं है । नालियों के सामने जो लोग रहते हैं वह अतिक्रमण तो करते हैं साथ ही साथ पानी उनके द्वारा फैलाने के कारण किनारे भरा रहता है कहीं ड्रेनेज के कारण पानी आगे नहीं बढ़ पाता है और वहीं भरा रहता है । डा० हरित ने जो कहा उस संबंध में कहना है कि पानी और डामर की भयंकर दुश्मनी है । इसलिए डाक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है इस बार भयंकर रूप से बरसात हुई लेकिन लगातार पानी बरसने के बावजूद हमने सड़कों को ध्वस्त होने से बचाया है । कुंवर रेवती रमण जी ने कहा कि जिस तरह से नेशनल हाइवे एथारिटी है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्टेट हाई वे एथारिटी बनाई जाय । हमारे यहां चार प्रकार की सड़के हैं इनके विकास की आवश्यकता की बात है । स्टेट हाइवे की हालत बहुत खराब है । इसमें कई जगह सड़कें ध्वस्त हो गई हैं इसलिए गड्ढा मुक्त नहीं कर पा रहे हैं । इसको स्ट्रेन्थनिंग की जरूरत है । इसलिए इस पर तत्काल तो कार्यवाही नहीं हो सकती है । लेकिन हमारी कोशिश है कि स्टेट हाइवे का चौड़ीकरण किया जाय । इसमें समय लगेगा । इसमें मुख्य मंत्री जी ने बाकायदा हमको लिखित रूप से अनुमति दी हुई है सैद्धान्तिक दृष्टि से उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कि जितने भी स्टेट हाई वे हैं उनको चौड़ा किया जाए। इसी के साथ-साथ यह व्यवस्था की जा रही है कि सड़कों के किनारे ईटें लगाई जाएं ताकि पानी न भर सके। माननीय सदस्यों ने एक-एक सड़को के बारे में बात की है उसको हम देख रहे हैं। शाक्य जी ने बेवर भूगाँव के सड़क की बात की उस क्षेत्र में मैं स्वयं गया था और अलग से बुलाकर इंजीनियर्स को बाकायदा निदेशित कर दिया है। हम प्रयत्न कर रहे हैं तत्काल तो काम हो नहीं सकता है कुछ समय तो लगेगा। हमें जल्दी नहीं है क्योंकि बाद में शिकायत सुनने को मिलेंगी। गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है। गोण्डा बलरामपुर की बात की गई वहां पर मैं गया था वहां सड़क बहुत खराब हो गई थी लेकिन अब वहां पर गढ्ढे पट गए हैं।

चूंकि गड्ढा मुक्त अभियान एक कन्टीनियस प्रोसेस के रूप में है इसको हम चला रहे हैं और वह लगातार चलता जायेगा । समय-समय पर आप जैसे माननीय सदस्य मुझे बताते रहेंगे तो हम उसको व्यवस्थित करने का प्रयत्न करेंगे । जहां तक सम्भल का प्रश्न है उसे हमने डाक्टर श्यामा प्रसाद योजना के अन्तर्गत ले लिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्या इसकी शुरूआत आप हमारे विधान सभा क्षेत्र से करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

इसे मैं बजट भाषण के समय बताऊंगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो नगरीय मार्ग हैं जो स्थानीय निकाय हैं, नाला बनाने की जिम्मेदारी उनकी है । मेरा सुझाव है कि वह काम भी लोक निर्माण विभाग अपने जिम्मे ले ले । जहां

तक धन की बात है जो स्थानीय निकायों को सीधे राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है । उस धन में से एक निश्चित धनराशि योजनाबद्ध तरीके से यहीं से काट लिया जाय और नाला बनाने का काम स्वयं पी० डब्लू डी० करे । दूसरा, अतिक्रम एक दिन में तो होता नहीं है । हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं । वह इसके लिये सजग रहें । कि कहीं अतिक्रमण तो नहीं हो रहा हैं । इसके लिये उनकी जिम्मेदारी आप निर्धारित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं । अम्बरीष जी ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह तो चर्चा है । प्रस्ताव थोड़े ही किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव आता है । इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं । मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जनपद मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये पानी निकास की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	जनपद मेरठ तथा बुलन्दशहर के मध्य संचालित प्राइवेट बस सेवा की बन्दी तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद पुनः संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा
श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया	प्रदेश में राष्ट्रीय बचत एजेन्सी के नवीनीकरण में राष्ट्रीय बचत निदेशालय के आदेशों को न मानने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :–

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीलिया रोग के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री पूर्णमासी पंकज	जनपद सन्त रविदासनगर भदोही के मुख्यालय ज्ञानपुर स्थित ज्ञान सरोवर का पानी गन्दा होने के संबंध में ।
श्री राम औतार शाक्य	प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों में सदस्य विधान सभा को पदेन सदस्य न होने की उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा
श्री अजय कुमार पोइया	प्रदेश में विशेषकर जनपद मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बी० टी० सी० शिक्षकों की नियुक्ति में हो रहे भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

श्री तेजभान सिंह	जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के अन्तर्गत ग्राम–किटियावा में हुये अनियमित पट्टों के संबंध में ।
श्री जय प्रकाश निषाद	प्रदेश में पूर्वांचल जनपदों में ईसाई मिशनरीज द्वारा विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से गरीब तथा भोले-भाले नागरिकों का धर्मान्तरण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा
डा० कौशल किशोर–	जनपद खीरी के बेहजम ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम–पहाड़ा में दक्षिण न्यूरी घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुयीं ।

अब हम उठते हैं, 8 मार्च, 1999 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 40 मिनट पर सोमवार दिनांक 8 मार्च, 1999 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

27 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा